

सत्यमेव जयते

foùk ys[ks

[k.M & I

2014 - 2015



e/; i nš k l j dkj

वित्त लेखे

([k.M & I])

2014 — 2015

मध्यप्रदेश सरकार

fo"k;		i "B
	[k.M&I	
▪	विषय सूची	i-ii
▪	भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक का प्रमाण—पत्र	iii-iv
▪	वित्त लेखे की मार्गदर्शिका	vi-xii
विवरण पत्रक संख्या 1	वित्तीय स्थिति का विवरण पत्रक	1-2
विवरण पत्रक संख्या 2	प्राप्तियों तथा संवितरणों का विवरण पत्रक अनुलग्नक – रोकड़ शेषों और रोकड़ शेषों का निवेश	3-7
विवरण पत्रक संख्या 3	प्राप्तियों का विवरण पत्रक (समेकित निधि)	8-11
विवरण पत्रक संख्या 4	व्यय का विवरण पत्रक (समेकित निधि)	12-17
विवरण पत्रक संख्या 5	प्रगामी पूंजीगत व्यय का विवरण पत्रक	18-23
विवरण पत्रक संख्या 6	उधार तथा अन्य दायित्वों का विवरण पत्रक	24-27
विवरण पत्रक संख्या 7	सरकार द्वारा दिये गए ऋण और अग्रिमों का विवरण पत्रक	28-29
विवरण पत्रक संख्या 8	सरकार के निवेशों का विवरण पत्रक	30
विवरण पत्रक संख्या 9	सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों का विवरण पत्रक	31
विवरण पत्रक संख्या 10	सरकार द्वारा दिये गए सहायता अनुदानों का विवरण पत्रक	32
विवरण पत्रक संख्या 11	दत्तमत और प्रभारित व्यय का विवरण पत्रक	33
विवरण पत्रक संख्या 12	राजस्व लेखे के अतिरिक्त व्यय के लिये निधियों के स्रोतों और अनुप्रयोगों का विवरण पत्रक	34-38
विवरण पत्रक संख्या 13	समेकित निधि, आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखा के अन्तर्गत शेषों के सारांश का विवरण पत्रक	39-41
▪	लेखों पर टिप्पणियां	42-58
	[k.M&II	
Hkkx&I %		
विवरण पत्रक संख्या 14	राजस्व और पूंजीगत प्राप्तियों का लघु शीर्षवार विस्तृत विवरण पत्रक	61-105
विवरण पत्रक संख्या 15	राजस्व व्यय का लघुशीर्षवार विस्तृत विवरण पत्रक	106-152
विवरण पत्रक संख्या 16	पूंजीगत व्यय का लघुशीर्षवार एवं उपशीर्षवार विस्तृत विवरण पत्रक	153-294
विवरण पत्रक संख्या 17	उधार तथा अन्य दायित्वों का विस्तृत विवरण पत्रक	295-307
विवरण पत्रक संख्या 18	सरकार द्वारा दिये गए ऋण और अग्रिमों का विस्तृत विवरण पत्रक	308-338
विवरण पत्रक संख्या 19	सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण पत्रक	339-371
विवरण पत्रक संख्या 20	सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों का विस्तृत विवरण पत्रक	372-375
विवरण पत्रक संख्या 21	आकस्मिकता निधि और अन्य लोक लेखा लेन—देनों का विस्तृत विवरण पत्रक	376-386
विवरण पत्रक संख्या 22	उद्दिष्ट शेषों के निवेश का विस्तृत विवरण पत्रक	387-389

fo"k; & l ph & l eklr

fo"k;

i "B

[k. M&II

Hkkx&II %

परिशिष्ट संख्या I	वेतन पर तुलनात्मक व्यय	391-399
परिशिष्ट संख्या II	राजसहायता पर तुलनात्मक व्यय	400-402
परिशिष्ट संख्या III	राज्य सरकार द्वारा दी गई अनुदान/सहायता (संस्थावार एवं योजनावार)	403-416
परिशिष्ट संख्या IV	विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के ब्यौरे	417-423
परिशिष्ट संख्या V	आयोजनागत योजना व्यय	424-433
	अ. केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं एवं केन्द्र आयोजनागत योजनाएं)	
	ब. राज्य आयोजनागत योजनाएं	
परिशिष्ट संख्या VI	राज्य में क्रियान्वयन संस्थाओं को केन्द्रीय योजना निधियों का प्रत्यक्ष अंतरण (राज्य बजट के बाहर)	434-436
परिशिष्ट संख्या VII	शेषों की स्वीकृति एवं पुनर्मिलान (जैसा विवरण 18 एवं 21 में दर्शाया गया है)	437
परिशिष्ट संख्या VIII	सिंचाई निर्माण कार्यों के वित्तीय परिणाम	438
परिशिष्ट संख्या IX	सरकार की वचनबद्धता – अपूर्ण पूंजीगत कार्यों की सूची	439-442
परिशिष्ट संख्या X	वेतन एवं अवेतन हिस्से के पृथक्करण सहित अनुसूचक व्यय	443-455
परिशिष्ट संख्या XI	वर्ष के दौरान सरकार के मुख्य नीतिगत निर्णय अथवा बजट में प्रस्तावित नई योजनाएं	456
परिशिष्ट संख्या XII	सरकार की प्रतिबद्ध देयताएं	457
परिशिष्ट संख्या XIII	राज्यों के पुनर्गठन – शेषों की मदें जिनका बंटवारा राज्यों के मध्य/बीच अंतिम रूप से नहीं किया गया है	458-460

भारत के वित्त लेखाओं की प्रस्तुति

इस संकलन में 31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए मध्यप्रदेश सरकार के वित्त लेखे शामिल हैं जो वर्ष के लिए सरकार की प्राप्तियों एवं संवितरणों के लेखाओं सहित वित्तीय स्थिति को प्रस्तुत करते हैं। इन लेखाओं को दो खण्डों में प्रस्तुत किया जाता है खण्ड-I में राज्य के वित्त की समेकित स्थिति शामिल है और खण्ड-II लेखाओं को विस्तृत रूप में दर्शाते हैं। अनुदानों और प्रभारित विनियोगों के लिए वर्ष के लिए सरकार के विनियोग लेखाओं को पृथक संकलन में प्रस्तुत किया जाता है।


वित्त लेखाओं को नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की आवश्यकताओं के अनुसार हमारे पर्यवेक्षण के अन्तर्गत तैयार किया गया है और उन्हें मध्यप्रदेश सरकार के नियंत्रण के अन्तर्गत ऐसे लेखाओं के कार्यचालन को रखने वाले उत्तरदायी खजानों, कार्यालयों और विभागों द्वारा प्रस्तुत वाचुचरों, चालानों एवं प्रारंभिक तथा सहायक लेखाओं और भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त हुए विवरणों से संकलित किया गया है। इस संकलन में विवरणों (संख्या 7, 8, 9, 18, 19 एवं 20) और परिशिष्ट (IV, VIII एवं IX) को मध्यप्रदेश सरकार/निगमों/कम्पनियों/सोसाइटियों जो ऐसी सूचना की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है, से प्राप्त हुई सूचना से सीधे तैयार किया गया है।

मध्यप्रदेश सरकार के नियंत्रणाधीन कार्यरत कोषागार, कार्यालय और/अथवा विभाग प्रारम्भिक एवं सहायक लेखाओं की तैयारी और परिशुद्धता के साथ-साथ ऐसे लेखाओं तथा संव्यवहारों से संबंधित लागू विधियों, मानकों, नियमों एवं विनियमों के अनुसार संव्यवहारों की नियमितता को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी हैं। मैं वार्षिक लेखाओं को तैयार करने और उन्हें राज्य विधानमंडल को प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी हूँ। लेखाओं के लिए मेरे उत्तरदायित्व का निर्वहन प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के कार्यालय के माध्यम से किया जाता है। इन लेखाओं की लेखापरीक्षा, इन लेखाओं पर उस लेखापरीक्षा के परिणामों के आधार पर अपना मत व्यक्त करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 तथा 151 तथा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुसार स्वतंत्र रूप से महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा) के कार्यालय के माध्यम से की जाती है। ये कार्यालय निश्चित संवर्गों, पृथक रिपोर्ट देने वाली प्रणालियों एवं प्रबंध संरचना के साथ एक स्वतंत्र संगठन है।

लेखापरीक्षा सामान्यतः भारत में स्वीकृत लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार की गई थी। इन मानकों द्वारा यह अपेक्षा की जाती है कि हम योजना बनाएं और यथोचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा का निष्पादन करें कि लेखे तात्विक अर्थार्थ कथन से मुक्त हैं। लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में राशियों एवं प्रकटनों से सुसंगत साक्ष्य के नमूना आधार पर जाँच को शामिल किया जाता है।

मेरे अधिकारियों द्वारा प्राप्त अपेक्षित सूचना और स्पष्टीकरणों के आधार पर तथा लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप, अपनी पूर्ण जानकारी के अनुसार और दिए गये स्पष्टीकरण पर विचार करते हुए मैं अपने पूर्ण ज्ञान और विश्वास के अनुसार प्रमाणित करता हूँ कि व्याख्यात्मक 'लेखाओं के लिए टिप्पणियों' के साथ पठित वित्त लेखे 2014-15 वर्ष के लिए मध्यप्रदेश सरकार की प्राप्तियों एवं संवितरणों का सही और स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करते हैं।

वर्ष अथवा पूर्व वर्षों के दौरान इन लेखाओं के अध्ययन के साथ-साथ की गई नमूना लेखापरीक्षा से उद्भूत ध्यान देने योग्य मुद्दे 31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए पृथक रूप से प्रस्तुत की जाने वाली मध्यप्रदेश सरकार पर हमारे प्रतिवेदनों में शामिल हैं।



१/१ क'क दकु'र 'केक१/१

Hkkj r ds fu; æd&egkys[kki jh{k d

fnukd %

LFkku % ubZ fnYyh

d- I jdkjh ys[ks dh I j'puk dk foLr'r fogakoykdu

1. मध्यप्रदेश राज्य के वित्त लेखे वर्ष के लिए सरकार की प्राप्तियों और निर्गमों के लेखाओं के साथ ही राजस्व और पूंजीगत लेखाओं के वित्तीय परिणामों तथा लेखाओं में दर्ज शेषों से परिकल्पित राज्य सरकार के लोक ऋण और दायित्व तथा परिसंपत्तियों के लेखाओं को प्रदर्शित करते हैं।

2. सरकार के लेखे तीन भागों में रखे जाते हैं :

Hkx&I % I efdR fuf/k : इस निधि में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त किया गया समस्त राजस्व, राज्य सरकार द्वारा लिए गए ऋण (बाजार ऋण, बंध पत्र, केन्द्र सरकार से ऋण, वित्तीय संस्थाओं से ऋण, राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी की गयी विशेष प्रतिभूतियां आदि), भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए अर्थोपाय अग्रिम एवं राज्य सरकार द्वारा ऋणों के पुनर्भुगतान से प्राप्त किया गया धन समाविष्ट होता है। इस निधि में से कोई धन विधि के अनुरूप और भारत के संविधान में उपबन्धित प्रयोजनों तथा रीति से अन्यथा विनियुक्त नहीं किया जायेगा। व्यय की कुछ श्रेणियां (जैसे-संवैधानिक प्राधिकारियों के वेतन, ऋण का पुनर्भुगतान आदि), राज्य की समेकित निधि पर प्रभारित होती हैं तथा विधानसभा द्वारा मत के अधीन नहीं होती हैं। अन्य सभी व्यय (मतदेय व्यय) विधान सभा द्वारा मतदेय होता है।

समेकित निधि में दो अनुभाग होते हैं: राजस्व तथा पूंजीगत ("लोक ऋण, कर्ज और पेशगियां" सहित)। ये अनुभाग आगे "प्राप्तियाँ" तथा "व्यय" के अन्तर्गत श्रेणीबद्ध होते हैं। राजस्व प्राप्तियाँ अनुभाग तीन क्षेत्रों (सेक्टर) में विभाजित होता है, यथा, "कर राजस्व", "करेतर राजस्व" एवं "सहायता अनुदान तथा अंशदान"। ये तीन क्षेत्र (सेक्टर) आगे उपक्षेत्रों (सब सेक्टर) में विभाजित होते हैं जैसे – "आय एवं व्यय पर कर", "राजकोषीय सेवाएँ" आदि। पूंजीगत प्राप्तियाँ अनुभाग के अन्तर्गत क्षेत्र, उपक्षेत्र (सेक्टर, सब सेक्टर) नहीं होते हैं। राजस्व व्यय अनुभाग चार क्षेत्रों (सेक्टर) में विभाजित होता है, यथा, "सामान्य सेवाएँ", "सामाजिक सेवाएँ", "आर्थिक सेवाएँ" और "सहायता अनुदान तथा अंशदान"। राजस्व व्यय अनुभाग के ये क्षेत्र (सेक्टर) आगे उपक्षेत्रों (सब सेक्टर) में विभाजित होते हैं जैसे – "राज्य के अंग" "शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति" आदि। पूंजीगत व्यय अनुभाग सात उपक्षेत्रों (सब सेक्टर) में उप-विभाजित होता है। यथा – "सामान्य सेवाएँ", "सामाजिक सेवाएँ", "आर्थिक सेवाएँ", "लोक ऋण", "ऋण एवं अग्रिम", "अंतर राज्य परिशोधन" तथा "आकस्मिकता निधि को अन्तरण"।

Hkx&II % vkdfLedrk fuf/k : यह निधि अग्रदाय प्रकृति की होती है जिसे राज्य विधायिका द्वारा विधि द्वारा स्थापित की जाती है और राज्य की विधायिका द्वारा ऐसे व्यय प्राधिकृत किए जाने तक अप्रत्याशित व्यय करने के लिए अग्रिम प्रदाय करने हेतु राज्यपाल की सुपुर्दगी में रखी जाती है। उक्त निधि की प्रतिपूर्ति, व्यय को राज्य की समेकित निधि से संबंधित कार्यात्मक मुख्यशीर्ष को नामे कर की जाती है। वर्ष 2014-15 के लिए मध्यप्रदेश सरकार की आकस्मिकता निधि ₹ 500 करोड़ है।

Hkkx&III % ykd ys[kk : अन्य समस्त लोक धन जो सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त किया जाता है, जहाँ सरकार बैंक अथवा न्यासी की तरह कार्य करती है, लोक लेखा में जमा किया जाता है। लोक लेखा में वापसी योग्य जैसे – अल्प बचतें एवं भविष्य निधियाँ, जमा (ब्याज सहित एवं ब्याज रहित), अग्रिम, आरक्षित निधियाँ (ब्याज सहित एवं ब्याज रहित), प्रेषण एवं उचंत शीर्ष (अंतिम रूप से दर्ज होने तक, दोनों अल्पकालिक हैं) शामिल होते हैं। लोक लेखे में सरकार के पास उपलब्ध निवल रोकड़ शेष भी शामिल रहती है। लोक लेखे में छः क्षेत्र (सेक्टर) समाविष्ट है, यथा – “अल्प बचतें”, “भविष्य निधियाँ”, “आरक्षित निधियाँ”, “जमा एवं अग्रिम”, “उचंत एवं विविध”, “प्रेषण” तथा “रोकड़ शेष”। ये क्षेत्र (सेक्टर) आगे उप क्षेत्रों में उप-विभाजित होते हैं। लोक लेखा विधायिका के मत के अधीन नहीं होता है।

3. शासकीय लेखा छः स्तरीय वर्गीकरण के अन्तर्गत प्रदर्शित किया जाता है, यथा – मुख्यशीर्ष (चार अंक), उप मुख्यशीर्ष (दो अंक), लघुशीर्ष (तीन अंक), उपशीर्ष (चार अंक), विस्तृत शीर्ष (दो या तीन अंक) तथा उद्देश्य शीर्ष (दो या तीन अंक)। मुख्य शीर्ष सरकार के क्रिया-कलाप प्रदर्शित करते हैं, उप मुख्यशीर्ष उप क्रिया कलाप प्रदर्शित करते हैं, लघुशीर्ष कार्यक्रम/गतिविधियां दर्शाते हैं, उपशीर्ष योजना, विस्तृत शीर्ष उप-योजना दर्शाते हैं तथा उद्देश्य शीर्ष व्यय का प्रयोजन/उद्देश्य दर्शाते हैं।

4. लेखे में वर्गीकरण की मुख्य इकाई, मुख्य शीर्ष होता है, जो निम्नानुसार संकेत प्रतिमान (कोडिंग पैटर्न) में हैं (मार्च 2015 तक संशोधित मुख्य एवं लघुशीर्षों की सूची के अनुसार)।

0020 से 1606	राजस्व प्राप्तियाँ
2011 से 3606	राजस्व व्यय
4000	पूंजीगत प्राप्तियाँ
4046 से 7810	पूंजीगत व्यय (“लोक ऋण, कर्ज और पेशगियां” सहित)
7999	आकस्मिकता निधि में विनियोग
8000	आकस्मिकता निधि
8001 से 8999	लोक लेखा

5. वित्त लेखे, सामान्यतया (कुछ अपवादों सहित), लघुशीर्ष तक लेन-देन को दर्शाते हैं। वित्त लेखे में आंकड़े निवल स्तर पर दर्शाए जाते हैं अर्थात् वसूलियों का व्यय की कमी के रूप में लेखाकरण करने के उपरांत। यह प्रतिपादन विधायिका को प्रस्तुत की जाने वाली अनुदानों के लिए माँग एवं विनियोग लेखों में दर्शाए जाने वाले से भिन्न होता है, जहाँ व्यय सकल स्तर पर दर्शाया जाता है।

6. लेखे की संरचना का चित्र प्रदर्शन नीचे किया गया है :

d-1-1 | jdkjh ys[ks dh | ĳpuk

[k- foUk ys[ks ea D; k fufgr gS

वित्त लेखे दो खण्डों में प्रस्तुत किए जाते हैं।

खण्ड-I में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रमाण-पत्र, वित्त लेखे की मार्गदर्शिका, 13 विवरण पत्रक जो राज्य सरकार की चालू वर्ष के लिए वित्तीय स्थिति एवं लेन-देनों की संक्षिप्त जानकारी दर्शाते हैं, लेखों पर टिप्पणियाँ और लेखों पर टिप्पणियों के अनुलग्नक सम्मिलित है। खण्ड-I के 13 विवरण पत्रकों का विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है।

- 1- foUkh; fLFkfr dk fooj.k i=d % यह विवरण पत्रक राज्य सरकार की परिसम्पत्तियों और दायित्वों के संचयी आंकड़े जो वर्षान्त में तथा पूर्व वर्ष के अंत की स्थिति की तुलना में है, दर्शाता है।
- 2- ikflr; ka rFkk I forj.kka dk fooj.k i=d % यह विवरण पत्रक राज्य सरकार की वर्ष के दौरान तीन भागों जिसमें सरकारी लेखे रखे जाते हैं यथा – समेकित निधि, आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखा के अन्तर्गत समस्त प्राप्तियाँ और संवितरण दर्शाता है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार के रोकड़ शेष (निवेश सहित) का वैकल्पिक चित्रण दर्शाने वाला इसका एक अनुलग्नक है। अनुलग्नक सरकार की अर्थोपाय की विस्तृत स्थिति भी दर्शाता है।

- 3- $i\ kflr; ka\ dk\ foof.k\ i=d\ \forall\ efd\ fuf/k\frac{1}{2}$ % इस विवरण पत्रक में राजस्व और पूंजीगत प्राप्तियाँ और उधार तथा राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋणों के पुनर्भुगतान शामिल होता है। यह विवरण पत्रक वित्त लेखे के खण्ड-II के विस्तृत विवरण पत्रक 14, 17 एवं 18 के समरूप होता है।
- 4- $0; ;\ dk\ foof.k\ i=d\ \forall\ efd\ fuf/k\frac{1}{2}$ % वित्त लेखे के लघुशीर्ष स्तर तक के सामान्य प्रदर्शन से पृथक यह विवरण पत्रक व्यय का, गतिविधियों (व्यय का उद्देश्य) की प्रकृति अनुसार विस्तृत विवरण भी दर्शाता है। यह विवरण पत्रक खण्ड-II के विस्तृत विवरण पत्रक 15, 16, 17 एवं 18 के समरूप है।
- 5- $i\ xkeh\ i\ thxr\ 0; ;\ dk\ foof.k\ i=d$ % यह विवरण पत्रक खण्ड-II के विस्तृत विवरण पत्रक 16 के अनुरूप है।
- 6- $m/kkj\ ,\ oa\ vU; nkf; Roka\ dk\ foof.k\ i=d$ % राज्य द्वारा उधार लेने में, उसके द्वारा उगाहे गए बाजार ऋण (आंतरिक ऋण) एवं केन्द्र सरकार से प्राप्त ऋण तथा अग्रिम शामिल होते हैं। अन्य दायित्वों में "अल्प बचतें", "भविष्य निधियाँ आदि", "आरक्षित निधियाँ" तथा "जमा" शामिल हैं। विवरण पत्रक में ऋण सेवा पर टिप्पणी भी होती है तथा यह खण्ड-II के विस्तृत विवरण पत्रक 17 के समरूप होता है।
- 7- $I\ jdkj\ }kjk\ fn,\ x,\ _ .k\ vkj\ vfxæka\ dk\ foof.k\ i=d$ % यह विवरण पत्रक राज्य सरकार द्वारा ऋणियों की विभिन्न श्रेणियों जैसे – सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, स्वायत्तशासी एवं अन्य निकायों/प्राधिकारियों तथा वैयक्तिक प्राप्तिकर्ता (शासकीय सेवकों सहित) को दिए गए ऋणों एवं अग्रिमों को दर्शाता है। यह विवरण पत्रक खण्ड-II के विस्तृत विवरण पत्रक 18 के समरूप होता है।
- 8- $I\ jdkj\ ds\ fuos\ kka\ dk\ foof.k\ i=d$ % यह विवरण पत्रक सांविधिक निकायों, सरकारी कम्पनियों, अन्य संयुक्त पूंजी कम्पनियों, सहकारी संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों की साधारण पूंजी में राज्य सरकार के निवेश को दर्शाता है। यह विवरण पत्रक खण्ड-II के विस्तृत विवरण पत्रक 19 के समरूप होता है।
- 9- $I\ jdkj\ }kjk\ nh\ xbz\ iR; khkfr; ka\ dk\ foof.k\ i=d$ % यह विवरण पत्रक सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं द्वारा लिए गए ऋणों के मूल के पुनर्भुगतान एवं ऋणों पर ब्याज पर दी गयी प्रत्याभूतियों का सारांशीकरण है। यह विवरण पत्रक खण्ड-II के विस्तृत विवरण पत्रक 20 के समरूप होता है।
- 10- $I\ jdkj\ }kjk\ fn,\ x,\ I\ gk; rk\ vupku\ dk\ foof.k\ i=d$ % यह विवरण पत्रक राज्य सरकार द्वारा अनुदान ग्रहीता की विभिन्न श्रेणियों जैसे – सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, स्वायत्तशासी एवं अन्य निकायों/प्राधिकारियों तथा व्यक्ति को दिए गए सहायता अनुदान को दर्शाता है। परिशिष्ट-III प्राप्तिकर्ता संस्थाओं का विस्तृत विवरण प्रदान करता है।
- 11- $n\ Uker\ vkj\ i\ Hkxfjr\ 0; ;\ dk\ foof.k\ i=d$ % यह विवरण पत्रक वित्त लेखे में दर्शित हो रहे निवल आंकड़ों एवं विनियोग लेखों में दर्शित हो रहे सकल आंकड़ों के मध्य मिलान में सहायता प्रदान करता है।
- 12- $jktLo\ ys[ks\ ds\ vfrfjDr\ 0; ;\ ds\ fy,\ fuf/k; ka\ ds\ L=krka\ vkj\ vuqz; kska\ dk\ foLr'r\ foof.k\ i=d$ % यह विवरण पत्रक राजस्व प्राप्तियों से राजस्व व्यय को अदा करने के सिद्धान्त पर

आधारित है, जबकि वर्ष का पूंजीगत व्यय राजस्व आधिक्य से, लोक लेखा में निवल जमा शेष, वर्ष के प्रारंभ में नकद शेष तथा उधार से पूरा किया जाता है।

- 13- I efdR fuf/k] vkdfLedrk fuf/k vkj ykd ys[ks ds 'ks'kka dk I kjka k % यह विवरण पत्रक लेखे की शुद्धता को सिद्ध करने में सहायक होता है। यह विवरण पत्रक खण्ड-II के विस्तृत विवरण पत्रक 14, 15, 16, 17, 18 एवं 21 के समरूप होता है।

[k.M&II dk Hkx&I

वित्त लेखे के खण्ड-II के दो भाग हैं - भाग-I में नौ विस्तृत विवरण तथा भाग-II में तेरह परिशिष्ट हैं।

- 14- jktLo ,oa i wthxr i kflr; ka dk y?kq kh"kbkj foLr'r fooj.k i=d % यह विवरण पत्रक वित्त लेखे के खण्ड-I के संक्षिप्त विवरण पत्रक-3 के समरूप होता है।
- 15- jktLo 0; ; dk y?kq kh"kbkj foLr'r fooj.k i=d % यह विवरण पत्रक जो खण्ड-I में संक्षिप्त विवरण पत्रक-4 के समरूप है, राज्य सरकार का राजस्व व्यय आयोजना (राज्य आयोजना, राज्य आयोजना को केन्द्रीय सहायता, केन्द्र प्रवर्तित योजना तथा केन्द्रीय आयोजना योजना) तथा योजनेत्तर के अन्तर्गत दर्शाता है। प्रभारित एवं दत्तमत व्यय पृथक-पृथक दर्शाया जाता है।
- 16- i wthxr 0; ; dk y?kq kh"kl , oa mi 'kh"kbkj foLr'r fooj.k i=d % यह विवरण पत्रक जो खण्ड-I में संक्षिप्त विवरण पत्रक 5 के समरूप है, राज्य सरकार का पूंजीगत व्यय, आयोजना (राज्य आयोजना, राज्य आयोजना को केन्द्रीय सहायता, केन्द्र प्रवर्तित योजना, केन्द्रीय आयोजना योजना) तथा योजनेत्तर के अन्तर्गत (वर्ष के दौरान एवं संचयी) दर्शाता है। प्रभारित तथा दत्तमत व्यय पृथक-पृथक दर्शाया जाता है। इसके अतिरिक्त विशिष्ट योजनाओं के संबंध में लघुशीर्ष स्तर पर पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण दर्शाने के लिए, यह विवरण पत्रक उपशीर्ष स्तर पर भी विस्तृत विवरण दर्शाता है।
- 17- m/kkj rFkk vU; nkf; Roka dk foLr'r fooj.k i=d % यह विवरण पत्रक जो खण्ड-I में संक्षिप्त विवरण-6 के अनुरूप है, में राज्य सरकार द्वारा उगाहे गये सभी ऋणों के ब्यौरे (बाजार ऋण, ऋण पत्र, केन्द्र सरकार से ऋण, वित्तीय संस्थाओं से ऋण, राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ इत्यादि) तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए अर्थोपाय अग्रिम शामिल है। यह विवरण पत्रक ऋण पर तीन श्रेणियों के अंतर्गत सूचना प्रस्तुत करता है - (क) व्यक्तिगत ऋण के ब्यौरे (ख) परिपक्वता स्थिति जैसे विभिन्न वर्षों में ऋण की प्रत्येक श्रेणी से संबंधित भुगतान योग्य राशि तथा (ग) बकाया ऋणों की ब्याज दर स्थिति तथा बाजार ऋणों को दर्शाने वाला अनुलग्नक।
- 18- I jdkj }kjk fn, x, __.k vkj vfxeka dk foLr'r fooj.k i=d % यह विवरण पत्रक खण्ड-I में संक्षिप्त विवरण-7 के अनुरूप है।
- 19- I jdkj ds fuos'kka dk foLr'r fooj.k i=d % यह विवरण पत्रक, विवरण पत्रक 16 एवं 19 के मध्य इकाईवार निवेश और मुख्य एवं लघुशीर्षवार विस्तृत विसंगतियों (यदि कोई हों) को दर्शाता है। यह विवरण पत्रक खण्ड-I में विवरण संख्या 8 के समरूप होता है।

- 20- I jdkj }kjk nh xbz iR; kHkfr; ka dk foLr'r fooj.k i=d % यह विवरण पत्रक शासकीय प्रतिभूतियों का इकाईवार विवरण दर्शाता है। यह विवरण पत्रक खण्ड-I में विवरण पत्रक 9 के समरूप है।
- 21- vkdfLedrk fuf/k vkj vl; ykd ys[kk yu&nuka dk foLr'r fooj.k i=d % यह विवरण पत्रक आकस्मिकता निधि के अंतर्गत लघुशीर्ष स्तर पर अनापूरित राशि के ब्यौरे, वर्ष के दौरान लोक लेखा की समेकित स्थिति तथा वर्ष के अंत में बकाया शेषों की स्थिति दर्शाता है।
- 22- mfl"V 'ks'kka ds fuos'k dk foLr'r fooj.k i=d % यह विवरण पत्रक आरक्षित निधियों एवं जमा (लोक लेखा) से किये गये निवेश के ब्यौरे को दर्शाता है।

[k.M&II dk Hkx&II

भाग-II में वेतन, राज सहायता, सहायक अनुदान, बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं, बृहद् केन्द्रीय योजनाओं तथा राज्य आयोजनागत योजनाओं से संबंधित योजनावार व्यय से संबंधित मदों के सहित तेरह परिशिष्ट शामिल हैं। यह ब्यौरे उपशीर्ष स्तर या उससे नीचे (लघुशीर्ष स्तर से नीचे) के लेखाओं जिन्हें सामान्यतया वित्त लेखे में नहीं दर्शाया जाता है, को प्रस्तुत करते हैं। परिशिष्टों की विस्तृत सूची खण्ड-I या II की विषय सूची में दर्शित है। परिशिष्टों के साथ पठित विवरण राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति का सम्पूर्ण चित्र प्रस्तुत करते हैं।

x- Rofjr x.kuk i=d

नीचे दी गई सारणी खण्ड-I के अंतर्गत वर्णित संक्षिप्त विवरणों का संबंध खण्ड-II के विस्तृत विवरणों एवं परिशिष्टों से दर्शाती है (ऐसे परिशिष्ट जिनका संक्षिप्त विवरणों से सीधा संबंध नहीं है, को यहां नहीं दिखाया गया है)।

eki n.M	I f{klr fooj.k ¼[k.M&I½	foLr'r fooj.k [k.M&II	ifjf'k"V
राजस्व प्राप्ति (प्राप्त अनुदानों सहित), पूँजीगत प्राप्तियाँ	2, 3	14	—
राजस्व व्यय	2, 4	15	I (वेतन), II (राज सहायता)
सरकार द्वारा दिया गया सहायता अनुदान	2, 10	—	III (सहायता अनुदान)
पूँजीगत व्यय	1, 2, 4, 5, 12	16	I (वेतन)
सरकार द्वारा दिए गये ऋण और अग्रिम	1, 2, 7	18	—
ऋण स्थिति/उधार	1, 2, 6	17	—
निगमों, कम्पनियों आदि में सरकारी निवेश	8	19	—
रोकड़	1, 2, 12, 13	—	—
लोक लेखे में शेष तथा उनके निवेश	1, 2, 12, 13	21, 22	—
प्रत्याभूति	9	20	—
योजनाएं	—	—	IV (विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं), V (आयोजनागत, योजना व्यय)

क- vkof/kd , oa i qrdh; l ek; kstu

कुछ लेन-देन जो लेखा में प्रकट होते हैं, इन्द्राज के समय नगद के वास्तविक प्रचालन से अन्तर्ग्रस्त नहीं होते हैं। इनमें से कुछ लेन-देन उन लेखाओं को प्रस्तुत करने वाली इकाइयों के स्तर पर किये जाते हैं (जैसे – कोषालय, संभाग इत्यादि)। उदाहरण के लिये, लेन-देन, जिनमें वेतन से सभी कटौतियों के समायोजन शामिल होते हैं (सा.भ.नि., दिए गए अग्रिम की वसूली आदि) पुस्तकीय समायोजन द्वारा राजस्व प्राप्तियों/ ऋणों/लोक लेखे को कार्यात्मक मुख्यशीर्ष का नामे करते हुए (संबंधित विभागों से सम्बद्ध) अभिलिखित किए जाते हैं। इसी तरह “निरंक” राशि वाले देयक, जहां धनराशि समेकित निधि और लोक लेखा के बीच अंतरित होती है लेखाओं को प्रस्तुत करने वाली इकाइयों के स्तर पर रोकड़ रहित लेन-देनों को दर्शाती है।

उपरोक्त के अतिरिक्त प्रधान महालेखाकार/महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) राज्य सरकार के लेखाओं में निम्न प्रकृति के आवधिक समायोजन एवं पुस्तकीय समायोजन करते हैं जिनका विवरण लेखों पर टिप्पणियाँ के अनुलग्नक (खण्ड-1) एवं संबंधित विवरण पत्रकों की पाद टिप्पणी में वर्णित होता है।

आवधिक समायोजन एवं पुस्तकीय समायोजन के उदाहरण नीचे दिये गये हैं :-

- (1) समेकित निधि को नामे कर लोक लेखा में निधियों के अंशदान का समायोजन/निधियों का सृजन जैसे – राज्य आपदा विमोचन निधि, केन्द्रीय सड़क निधि, निक्षेप निधि इत्यादि।
- (2) समेकित निधि को नामे कर लोक लेखा में निक्षेप शीर्ष को जमा करना।
- (3) सामान्य भविष्य निधि पर ब्याज को मुख्यशीर्ष 2049-ब्याज अदायगियां को नामे कर तथा मुख्यशीर्ष 8009-राज्य भविष्य निधि तथा मुख्यशीर्ष 8011-बीमा एवं पेंशन निधि को जमा कर सामान्य भविष्य निधि (सा.भ.नि.) पर ब्याज एवं राज्य कर्मचारी समूह बीमा योजना का वार्षिक समायोजन।
- (4) केन्द्रीय वित्त आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर भारत सरकार की योजना के अंतर्गत ऋण माफी का समायोजन किया जाना। ये समायोजन (अपलिखित किए गए केन्द्रीय ऋणों को मुख्यशीर्ष 0075-विविध सामान्य सेवाएं को जमा कर एवं मुख्यशीर्ष 6004-केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम को विपरीत प्रविष्टि कर) दोनों राजस्व प्राप्तियों और लोक ऋण पर असर डालते हैं।

3. i w kkd

0.01 लाख/करोड़ का अंतर जहाँ कहीं भी परिलक्षित हो रहा है पूर्णांक के कारण है।

1% foUkh; fLFkfr dk fooj.k i=d

(₹ करोड़ में)

i f j l Ei fUk; k; %d½	I nHKZ (I j y Øekd)		31 ekpl 2015 dks	31 ekpl 2014 dks
	ys[kka ij fVli f.k; k;	fooj.k@ i f j f' k"V		
jkdM+				
(i) खजानों में रोकड़ एवं स्थानीय प्रेषण	निरंक	विवरण सं.2 का अनुलग्नक	निरंक	निरंक
(ii) विभागीय शेष	निरंक	21	7.02	2.57
(iii) स्थाई अग्रदाय	निरंक	21	0.84	0.83
(iv) नकद शेष निवेश	निरंक	21	47,91.31	38,99.14
(v) भारतीय रिजर्व बैंक में जमा (यदि शेष जमा हो तो ऋणात्मक चिह्न के साथ यहाँ शामिल हो)	निरंक	विवरण सं.2 का अनुलग्नक	1,99.32 ^(ख)	1,73.22
(vi) उद्दिष्ट निधियों से निवेश ^(ग)	निरंक	22	4,03.47	4,01.27
i wthxr 0; ;			11,03,45.99	9,92,29.20
(i) कंपनियों तथा निगमों इत्यादि के अंशों में निवेश	निरंक	19	1,61,04.55	1,52,75.10
(ii) अन्य पूंजीगत व्यय	निरंक	5	9,42,41.44	8,39,54.10
vkdfLedrk fuf/k (vuki fjr)	निरंक	--	1.08	निरंक
__k rFkk vfxE	निरंक	18	3,78,41.90	3,20,72.34
foHkkxh; vf/kdkfj; ka ds i kl vfxE	निरंक	21	4.86	11.61
mpæ rFkk fofo/k 'kSk ^(घ)	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
i Šk.k 'kSk	निरंक	--	निरंक	निरंक
i kflr; ka ij 0; ; dk l p; h vkf/kD; %d½	निरंक	--	निरंक	निरंक
; kx			15,35,95.79	13,57,90.18

- (क) परिसम्पत्तियों तथा दायित्वों की राशियाँ संचयी राशियाँ हैं। कृपया 'लेखों पर टिप्पणियाँ' अनुभाग के अंतर्गत टिप्पणी 1(ii) भी देखें।
- (ख) विवरण संख्या-2 के अनुलग्नक के नीचे पाद टिप्पणी (ख) एवं (ग) देखें।
- (ग) कंपनियों इत्यादि के शेयरों में उद्दिष्ट निधियों में से किये गए निवेश पूंजीगत व्यय में से हटाए गए हैं तथा 'उद्दिष्ट निधियों से निवेशों' में शामिल किये गए हैं।
- (घ) इस विवरण में पंक्ति मद 'उचंचत एवं विविध शेषों' में 'रोकड़ शेष निवेश लेखा' 'विभागीय शेष' तथा 'स्थाई अग्रिम' शामिल नहीं हैं, जिन्हें पृथक से ऊपर सम्मिलित किया गया है, यद्यपि इन्हें लेखों में अन्यत्र इसी क्षेत्र में शामिल किया गया है।
- (ङ) प्राप्तियों पर व्यय का संचयी आधिक्य अथवा व्यय पर प्राप्तियों का संचयी आधिक्य चालू वर्ष के राजकोषीय/राजस्व घाटे से भिन्न है तथा चालू वर्ष के लिए राजकोषीय/राजस्व घाटा नहीं है।

fooj.k i=d l a ; k 1 – समाप्त

(₹ करोड़ में)

nkf; Ro	I nHkZ (I j y Øekd)		31 ekpZ 2015 dks	31 ekpZ 2014 dks
	लेखों पर टिप्पणियाँ	fooj.k@ i f j f ' k " V		
m/kkj ½ykd __.k½			8,22,61.50	7,21,13.32
(i) आंतरिक ऋण	निरंक	6	6,90,07.67	5,93,95.09
(ii) केन्द्र सरकार से ऋण तथा अग्रिम	निरंक	6	1,32,53.83	1,27,18.23
योजनेतर कर्ज	निरंक	6	42.82	46.49
राज्य योजनागत योजनाओं के लिये ऋण	निरंक	6	1,32,09.13	1,26,69.86
केन्द्रीय योजनागत योजनाओं के लिये ऋण	निरंक	6	निरंक	निरंक
केन्द्र द्वारा समर्थित योजनागत योजनाओं के लिये ऋण	निरंक	6	निरंक	निरंक
अन्य ऋण	निरंक	6	1.88	1.88
vkdfLedrk fuf/k ½udk; ½	3(x)	21	5,00.00	2,00.00
ykd ys[kk l s l cf/kr nkf; Ro	निरंक	निरंक	2,87,22.85	2,65,99.94
(i) लघु बचत, भविष्य निधि आदि	निरंक	17, 21	1,26,59.14	1,16,98.46
(ii) जमा	निरंक	17, 21	77,71.83	71,60.15
(iii) आरक्षित निधियाँ	निरंक	21, 22	63,98.98	62,55.19
(iv) प्रेषण शेष	निरंक	21	13,09.25	13,66.27
(v) उचंत तथा विविध शेष	निरंक	21	5,83.65	1,19.87
0 ; ; i j i kflr ; k d k l p ; h vkf/kD ;	निरंक	निरंक	4,21,11.44 ^{(क)(ख)}	3,68,76.92 ^{(क)(ख)}
; kx			15,35,95.79	13,57,90.18

(क) सहकारी समितियों/बैंकों से संबंधित वर्ष 2006-07 के पूंजी निवृत्ति/विनिवेश के ₹ 9.19 करोड़ सम्मिलित हैं।

(ख) e[; ' kh"Z 4000&fofo/k i wthxr i kflr ; k] लघुशीर्ष 800-अन्य प्राप्तियां के ₹ 3,29.66 करोड़ शामिल हैं, जो विवरण संख्या 12 में पूंजीगत एवं अन्य व्यय से घटाये गये हैं।

2% i kflr; ka rFkk l forj .kka dk foj .k i =d					
(₹ करोड़ में)					
i kflr; k			l forj .k		
	2014&15	2013&14		2014&15	2013&14
Hkkx & I l efd r fuf/k					
vuqkx & v % jktLo					
jktLo i kflr; k	8,86,40.78	7,57,49.24	jktLo 0; ;	8,23,72.82	6,98,69.76
dj jktLo % jkt; }kj k mxkgk x; k½	3,65,67.12	3,35,52.16	वेतन ¹	1,84,89.66	1,71,03.24
djrj jktLo	1,03,75.23	77,04.99	jktl gk; rk ¹	99,53.77	65,67.21
ब्याज प्राप्तियाँ	12,60.65	3,17.85	l gk; rk vuqku ²	2,33,86.17 ³	1,63,26.93
अन्य	91,14.58	73,87.14	l kekl; l ok, a		
			ब्याज की अदायगी तथा ऋण शोधन	70,71.25	63,91.32
			पेंशन	68,36.48	59,31.74
l dk djka@' kq/dka dk Hkkx	2,41,06.99	2,27,15.27	अन्य	30,67.79	33,58.49
			योग	1,69,75.52	1,56,81.55
			l keftd l ok, a	57,90.21	53,65.18
			vkfkd l ok, a	35,52.05	43,16.36
dlbz l jdkj l s vuqku	1,75,91.44	1,17,76.82	LFkuh; fudk; ka rFkk i pk; rh jkt l LFkvka dks {kfrir/ rFkk l eups ku	42,25.44	45,09.29
jktLo ?kkvk	fujad	fujad	jktLo vkf/kD;	62,67.96	58,79.48
vuqkx & c % i wth					
fofo/k i rthx r i kflr; k	27.73	35.98	i wthx r i fj0; ; ^{4,5}	1,18,77.68	1,08,12.52
			वेतन ¹	निरंक	निरंक
			l kekl; l ok, a	2,57.16	1,96.31
			l keftd l ok, a	20,70.31	18,99.30
			vkfkd l ok, a	95,50.21	87,16.91

¹ वेतन, राजसहायता तथा सहायता अनुदान की राशियाँ, समेकित राशि दर्शाने हेतु, सभी क्षेत्रों की एकत्रित की गई हैं। इस विवरण पत्रक में सामान्य, सामाजिक तथा आर्थिक सेवाएं क्षेत्रों के व्यय के अंतर्गत वेतन, राजसहायता तथा सहायता अनुदान (पाद टिप्पणी-2 में स्पष्ट की गई) को शामिल नहीं किया गया है।

² सरकार द्वारा सांविधिक निगमों, कंपनियों, स्वायत्त निकायों, स्थानीय निकायों इत्यादि को दी गई सहायता अनुदान शामिल है। ये अनुदान स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन से भिन्न है।

³ e[; 'kh"z 3604&LFkuh; fudk; ka rFkk i pk; rh jkt l LFkvka dks {kfrir/ rFkk l eups ku को छोड़कर लघुशीर्ष 191, 192, 193, 196, 197, 198 तथा उद्देश्य शीर्ष 42 सहायता अनुदान का योग सम्मिलित है।

⁴ वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में "आर्थिक क्षेत्र सेवाएं" के अन्तर्गत वेतन राशि के रूप में क्रमशः ₹ 2,30.08 करोड़ तथा ₹ 2,35.44 करोड़ सम्मिलित है।

⁵ वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में सहायता अनुदान की राशि ₹ 39.39 करोड़ (₹ 1.75 करोड़ सामाजिक क्षेत्र में तथा ₹ 37.64 करोड़ आर्थिक क्षेत्र में) एवं ₹ 3,49.83 करोड़ (₹ 3,00.14 करोड़ सामाजिक क्षेत्र एवं ₹ 49.69 करोड़ आर्थिक क्षेत्र में) सम्मिलित है। पूंजीगत परिव्यय शीर्षों के अन्तर्गत सहायक अनुदान का प्रावधान करने विषयक राज्य शासन को लिखा गया है।

fooj.k i=d l q; k 2 – जारी

(₹ करोड़ में)

i kflr; k;			l forj.k		
	2014&15	2013&14		2014&15	2013&14
__ .k rFkk vfxæka dh ol ify; k;	67,65.05	93.22	__ .k rFkk vfxæ l forfjr	1,25,34.61	50,77.52
l kekl; l ok, a	निरंक	निरंक	l kekl; l ok, a	0.10	6.28
l kekf t d l ok, a	निरंक	निरंक	l kekf t d l ok, a	10.19	67.61
vkfFKkd l ok, a	निरंक	निरंक	vkfFKkd l ok, a	1,25,24.32	50,03.56
			vu;	निरंक	0.07
ykcd __ .k i kflr; k;	1,50,68.71	95,40.82	ykcd __ .k dk i qHkkrku	49,20.52	40,04.65
आंतरिक ऋण ⁶ (बाजार ऋण इत्यादि)	1,36,96.48 ^(क)	83,28.38 ^(ख)	आंतरिक ऋण (बाजार ऋण इत्यादि)	40,83.90 ^(ग)	32,42.63 ^(घ)
भारत सरकार से ऋण	13,72.23	12,12.44	भारत सरकार से ऋण	8,36.62	7,62.02
अन्तर्राज्यीय परिशोधन	0.91	2.44	अन्तर्राज्यीय परिशोधन	0.98	2.36
—	--	--	आकस्मिक निधि को अंतरण	3,00.00	निरंक
dy i kflr; k; l e f d r f u f / k	11,05,03.18	8,54,21.70	dy 0; ; & l e f d r f u f / k	11,20,06.61	8,97,66.81
l e f d r f u f / k e a ? k k V k	15,03.43	43,45.11	l e f d r f u f / k e a v k f / k D ;	f u j a d	f u j a d
Hkx&II vkdfLedrk fuf/k					
vkdfLedrk fuf/k	3,00.00	f u j a d	vkdfLedrk fuf/k	1-08	f u j a d
Hkx&III ykcd ys[kk ⁷					
y?kq cpra	31,43.44	27,84.03	y?kq cpra	21,81.13	18,36.27
vkj f { k r , o a l e f d r ' k k s ' k u f u f / k	11,72.26	16,12.01	vkj f { k r , o a ' k k s ' k u f u f / k	10,30.67	6,43.94
tek	1,61,68.34	97,65.19	tek	1,55,56.66	1,02,54.81
vfxæ	1,80.23	6,03.66	vfxæ	1,73.48	6,02.78
mpar , o a f o f o / k	17,06,42.92	19,88,81.38	mpar , o a f o f o / k ⁸	17,10,77.63	19,58,13.02
i s'k . k	1,35,31.91	1,56,02.17	i s'k . k	1,35,88.93	1,53,16.54
; k s & y k c d y s [k k i k f l r ; k ;	20,48,39.10	22,92,48.44	; k s & y k c d y s [k k l f o r j . k	20,36,08.50	22,44,67.36
ykcd ys[kk e a ? k k V k	f u j a d	f u j a d	ykcd ys[kk e a v k f / k D ;	12,30.60	47,81.08
i k j a H k d j k s d M + ' k s'k	1,73.22	(-) 2,62.75	v f r e j k s d M + ' k s'k	1,99.32	1,73.22
j k s d M + ' k s'k e a o f)	26.10	4,35.97	j k s d M + ' k s'k e a d e h	f u j a d	f u j a d

⁶ आंतरिक ऋण में राष्ट्रीय अल्प बचत निधि (NSSF) से संबंधित प्राप्तियां (क) ₹ 19,13.87 करोड़ (ख) ₹ 19,96.40 करोड़ और संवितरण (ग) ₹ 7,30.10 करोड़ (घ) ₹ 7,26.56 करोड़ सम्मिलित हैं।

⁷ विवरण हेतु कृपया खंड-II का विवरण संख्या-21 देखें।

⁸ 'उच्चत तथा विविध' में 'अन्य लेखे' यथा रोकड़ शेष निवेश लेखा (e[; 'kh"l 8673) इत्यादि सम्मिलित हैं। इन अन्य लेखाओं में आंकड़े वृहद रूप में परिलक्षित होते हैं। कृपया विस्तृत विवरण, विवरण संख्या 21 में देखें।

fooj.k i=d l a[; k 2 – जारी
fooj.k i=d l a[; k 2 dk vuqYud
jkcdM+ 'ks'kka vkj jkcdM+ 'ks'kka dk fuos k

(₹ करोड़ में)

I jdkj dh I Ei w kZ jkcdM+ fLFkfr	31 ekpZ 2015 dks	31 ekpZ 2014 dks
d& I kekl; jkcdM+ 'ks'k &		
(i) खजानों में रोकड़	निरंक	निरंक
(ii) रिजर्व बैंक में जमा ^(क) eq[; 'kh"Z 8999	1,99.32 ^{(ख)(ग)}	1,73.22
(iii) अन्य बैंकों में जमा	निरंक	निरंक
(iv) स्थानीय प्रेषण	निरंक	निरंक
; ksx	1,99.32	1,73.22
(v) रोकड़ शेष में किया गया निवेश eq[; 'kh"Z 8673	47,91.31	38,99.14
; ksx & d & I kekl; jkcdM+ 'ks'k	49,90.63	40,72.36
[k& vU; jkcdM+ 'ks'k vkj fuos k &		
(vi) विभागीय रोकड़ शेष	7.02	2.57
(vii) स्थाई अग्रिम	0.84	0.83
(viii) चिह्नित निधियों से निवेश	4,03.47	4,01.27
; ksx & [k & vU; jkcdM+ 'ks'k vkj fuos k	4,11.33	4,04.67
; ksx & d \$ [k	54,01.96	44,77.03

0; k[; kRed fVli .kh

- (क) jkcdM+ rFkk jkcdM+ I erV; % रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्य के अन्तर्गत खजानों में रोकड़ तथा भारतीय रिजर्व बैंक तथा अन्य बैंकों में जमा तथा मार्गस्थ प्रेषण, जैसा कि ऊपर वर्णन किया गया है, सम्मिलित है। भारतीय रिजर्व बैंक में जमा शीर्ष के अन्तर्गत शेष, वर्ष के अंत में समेकित निधि, आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखा के संयुक्त शेष को दर्शाते हैं। रोकड़ की समग्र स्थिति पर पहुंचने के लिये खजानों, विभागों में रोकड़ शेष तथा रोकड़ शेष/आरक्षित निधियों इत्यादि से निवेश को "रिजर्व बैंक में जमा" के शेषों में जोड़ा जाता है।

(क) 15 अप्रैल, 2015 तक भारतीय रिजर्व बैंक को सूचित वित्तीय वर्ष 2014-15 से संबंधित "रिजर्व बैंक में जमा" शीर्ष के अंतर्गत शेष अंतर-सरकार मौद्रिक व्यवस्थापन को लेखे में शामिल करने के उपरांत है।

(ख) दिनांक 31.10.2000 को भारतीय रिजर्व बैंक तथा महालेखाकार की पुस्तकों में ₹ 0.27 करोड़ के अंतर को अनंतिम रूप से आवंटित मध्यप्रदेश (₹ 0.05 करोड़) तथा छत्तीसगढ़ (₹ 0.22 करोड़) को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उत्तरवर्ती मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के मध्य जनसंख्या अनुपात (485.7 : 176.2) में परिशोधित किया जाना है।

(ग) "भारतीय रिजर्व बैंक में जमा" के अंतर्गत लेखाओं में दर्शित ₹ 1,99.32 करोड़ (नामे) और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित ₹ 1,39.73 करोड़ (जमा) के मध्य आंकड़ों में मार्च, 2015 के लेखे बंद होने पर ₹ 59.59 करोड़ (नामे) का अंतर था। जून 2015 के लेखाओं के बंद होने के उपरांत ₹ 87.37 करोड़ (नामे) का शुद्ध अंतर समाधान के लिये शेष था। रिजर्व बैंक में जमा में अन्तर एजेन्सी बैंक द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक तथा कोषालय अधिकारी को लेन-देनों को, लेखों में, गलत प्रतिवेदित करने के कारण है।

fooj.k i=d l a; k 2 & जारी

fooj.k i=d l a; k 2 dk vuqyXud & जारी

- (ख) nfud jkdM+ 'k'k % रिजर्व बैंक के साथ किए गए अनुबंध के अनुसार राज्य सरकार को बैंक में ₹ 1.96 करोड़ न्यूनतम शेष रखना होता है। यदि यह शेष राशि अनुबंध के अनुसार निश्चित न्यूनतम शेष राशि से किसी भी दिन कम होती है, उस कमी की पूर्ति समय-समय पर साधारण एवं विशेष अर्थोपाय अग्रिम, अधिविकर्षण लेकर की जाती है।

दैनिक रोकड़ शेष^(क) बनाये रखने हेतु अर्थोपाय अग्रिम/अधिविकर्षण को मंजूर करने के प्रयोजन से भारतीय रिजर्व बैंक उस दिन के लिये प्रतिवेदित लेन-देन (भारतीय रिजर्व बैंक काउण्टर पर, अंतर सरकार लेन-देन तथा खजाना लेन-देन एजेंसी बैंक द्वारा प्रतिवेदित) के साथ 14 दिवसीय कोषालय देयकों की धारिता का मूल्यांकन करता है। 14 दिवसीय कोषालय देयक की परिपक्वता पर यदि कोई हो, जो रोकड़ शेष प्राप्त होता है, उसे जोड़ा जाता है तथा आधिक्य शेष यदि कोई हो, न्यूनतम रोकड़ शेष को बनाये रखने के पश्चात उसे खजाना बिलों में पुनर्निवेशित किया जाता है। यदि निकाला गया निवल रोकड़ शेष न्यूनतम रोकड़ शेष से कम होता है या जमा अवशेष में आता है और यदि उस दिन कोई भी 14 दिवसीय कोषालय देयक परिपक्व नहीं हो रहा है, भारतीय रिजर्व बैंक 14 दिवसीय कोषालय देयक की धारिता की कटौती करता है और कमी को पूरा कर दिया जाता है। यदि उस दिन 14 दिवसीय खजाना देयक की धारिता नहीं है, राज्य सरकार अर्थोपाय अग्रिम/विशेष अर्थोपाय अग्रिम/अधिविकर्ष के लिये आवेदन करती है।

वर्ष 2014-15 के दौरान अर्थोपाय एवं अग्रिम पर ब्याज की प्रभावी दरें निम्नानुसार थीं :-

vuqdt	ukedj.k	nj
1.	अर्थोपाय अग्रिम (साधारण)	
	(क) 90 दिन तक	रेपो दर
	(ख) 90 दिन से अधिक	रेपो दर + 1
2.	अर्थोपाय अग्रिम (विशेष)	रेपो दर - 1
3.	कमी	रेपो दर
4.	अधिविकर्षण	
	(क) अर्थोपाय अग्रिम (साधारण) के 100 प्रतिशत तक	रेपो दर + 2
	(ख) अर्थोपाय अग्रिम (साधारण) के 100 प्रतिशत से अधिक	रेपो दर

वर्ष 2014-15 के दौरान रेपोरेट 8.00 से 7.50 प्रतिशत तक परिवर्तनशील रही।

राज्य सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक के साथ 2014-15 के दौरान न्यूनतम शेष राशि को बनाये रखने में कहां तक समर्थ थी, यह नीचे दर्शाया गया है :-

(i)	दिनों की संख्या, जब न्यूनतम शेष बिना अग्रिम लिए बनाये रखा गया	365
(ii)	दिनों की संख्या, जब न्यूनतम शेष साधारण अर्थोपाय अग्रिम लेकर बनाए रखा गया	निरंक
(iii)	दिनों की संख्या, जब न्यूनतम शेष विशेष अर्थोपाय अग्रिम लेकर बनाए रखा गया	निरंक
(iv)	दिनों की संख्या, जब उपरोक्त अग्रिमों का उपयोग करने पर न्यूनतम शेष में कमी थी, किन्तु कोई अधिविकर्षण नहीं लिया गया	निरंक
(v)	दिनों की संख्या जब अधिविकर्षण लिया गया	निरंक

^(क) उपरोक्त नकदी शेष (भारतीय रिजर्व बैंक में जमा) वर्ष के 31 मार्च की स्थिति में संवरित नकदी शेष है परन्तु 15 अप्रैल को निकाला गया है तथा 31 मार्च का साधारण दैनिक शेष नहीं है।

fooj.k i=d l ;k 2 & समाप्त

fooj.k i=d l ;k 2 dk vuyXud & समाप्त

भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त किए गए अर्थोपाय अग्रिमों तथा उन पर भुगतान किए गए ब्याज के संबंध में लेन-देनों का विस्तृत लेखा नीचे दिया गया है :-

₹ djkM+e½

fooj.k	1 vi ½ 2014 dks 'k½k	2014&15 ds nk½ ku i½lr dh x½l j½k'k	2014&15 ds nk½ ku p½k½l x½l j½k'k	31 e½p½ 2015 dks 'k½k	2014&15 ds nk½ ku H½k½rku fd; k x; k C; kt
साधारण अर्थोपाय अग्रिम	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
विशेष अर्थोपाय अग्रिम	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
अधिविकर्षण	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
	; k½x	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक

31 मार्च 2015 को सामान्य रोकड़ शेष से किए गए निवेशों के ब्यौरे निम्न हैं :-

₹ djkM+e½

i½rH½k½r dk i½dkj	j½k'k
(1) भारत सरकार के खजाना बिल	47,91.06
(2) भारत सरकार की प्रतिभूतियाँ	0.25
	; k½x
	47,91.31

वर्ष के दौरान उपरोक्त निवेशों पर ₹ 1,49.91 करोड़ (अल्प अवधि की प्रतिभूतियों पर ₹ 1,49.89 करोड़ एवं दीर्घ अवधि की प्रतिभूतियों पर ₹ 0.02 करोड़) का ब्याज प्राप्त हुआ। जबकि 2013-14 के दौरान ₹ 2,41.47 करोड़ (अल्प अवधि की प्रतिभूतियों पर ₹ 2,41.45 करोड़ एवं दीर्घ अवधि की प्रतिभूतियों पर ₹ 0.02 करोड़) था।

Vhi % सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, अन्य संयुक्त पूंजी कम्पनियों, सहकारी बैंकों और समितियों के अंशों/ऋण पत्रों में किए गए निवेशों के ब्यौरे विवरण संख्या-8 एवं 19 में दिए गए हैं। उद्दिष्ट रक्षित निधियों से निवेशित राशियाँ विवरण संख्या-22 में दर्शाई गई हैं।

3 % i kflr; k dk fooj.k i =d ¼ efdr fuf/k½

₹ djkm+edk

	fooj.k	okLrfod	
		2014&15	2013&14
I-	dj , oa djrj jktLo		
d	dj jktLo		
d-1	Lo; a dk dj jktLo	3,65,67.12	3,35,52.16
	भू-राजस्व	2,43.10	3,66.23
	स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क	38,92.77	34,00.00
	राज्य उत्पाद शुल्क	66,95.54	59,07.39
	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	1,81,35.96	1,66,49.85
	माल तथा यात्रीकर	26,86.39	25,78.74
	वाहन कर	18,23.84	15,98.93
	अन्य	30,89.52	30,51.02
d-2	l ½k djka , oa 'k½d ds 'k½ vkxe dk Hkkx	2,41,06.99	2,27,15.27
	निगम कर	84,18.33	76,39.46
	निगम कर से भिन्न आय पर कर	60,11.49	50,30.36
	आय एवं व्यय पर अन्य कर	0.20	निरंक
	धन कर	22.73	20.98
	सीमा शुल्क	38,98.81	37,06.24
	संघ उत्पाद शुल्क	22,01.53	26,17.64
	सेवा कर	35,53.91	37,00.60
	वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	(-) 0.01 ^(क)	(-) 0.01
	; kx & d	6,06,74.11	5,62,67.43
[k	djrj jktLo		
	शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति	32,76.10	20,08.49
	अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	28,13.66	23,06.17
	वानिकी तथा वन्य प्राणी	9,68.77	10,36.80
	लघु सिंचाई	2,99.77	2,19.37
	ब्याज प्राप्तियाँ	12,60.65	3,17.85
	विविध सामान्य सेवाएं	2,22.37	33.69
	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	1,40.21	3,80.22
	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	1,20.16	57.76
	अन्य सामाजिक सेवाएं	1,02.75	42.22

(क)

ऋणात्मक लेन-देन, आर्थिक मामलों के विभाग वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली, द्वारा वसूली किये जाने के कारण है।

fooj.k i=d l a; k 3 – जारी

(₹ djkm+e)

	fooj.k	okLrfod	
		2014&15	2013&14
I-	dj , oadjrj jktLo & समाप्त		
[k	djrj jktLo & समाप्त		
	शहरी विकास	1,00.62	35.72
	मध्यम सिंचाई	93.73	1,11.36
	पुलिस	93.50	71.92
	लाभांश तथा लाभ	80.35	3,78.72
	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	51.92	8.23
	लोक निर्माण कार्य	50.82	46.92
	मुख्य सिंचाई	43.82	27.12
	बिजली	3,81.23	378.66
	फसल कृषि-कर्म	38.06	27.76
	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	36.45	6.05
	पेंशन तथा अन्य सेवा निवृत्ति लाभों के संबंध में अंशदान तथा वसूली	36.21	31.62
	लेखन सामग्री तथा मुद्रण	25.24	22.24
	लोक सेवा आयोग	22.21	8.13
	आवास	20.35	17.19
	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	19.97	16.49
	श्रम तथा रोजगार	17.13	17.17
	सहकारिता	16.58	12.24
	उद्योग	15.42	49.21
	जलपूर्ति तथा सफाई	6.72	10.33
	मछली पालन	3.97	3.74
	जेल	3.87	3.53
	पशुपालन	3.43	4.90
	ग्राम तथा लघु उद्योग	3.04	1.77
	अन्य कृषि कार्यक्रम	2.84	3.41
	सड़क तथा सेतु	2.62	5.83
	पर्यटन	0.25	Nil
	खाद्य, भंडारण तथा भाण्डागार	0.20	1.84
	परिवार कल्याण	0.11	0.16
	सूचना तथा प्रचार	0.09	0.11
	अन्य उद्योग	0.04	0.01
	अन्य राजकोषीय सेवायें	--	0.04
	; ksx & [k	1,03,75.23	77,04.99

fooj.k i=d l d[; k 3 –जारी

(₹ djkM+e)

	fooj.k	okLrfod	
		2014&15	2013&14
II	Hkkjr l jdkj l s l gk; rk vuqku , oa va knku		
x	dlnh; l jdkj l s l gk; rk vuqku		
	; kstu djkj vuqku	44,25.31	35,40.25
	संविधान के अनुच्छेद 275(1) के परन्तुक के अंतर्गत अनुदान	20,78.74	26,39.54
	राज्य आपदा मोचन निधि के लिए अंशदान हेतु अनुदान	3,63.04	3,41.00
	राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि से अनुदान	83.13	5,02.59
	अन्य अनुदान	19,00.40	57.12
	j kT; @l ?k {ks= dh ; kst ukxr ; kst ukvka ds fy; s vuqku	90,10.60	55,35.77
	एक मुश्त (ब्लॉक) अनुदान (जिसमें से ई ए पी)	23,64.90	39,35.27
	संविधान के अनुच्छेद 275(1) के परन्तुक के अंतर्गत अनुदान	1,72.92	निरंक
	प्राकृतिक आपदा के कारण राहत के लिए अग्रिम आयोजना सहायता के रूप में अनुदान	निरंक	निरंक
	अन्य अनुदान	64,72.78	16,00.50
	dlnh; ; kst ukxr ; kst ukvka ds fy; s vuqku	12,62.92	1,52.71
	dlnz }kjk i dfr r ; kst ukxr ; kst ukvka ds fy; s vuqku	28,92.61	25,48.09
	; ks & x	1,75,91.44	1,17,76.82
	; ks & jktLo i kflr; k (d + [k + x)	8,86,40.78	7,57,49.24

fooj.k i =d l [; k 3 – समाप्त

₹ djkm+ e

	fooj.k	okLrfod	
		2014&15	2013&14
III	i wth] ykd __.k rFkk vU; i kflr; k;		
?k	fofo/k i wthxr i kflr; k;		
	विनिवेश आगम	22.22	25.54
	अन्य	5.51	10.44
	; ksx & ?k	27.73	35.98
3	ykd __.k i kflr; k;		
	vkrfjd __.k	1,36,96.48	83,28.38
	बाजार ऋण	1,03,00.00	50,00.00
	वित्तीय संस्थाओं से ऋण	14,82.61	13,31.98
	केन्द्रीय सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ	19,13.87	19,96.40
	अन्य ऋण	निरंक	निरंक
	केन्द्र सरकार से ऋण और अग्रिम	13,72.23	12,12.44
	योजनेतर ऋण	निरंक	निरंक
	राज्य योजनागत योजनाओं के लिये ऋण	13,72.23	12,12.44
	; ksx & 3	1,50,68.71	95,40.82
p	jkT; I jdkj }kjk fn; sx, __.k vkj vfxe vol fy; k ^(क)	67,65.05	93.22
N	vUrjkT; h; i fj' kks/ku	0.91	2.44
	; ksx&l efdr fuf/k ds vrxr dy i kflr; k; %d\$ [k\$X\$?k\$3\$P\$N%	11,05,03.18	8,54,21.70

(क) विस्तृत विवरण, खण्ड-1 में विवरण संख्या-7 एवं खण्ड-II में विवरण संख्या 18 में दिये गए हैं।

4 % 0; ; dk foj.k i =d ¼ efd r fuf/k½

d- dk; Z vk/kkfj r 0; ; %&

₹ d jkM+e½

	foj.k	jktLo	i thxr	__ .k , oa vfxe	; kx
d	I kekl; I ok, a				
d-1	jkT; ds v%k	10,60.46	fujd	fujd	10,60.46
	संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मण्डल	59.27	निरंक	निरंक	59.27
	राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति/राज्यपाल, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक	7.30	निरंक	निरंक	7.30
	मंत्रिपरिषद	56.53	निरंक	निरंक	56.53
	न्याय प्रशासन	5,90.32	निरंक	निरंक	5,90.32
	निर्वाचन	3,47.04	निरंक	निरंक	3,47.04
d-2	jktdk%k; I ok, a	92,06.61	fujd	fujd	92,06.61
	आय तथा व्यय पर करों का संग्रहण	0.12	निरंक	निरंक	0.12
	भू-राजस्व	4,86.40	निरंक	निरंक	4,86.40
	स्टाम्प तथा पंजीकरण	1,21.01	निरंक	निरंक	1,21.01
	राज्य उत्पाद शुल्क	12,34.90	निरंक	निरंक	12,34.90
	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	1,44.81	निरंक	निरंक	1,44.81
	वाहन कर	56.82	निरंक	निरंक	56.82
	वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	89.19	निरंक	निरंक	89.19
	अन्य राजकोषीय सेवाएं	2.11	निरंक	निरंक	2.11
	ब्याज अदायगियाँ	70,71.25	निरंक	निरंक	70,71.25
d-3	i z kkl fud I ok, a	52,45.01	2,57.16	fujd	55,02.17
	लोक सेवा आयोग	23.81	निरंक	निरंक	23.81
	सचिवालय-सामान्य सेवाएं	1,47.69	निरंक	निरंक	1,47.69
	जिला प्रशासन	4,45.09	निरंक	निरंक	4,45.09
	खजाना तथा लेखा प्रशासन	1,16.21	निरंक	निरंक	1,16.21
	पुलिस	36,19.35	96.57	निरंक	37,15.92
	जेल	2,25.26	निरंक	निरंक	2,25.26
	लेखन सामग्री तथा मुद्रण	46.17	निरंक	निरंक	46.17
	लोक निर्माण-कार्य	3,64.16	1,36.47	निरंक	5,00.63
	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	2,57.27	24.12	निरंक	2,81.39
d-4	i %ku r fkk ofo/k I kekl; I ok, a	68,53.03	fujd	0.10	68,53.13
	पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ	68,36.48	निरंक	निरंक	68,36.48
	विविध सामान्य सेवाएं	16.55	निरंक	0.10	16.65
	; kx&d&l kekl; I ok, a	2,23,65.11	2,57.16	0.10	2,26,22.37

fooj.k i=d l q; k 4 – जारी

d- dk; l vk/kkfjr 0; ; & जारी

(₹ करोड़ में)

	fooj.k	jktLo	iwthxr	— .k , Oa vfxæ	; ksx
[k	I kekftd l ok, a				
[k-1	f'k{kk} [kydin] dyk rFkk l dfr ^{kd/2}	1,62,22.33	3,21.91	5.00	1,65,49.24
	सामान्य शिक्षा	1,57,07.71	3,21.91	5.00	1,60,34.62
	तकनीकी शिक्षा	2,55.55	निरंक	निरंक	2,55.55
	खेलकूद तथा युवा सेवाएं	1,00.09	निरंक	निरंक	1,00.09
	कला एवं संस्कृति	1,58.98	निरंक	निरंक	1,58.98
[k-2	LokLF; rFkk ifjokj dY; k.k	45,21.34	2,40.48	fujd	47,61.82
	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	40,93.02	2,40.48	निरंक	43,33.50
	परिवार कल्याण	4,28.32	निरंक	निरंक	4,28.32
[k-3	tyi[r] l Okb] vkokl rFkk 'kgjh fodkl	32,77.10	10,90.43	5.19	43,72.72
	जलपूर्ति तथा सफाई	9,16.09	9,46.55	निरंक	18,62.64
	आवास	9,68.92	62.99	निरंक	10,31.91
	शहरी विकास	13,92.09	80.89	5.19	14,78.17
[k-4	l puk rFkk id kj .k	1,54.13	fujd	fujd	1,54.13
	सूचना तथा प्रचार	1,54.13	निरंक	निरंक	1,54.13
[k-5	vud fpr tkfr; k] vud fpr tutkfr; ka rFkk vU; fi NM; oxka dk dY; k.k	22,14.12	2,95.36	fujd	25,09.48
	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	22,14.12	2,95.36	निरंक	25,09.48
[k-6	Jfed rFkk Je dY; k.k	3,30.66	fujd	fujd	3,30.66
	श्रम तथा रोजगार	3,30.66	निरंक	निरंक	3,30.66
[k-7	l ekt dY; k.k rFkk ik'k.k	52,27.02	1,00.99	fujd	53,28.01
	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	20,51.31	1,00.99	निरंक	21,52.30
	पोषण	11,04.44	निरंक	निरंक	11,04.44
	प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत	20,71.27	निरंक	निरंक	20,71.27
[k-8	vU;	1,20.45	21.14	fujd	1,41.59
	अन्य सामाजिक सेवाएं	93.92	21.14	निरंक	1,15.06
	सचिवालय – सामाजिक सेवाएं	26.53	निरंक	निरंक	26.53
	; ksx & [k&l kekftd l ok, a	3,20,67.15	20,70.31	10.19	3,41,47.65

(क) पूंजीगत लेखा तथा ऋण और अग्रिम के अंतर्गत शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति नामक एकल मुख्य शीर्ष है।

fooj.k i=d l a; k 4 -जारी

d- dk; l vk/kkfjr 0; ; & जारी

₹ djkm+e

	fooj.k	jktLo	inthr	_.k , oa vfxe	; kx
x	vkfFkd l ok, a				
x-1	df"k rFkk l Ec) dk; dyki	82,90.59	1,71.40	3,92.41	88,54.40
	फसल कृषि-कर्म	26,36.92	73.28	निरंक	27,10.20
	मृदा तथा जल संरक्षण	62.73	निरंक	निरंक	62.73
	पशुपालन	6,87.93	15.79	निरंक	7,03.72
	मछली पालन	61.80	0.13	निरंक	61.93
	वानिकी तथा वन्य प्राणी	22,15.57	54.51	निरंक	22,70.08
	खाद्य, भंडारण तथा भाण्डागार	22,31.98	निरंक	1,37.79	23,69.77
	कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा	1,38.86	निरंक	निरंक	1,38.86
	सहकारिता	2,54.80	27.69	2,54.62	5,37.11
x-2	xkeh.k fodkl	66,17.11	12,48.89	fujd	78,66.00
	ग्रामीण विकास के लिये विशेष कार्यक्रम	8,35.59	निरंक	निरंक	8,35.59
	ग्रामीण रोजगार	30,65.69	निरंक	निरंक	30,65.69
	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	27,15.83	12,48.89	निरंक	39,64.72
x-3	fl pkbz rFkk ck<+fu; a.k	8,45.20	41,27.17	fujd	49,72.37
	बृहद् सिंचाई	1,28.28	25,61.89	निरंक	26,90.17
	मध्यम सिंचाई	5,80.36	5,22.52	निरंक	11,02.88
	लघु सिंचाई	1,30.71	9,42.32	निरंक	10,73.03
	कमान क्षेत्र विकास	5.85	93.46	निरंक	99.31
	बाढ़ नियंत्रण तथा जल निकासी	निरंक	6.98	निरंक	6.98
x-4	uktz	51,05.75	9,10.39	1,18,39.75	1,78,55.89
	विद्युत	50,91.32	9,10.39	1,18,39.75	1,78,41.46
	अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत	14.43	निरंक	निरंक	14.43
x-5	m kx rFkk [kfu t	12,86.49	1,36.47	2,92.16	17,15.12
	ग्राम तथा लघु उद्योग	3,17.99	97.90	42.16	4,58.05
	उद्योग	6,62.88	निरंक	निरंक	6,62.88
	अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	3,05.62	0.46	निरंक	3,06.08
	अन्य उद्योग	निरंक	33.11	निरंक	33.11
	उद्योग तथा खनिजों पर अन्य परिव्यय	निरंक	5.00	निरंक	5.00
	पेट्रो केमिकल उद्योग	निरंक	निरंक	2,50.00	2,50.00
x-6	ifjogu	12,88.35	28,74.78	fujd	41,63.13
	नागर विमानन	0.04	28.72	निरंक	28.76
	सड़क तथा सेतु	12,88.31	28,46.06	निरंक	41,34.37

fooj.k i =d l [; k 4 –जारी

d- dk; l vk/kkfjr 0; ; & समाप्त

₹ djkm+e#

	fooj.k	jktLo	i wthxr	_.k , Oa vfxe	; ksx
x-7	foKku] i k\$ kfxdh rFkk i ; kbj .k	1,06.09	20.89	fujd	1,26.98
	अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	1,06.09	20.89	निरंक	1,26.98
x-8	I kekl; vkfFkd I ok, a	1,75.54	60.22	fujd	2,35.76
	सचिवालय – आर्थिक सेवाएं	26.43	निरंक	निरंक	26.43
	पर्यटन	66.32	60.05	निरंक	1,26.37
	जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी	65.58	निरंक	निरंक	65.58
	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	17.21	0.17	निरंक	17.38
	; ksx & x & vkfFkd I ok, a	2,37,15.12	95,50.21	1,25,24.32	4,57,89.65
?k	I gk; rk vuqku rFkk vanku				
	स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन	42,25.44	निरंक	निरंक	42,25.44
	; ksx&LFkkuh; fudk; ka rFkk i pk; rh jkt I LFkkvka dks {kfr i fir l rFkk I euqns ku	42,25.44	fujd	fujd	42,25.44
p	I jdkjh depkfj ; ka dks _.k vkfn				
	सरकारी कर्मचारियों को ऋण आदि	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
	; ksx&I jdkjh depkfj ; ka dks _.k vkfn	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
3	ykd _.k				
	राज्य सरकार का आंतरिक ऋण	निरंक	निरंक	40,83.90	40,83.90
	केन्द्र सरकार से ऋण और अग्रिम	निरंक	निरंक	8,36.62	8,36.62
	; ksx& ykd _.k	fujd	fujd	49,20.52	49,20.52
	; ksx&_.k] I gk; rk vuqku rFkk vanku	42,25.44	fujd	49,20.52	91,45.96
N	vUrkZ; h; i fj 'kksku	fujd	fujd	0.98	0.98
t	vkdfLedrk fuf/k dks fofu; ksx	fujd	fujd	3,00.00	3,00.00
	; ksx & I efdR fuf/k ds varxR 0; ;	8,23,72.82	1,18,77.68	1,77,56.11	11,20,06.61

fooj.k i=d l d; k 4 -जारी

[k % i dfr vuq kj 0; ;

₹ djkM+e

mnns; 'kh"z	0; ; dk mls ;	2014-15			2013-14		
		jktLo	i wthxr	; ksx	jktLo	i wthxr	; ksx
11	वेतन	1,84,89.66	2,35.43	1,87,25.09	1,71,03.24	2,30.08	1,73,33.32
12	मजदूरी	12,00.84	70.89	12,71.73	9,50.61	77.10	10,27.71
13	पेशन तथा पेंशन योग्य हितलाभ	66,26.44	निरंक	66,26.44	57,99.47	निरंक	57,99.47
14	पुरस्कार, पारितोषिक, सम्मान	16.21	निरंक	16.21	4.74	निरंक	4.74
15	सामाजिक सुरक्षा पेंशन	1,89.15	निरंक	1,89.15	1,86.52	निरंक	1,86.52
16	वेतन, भत्ते - अखिल भारतीय सेवाएं	87.24	1.43	88.67	79.84	1.19	81.03
18	राज्यपाल, उच्च न्यायालय, न्यायालय, लोकायुक्त, अभि-करण, राज्य चुनाव एवं सूचना आयोग के वेतन एवं भत्ते	1,56.24	निरंक	1,56.24	1,42.94	निरंक	1,42.94
19	कार्यभारित / आकस्मिक कर्मचारियों का वेतन	9,26.51	68.21	9,94.72	निरंक	निरंक	निरंक
21	यात्रा भत्ता	1,85.89	3.67	1,89.56	1,63.88	4.94	1,68.82
22	कार्यालय व्यय	7,60.17	4.47	7,64.64	6,85.49	11.92	6,97.41
23	वाहनों का क्रय	26.26	निरंक	26.26	21.77	निरंक	21.77
24	परीक्षा तथा प्रशिक्षण	1,46.09	6.36	1,52.45	1,06.94	22.05	1,28.99
31	पेशेवर सेवाओं के लिये भुगतान	11,85.07	7.72	11,92.79	11,43.96	15.50	11,59.46
32	लघु निर्माण कार्य	1,66.26	8,40.64	10,06.90	2,13.70	10,09.91	12,23.61
33	अनुरक्षण	13,98.79 ^(क)	8.04	14,06.83	16,82.55 ^(क)	5.79	16,88.34
34	सामग्री एवं आपूर्ति	30,58.44	38.84	30,97.28	31,18.29	51.63	31,69.92
35	विज्ञापन तथा प्रचार	1,49.77	निरंक	1,49.77	1,71.50	निरंक	1,71.50
41	शिष्यवृत्ति एवं छात्रवृत्ति	13,12.05	निरंक	13,12.05	11,56.07	0.01	11,56.08
42	सहायक अनुदान	2,71,11.28 ^{(ख)(ग)}	3,49.83	2,74,61.11	2,05,45.59 ^{(ख)(ग)}	39.39	2,05,84.98

(क) यह परिशिष्ट-X "राज्य के अनुरक्षण व्यय का विवरण पत्रक" के नीचे दर्शाए गए राजस्व अनुभाग के योग से नहीं मिलते हैं क्योंकि परिशिष्ट-X में केवल निर्माण विभाग से संबंधित मुख्यशीर्षों के आंकड़े लिये गये हैं।

(ख) उद्देश्य शीर्ष 42-सहायक अनुदान एवं eq; 'kh"z 3604&LFkkuh; fudk; ka rFkk ipk; rh jkt l LFkkvka dks {kfrirz rFkk l eupsku का योग शामिल है, परन्तु लघु शीर्ष 191, 192, 193, 196, 197 एवं 198 के अन्तर्गत भुगतान किए गए सहायक अनुदान की राशि शामिल नहीं है।

(ग) उप विस्तृत शीर्ष 45 पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु सहायता अनुदान की राशि शामिल नहीं है।

fooj.k i =d l d ; k 4 – समाप्त

[k % i dfr vud kj 0; ; & समाप्त

₹ d j k M + e h

mnns ; 'kh"KZ	0; ; dk mls ;	2014-15			2013-14		
		jktLo	i wthxr	; kx	jktLo	i wthxr	; kx
43	अंशदान	2,52.60	25.48	2,78.08	1,87.86	1,01.04	2,88.90
44	राजसहायता	99,53.77	निरंक	99,53.77	65,67.21	निरंक	65,67.21
45	पूँजीगत परिसम्पत्तियों के निर्माण के लिये सहायक अनुदान	5,71.95	60.16	6,32.11	निरंक	निरंक	निरंक
51	अन्य प्रभार	5,47.88	2,64.02	8,11.90	6,09.40	3,34.51	9,43.91
52	ब्याज/लाभांश का भुगतान	71,18.53	निरंक	71,18.53	64,33.31	निरंक	64,33.31
54	क्षतिपूर्ति	2,06.94	निरंक	2,06.94	2,03.49	0.30	2,03.79
55	उचंत	3.05	0.27	3.32	11.93	निरंक	11.93
56	गुप्तचर सेवा व्यय	5.16	निरंक	5.16	निरंक	निरंक	निरंक
58	कर तथा स्वत्व शुल्क का भुगतान	78.29	निरंक	78.29	88.53	निरंक	88.53
59	मुद्रांक पत्रों के मुद्रण पर व्यय	18.04	निरंक	18.04	28.41	निरंक	28.41
61	सर्वेक्षण, जाँच तथा डिजाइन करना एवं विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करना	0.30	47.00	47.30	0.22	35.45	35.67
62	भूमि तथा भवन का क्रय	20.30	90.12	1,10.42	7.22	94.77	1,01.99
63	मशीनरी	2,91.12	30.13	3,21.25	1,96.81	18.02	2,14.83
64	बृहद् निर्माण कार्य	3.23	84,14.48	84,17.71	निरंक	79,38.63	79,38.63
65	निवेश	निरंक	9,06.74	9,06.74	निरंक	7,44.29	7,44.29
68	वार्षिक वृत्ति (एन्यूटी)	निरंक	4,00.43	4,00.43	निरंक	निरंक	निरंक
73	अंतर लेखा अंतरण	10,98.97	निरंक	10,98.97	15,67.88	निरंक	15,67.88
74	वसूलियाँ	(-) 10,40.14	(-) 0.02	(-) 10,40.16	(-) 5,10.24	(-) 1,53.34	(-) 6,63.58
	अन्य	50.47	3.33	53.80	12,00.63	2,29.34	14,29.97
	; kx	8,23,72.82	1,18,77.67	9,42,50.49	6,98,69.76	1,08,12.52	8,06,82.28

5 & ixkeh i thxr 0; ; dk foj.k i=d

ed; 'khi"KZ	foj.k	2013&14 ds nkj ku 0; ;	2013&14 rd dk ixkeh 0; ;	2014&15 ds nkj ku 0; ;	2014&15 rd dk ixkeh 0; ;	₹ djkM+e% ifr'kr of) %\$%@deh %&½
d	I kekl; I okvka dk i thxr ys[kk &					
4055	पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	58.03	3,39.78	96.57	4,36.35	66
4058	लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूंजीगत परिव्यय	0.06	2.74	निरंक	2.74	(-) 100
			10.11		10.11	
4059	लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	1,14.87	12,94.16	1,36.47	14,30.63	19
			17.75		17.75	
4070	अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	23.35	54.09	24.12	78.21	3
			0.19		0.19	
	; ks & d & I kekl; I okvka dk i thxr ys[kk	1,96.31	16,90.77	2,57.16	19,47.93	31
			28.05		28.05	
[k	I kekl; I okvka dk i thxr ys[kk &					
	(क) शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति का पूंजीगत लेखा –					
4202	शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	1,31.60	16,82.91	3,21.91	20,04.82	145
			3,59.25		3,59.25	
	; ks & (क) – शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति का पूंजीगत लेखा	1,31.60	16,82.91	3,21.91	20,04.82	145
			3,59.25		3,59.25	
	(ख) स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण का पूंजीगत लेखा –					
4210	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	1,66.01	13,24.41	2,40.48	15,64.89	45
			51.71		51.71	
4211	परिवार कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	निरंक	26.09	निरंक	26.09	निरंक
			37.46		37.46	
	; ks & (ख) – स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण का पूंजीगत लेखा	1,66.01	13,50.50	2,40.48	15,90.98	45
			89.17		89.17	
	(ग) जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास का पूंजीगत लेखा –					
4215	जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय	7,56.86	55,57.56	9,46.55	65,04.11	25
			11.58		11.58	
4216	आवास पर पूंजीगत परिव्यय	72.71	2,70.02	62.99	3,33.01	(-) 13
			1,27.35		1,27.35	
4217	शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	95.56	12,11.81	80.89	12,92.70	(-) 15
			34.64		34.64	
	; ks & %x½ & tyi[r] I Okb] vkokl rFkk 'kgjh fodkl dk i thxr ys[kk	9,25.13	70,39.39	10,90.43	81,29.82	18
			1,73.57		1,73.57	

- Vhi %&
1. इस विवरण पत्रक में मोटे अंक एकीकृत म.प्र. राज्य के शेषों को दर्शाते हैं, जिनका म.प्र. पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अंतर्गत म.प्र. एवं छत्तीसगढ़ राज्य के मध्य आवंटन किया जाना है।
 2. शीर्ष वल; dk; ₹ , d djkM+, oade ykxr ds (अब पुनरीक्षित सीमा ₹ पांच करोड़ एवं कम) से संबंधित शेषों का मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के मध्य विभाजन करने के कारण दिनांक 01.04.2014 को शेष पुनरीक्षित किए गए हैं।

fooj.k l d[; k 5 & जारी

₹ djkM+e

ef[; 'kh"z	fooj.k	2013&14 ds nkj ku 0; ;	2013&14 rd dk i xkeh 0; ;	2014&15 ds nkj ku 0; ;	2014&15 rd dk i xkeh 0; ;	i fr'kr of) %\$%@deh %&½
[k	I kekftd l okvka dk i wthxr ys[kk & समाप्त (घ) सूचना तथा प्रसारण का पूंजीगत लेखा –					
4220	सूचना तथा प्रचार पर पूंजीगत परिव्यय	निरंक	0.16	निरंक	0.16	निरंक
	; ksx & %k½ & l upuk rFkk id kj.k dk i wthxr ys[kk	निरंक	3.14	निरंक	3.14	निरंक
	(ङ) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण का पूंजीगत लेखा –					
4225	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	3,43.38	30,64.83	2,95.36	33,60.19	(-) 14
	; ksx & %¾ & vud fpr tkfr; kq vud fpr tutkfr; ka rFkk vU; fi NM% oxka ds dY; k.k dk i wthxr ys[kk	3,43.38	5,32.03	2,95.36	5,32.03	(-) 14
	(च) समाज कल्याण तथा पोषण का पूंजीगत लेखा –					
4235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	3,27.99	7,63.12	1,00.99	8,64.11	(-) 69
	; ksx & %0½ & l ekt dY; k.k rFkk i k%k.k dk i wthxr ys[kk	3,27.99	2,30.12	1,00.99	2,30.12	(-) 69
	(छ) अन्य समाज सेवाओं का पूंजीगत लेखा –					
4250	अन्य सामाजिक सेवाएं पर पूंजीगत परिव्यय	5.19	62.54	21.14	83.68	307
	; ksx & %N½ & vU; l ekt l okvka dk i wthxr ys[kk	5.19	13.98	21.14	13.98	307
	योग – ख – सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा	18,99.30	14,01.26	20,70.31	14,01.26	9

fooj.k l d; k 5 & जारी

₹ djkM+e%

ed; 'kh"Kz	fooj.k	2013&14 ds nkj ku 0; ;	2013&14 rd dk i xkeh 0; ;	2014&15 ds nkj ku 0; ;	2014&15 rd dk i xkeh 0; ;	ifr'kr of) %\$%@deh %&%
x	vkfFkd l okvka dk i thxr ys[kk & (क) कृषि तथा संबद्ध कार्यकलाप का पूंजीगत लेखा –					
4401	फसल कृषि-कर्म पर पूंजीगत परिव्यय	21.56	4,18.99	73.28	4,92.27	241
			27.53		27.53	
4402	मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय	निरंक	1,04.40	निरंक	1,04.40	निरंक
			1,18.14		1,18.14	
4403	पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय	22.06	42.22	15.79	58.01	(-) 28
			6.90		6.90	
4404	डेरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	निरंक	0.98	निरंक	0.98	निरंक
			6.15		6.15	
4405	मछली पालन पर पूंजीगत परिव्यय	0.30	10.66	0.13	10.79	(-) 57
			1.01		1.01	
4406	वानिकी तथा वन्य प्राणियों पर पूंजीगत परिव्यय	92.93	3,31.34	54.51	3,85.85	(-) 41
			98.41		98.41	
4408	खाद्य, भण्डारण तथा भाण्डागार पर पूंजीगत परिव्यय	निरंक	1,78.44	निरंक	1,78.44	निरंक
			79.87		79.87	
4415	कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय	निरंक	1.64	निरंक	1.64	निरंक
			0.35		0.35	
4425	सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय	49.67	1,49.94	27.69	1,55.41 ^(क)	(-) 44
			3,32.52		3,32.52	
4435	अन्य कृषि कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय	निरंक	1.88	निरंक	1.88	निरंक
			8.36		8.36	
	; ksx & %d% & df"k rFkk l e) dk; d;yki dk i thxr ys[kk	1,86.52	12,40.49	1,71.40	13,89.67 ^(क)	(-) 8
			6,79.24		6,79.24	
	(ख) ग्राम विकास का पूंजीगत लेखा –					
4515	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय	7,02.69	71,25.46	12,48.89	83,74.35	78
			7,13.71		7,13.71	
	; ksx & %k% & xke fodkl dk i thxr ys[kk	7,02.69	71,25.46	12,48.89	83,74.35	78
			7,13.71		7,13.71	

(क) वर्ष के अंत में अंतिम शेष में से पूंजी निवृत्ति/विनिवेश के कारण राशि ₹ 22.22 करोड़ की प्रोफार्मा कमी की गई।

fooj.k l d; k 5 & जारी

₹ djkM+e

ed; 'kikz	fooj.k	2013&14 ds nkj ku 0; ;	2013&14 rd dk ixkeh 0; ;	2014&15 ds nkj ku 0; ;	2014&15 rd dk ixkeh 0; ;	i fr'kr of) %\$%@deh %&%
X	vkfFkd l okvka dk i thxr ys[kk & जारी (घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूंजीगत लेखा –					
4700	मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	25,56.48	2,06,76.92	25,61.89	2,32,38.81	निरंक
			2,86.13		2,86.13	
4701	मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	6,86.47	46,43.11	5,22.52	51,65.63	(-) 24
			8,89.49		8,89.49	
4702	लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	11,93.20	72,25.25	9,42.32	81,67.57	(-) 21
			10,92.57		10,92.57	
4705	कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय	94.38	4,89.53	93.46	5,82.99	(-) 01
			0.40		0.40	
4711	बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	6.78	1,00.26	6.98	1,07.24	3
	; kx & (घ) – सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूंजीगत लेखा	45,37.31	3,31,35.07	41,27.17	3,72,62.24	(-) 9
			22,68.59		22,68.59	
	(ङ) ऊर्जा का पूंजीगत लेखा –					
4801	विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	6,31.64	1,54,07.76	9,10.39	1,63,18.15	44
			3,12.78		3,12.78	
	; kx & (ङ) – ऊर्जा का पूंजीगत लेखा	6,31.64	1,54,07.76	9,10.39	1,63,18.15	44
			3,12.78		3,12.78	
	(च) उद्योग तथा खनिजों का पूंजीगत लेखा –					
4851	ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	1,84.90	5,65.60	97.90	6,63.50	(-) 47
			1,75.51		1,75.51	
4852	लौह तथा इस्पात उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
			0.35		0.35	
4853	अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	1.37	10.23	0.46	10.69	(-) 66
			5.19		5.19	
4854	सीमेंट तथा धातु रहित खनिज उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
			0.03		0.03	
4858	अभियांत्रिकीय उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	निरंक	0.09	निरंक	0.09	निरंक
			0.05		0.05	
4860	उपभोक्ता उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
			11.96		11.96	

फूज .क | 5 & जारी

e[; 'kh"Kz	fooj .k	2013&14 ds nk\$ ku 0; ;	2013&14 rd dk i xkeh 0; ;	2014&15 ds nk\$ ku 0; ;	2014&15 rd dk i xkeh 0; ;	ifr'kr of) %\$%@deh %&%
X	vkfFkd I okvka dk i wthxr ys[kk & (च) उद्योग तथा खनिजों का पूंजीगत लेखा – समाप्त					
4875	अन्य उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	3.65	2,20.05	33.11	2,53.16	807
			44.46		44.46	
4885	उद्योगों तथा खनिजों पर पूंजीगत परिव्यय	5.00	4,06.98	5.00	4,06.47 ^(क)	निरंक
			41.49		41.49	
	; kx & (च) – उद्योगों तथा खनिजों का पूंजीगत लेखा	1,94.92	12,02.95	1,36.47	13,33.91 ^(क)	(-) 30
			2,79.04		2,79.04	
	(छ) परिवहन का पूंजीगत लेखा –					
5053	नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय	81.15	3,21.62	28.72	3,50.34	(-) 65
			6.70		6.70	
5054	सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	23,01.40	1,78,04.79	28,46.06	2,06,50.85	24
			1,61.78		1,61.78	
5055	सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय	निरंक	6.50	निरंक	6.50	निरंक
			1,41.66		1,41.66	
	; kx & (छ) – परिवहन का पूंजीगत लेखा	23,82.55	1,81,32.91	28,74.78	2,10,07.69	21
			3,10.14		3,10.14	
	(झ) विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण का पूंजीगत लेखा –					
5425	अन्य वैज्ञानिक तथा पर्यावरणी अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय	22.65	83.25	20.89	1,04.14	(-) 8
	; kx & (झ) – विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण का पूंजीगत लेखा	22.65	83.25	20.89	1,04.14	(-) 8
	(ज) सामान्य आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा					
5452	पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय	58.38	4,78.56	60.05	5,38.61	3
			26.87		26.87	
5465	सामान्य वित्तीय तथा व्यापारिक संस्थाओं में निवेश पर पूंजीगत परिव्यय	निरंक	0.04	निरंक	0.04	निरंक
5475	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	0.25	0.82	0.17	0.99	(-) 32
			14.83		14.83	
	; kx & (ज) – सामान्य आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा	58.63	4,79.38	60.22	5,39.60	3
			41.74		41.74	
	; kx & x & vkfFkd I okvka dk i wthxr ys[kk	87,16.91	7,68,07.27	95,50.21	8,63,29.75 ^{(क)(ख)}	10
			46,05.24		46,05.24	
	महायोग	1,08,12.52	9,24,61.49	1,18,77.68	10,43,11.44 ^{(ख)(ख)}	10
			60,34.55		60,34.55	

(क) पाद टिप्पणी (क) देखें – e[; 'kh"Kz 4425&I gdlfjrk पर पूंजीगत परिव्यय

(ख) वर्ष के अंत में अंतिम शेष में से पूंजी निवृत्ति/विनिवेश के कारण राशि ₹ 5.51 करोड़ की प्रोफार्मा कमी की गई।

fooj.k l d; k 5 & समाप्त
0; k[; kRed fVli .kh

1. वर्ष 2014–15 में सरकार ने ₹ 8,57.18^(क) करोड़ (सांविधिक निगमों की अंशपूंजी में ₹ 4,06.20 करोड़, सरकारी कम्पनियों में ₹ 4,22.59 करोड़, तथा सहकारी संस्थाओं में ₹ 28.39 करोड़) अंश पूंजी विभिन्न प्रतिष्ठानों में निवेशित किए।
2. वर्ष 2013–14 एवं 2014–15 के अंत में सरकार का, विभिन्न प्रतिष्ठानों की अंश पूंजी में कुल निवल निवेश क्रमशः ₹ 1,52,75.10 करोड़ तथा ₹ 1,61,04.55 करोड़ था। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में कुल निवल निवेश में सम्मिश्र म.प्र.राज्य के अनावटित शेषों से संबंधित ₹ 10,76.04 करोड़ शामिल है। ₹ 1,61,04.55 करोड़ के निवेश के विरुद्ध वर्ष 2014–15 में राज्य सरकार ने ₹ 80.35 करोड़ (निवेश का 0.50 प्रतिशत) लाभांश प्राप्त किया।

अन्य ब्यौरे विवरण संख्या 19 में दिये गये हैं।

(क) सरकार का निवल निवेश ₹ 8,29.45 करोड़ है (सकल निवेश ₹ 8,57.18 करोड़ एवं विनिवेश ₹ 27.73 करोड़)

6 & m/kkj rFkk vU; nkf; Roka dk fooj.k i=d

ykcd __.k rFkk vU; nkf; Roka^{dk} dk fooj.k

m/kkj dk i=dkj	1 vi 2014 dks 'ksk	o"z ds nkj ku i kflr; k	o"z ds nkj ku i qllkkrku	31ekp] 2015 dks 'ksk	fuoy of) %\$@deh %&½		(₹ करोड़ में)
					jkf'k	ifr'kr	ykcd __.k , oa vU; nkf; Roka dk ifr'kr
%d½ ykcd __.k & 6003 & jkT; I jdkj dk vkrfjd __.k & बाजार ऋण	3,49,78.79	1,03,00.00	21,28.87	4,31,49.92	81,71.13	23.36	39.70
भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम	--	--	--	--	--	--	--
क्षतिपूर्ति एवं अन्य बंधपत्र	10,51.98	--	3,60.71	6,91.27	(-) 3,60.71	(-) 34.29	0.64
वित्तीय संस्थाओं से ऋण	52,88.48	14,82.61	8,64.22	59,06.87	6,18.39	11.69	5.43
केन्द्र सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ	1,80,75.84	19,13.87	7,30.10	1,92,59.61	11,83.77	06.55	17.72
; ks & jkT; I jdkj dk vkrfjd __.k	5,93,95.09	1,36,96.48	40,83.90	6,90,07.67	96,12.58	16.18	63.49
6004 & dlnh; I jdkj I s __.k vkj vfxe							
01 योजनेतर ऋण	46.49	--	3.67	42.82	(-) 3.67	(-) 7.89	0.04
02 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की योजनागत स्कीमों के लिए ऋण	1,26,69.85	13,72.23	8,32.95	1,32,09.13	5,39.28	4.26	12.15
03 केन्द्रीय योजनागत योजनाओं के लिए ऋण	--	--	--	--	--	--	--
04 केन्द्र प्रवर्तित योजनागत योजनाओं के लिए ऋण	--	--	--	--	--	--	--
06 अर्थोपाय अग्रिमों के लिए ऋण	--	--	--	--	--	--	--
07 1984-85 से पूर्व के ऋण	1.88	--	--	1.88	--	--	--
; ks & dlnh; I jdkj I s __.k vkj vfxe	1,27,18.22	13,72.23	8,36.62	1,32,53.83	5,35.61	4.21	12.19
; ks & %d½ ykcd __.k	7,21,13.31	1,50,68.71	49,20.52	8,22,61.50	1,01,48.20	14.07	75.69

Vhi % इस विवरण पत्रक में मोटे अंक एकीकृत म.प्र. राज्य के शेषों को दर्शाते हैं, जिनका म.प्र. पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अंतर्गत म.प्र. एवं छत्तीसगढ़ राज्य के मध्य आवंटन किया जाना है।

(क) विस्तृत लेखा विवरण संख्या 17 और 21 में है।

फूज .क ल [; क 6 & जारी
यकद __.क रFkk vU; nkf; Roka dk fooj .k & जारी

m/kkj dk izdkj	(₹ djkM+e)						
	1 vi &] 2014 dks 'ksk	o"z ds nkj ku i kflr; k;	o"z ds nkj ku i qHkkkrku	31ekp] 2015 dks 'ksk	fuoy of) %\$%@deh %&% jfk'k	%\$%@deh %&% i fr'kr	यकद __.क , oa vU; nkf; Roka dk i fr'kr
([k) vU; nkf; Ro & लोक लेखा –							
लघु बचत, भविष्य निधि आदि	1,11,35.33 ^(क)	31,43.44	21,81.13	1,20,97.64	9,62.31	8.64	11.13
	5,61.49^(ख)			5,61.49			
ब्याज वाली आरक्षित निधियाँ	--	10,28.17	10,28.17	--	--	--	--
	1,02.46			1,02.46			
बिना ब्याज वाली आरक्षित निधियाँ	57,51.46	1,44.09	2.50	58,93.05	1,41.59	2.46	5.42
ब्याज वाली जमा	88.67	8.33	35.93	61.07	(-) 27.60	(-) 31.13	0.06
	(-) 2.38^(ख)			(-) 2.38			
बिना ब्याज वाली जमा	70,73.86	1,61,60.01	1,55,20.73	77,13.14	6,39.28	9.04	7.10
; ksx & %[k% vU; nkf; Ro	2,40,49.32	2,04,84.04	1,87,68.46	2,57,64.90	17,15.58	7.13	24.71
	6,61.57			6,61.57			
; ksx & यकद __.क रFkk vU; nkf; Ro	9,61,62.63	3,55,52.75	2,36,88.98	10,80,26.40	1,18,63.77	12.34	100.00
	6,61.57			6,61.57			

विभिन्न बाजार ऋणों में अंशदान के बतौर प्राप्त राशि एवं निक्षेप शीर्ष में रही राशि वर्ष के अंत में (मुख्य शीर्ष 8449-अन्य जमा) निरंक थी।

राज्य विधान मण्डल ने संविधान के अनुच्छेद 293 के अधीन ऐसा कोई कानून पारित नहीं किया है, जो उन सीमाओं को निर्धारित करता हो, जिनके अन्तर्गत सरकार राज्य की समेकित निधि की जमानत पर उधार ले सके।

व्याख्यात्मक टिप्पणी

राज्य सरकार का आंतरिक ऋण :- इसमें खुले बाजार से लिए गए दीर्घकालीन ऋण, स्रोत अन्तरों को पूरा करने के लिये अस्थाई रूप की उधारियां और सरकार द्वारा स्वशासी निकायों से प्राप्त किए गए ऋण सम्मिलित है।

खुले बाजार से ऋण :- सरकार द्वारा खुले बाजार से लिए गए वे समस्त ऋण जो बारह मास से अधिक समय तक चालू रहते हैं, इस श्रेणी के अन्तर्गत समूहीकृत किए जाते हैं।

(क) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण ₹ 1,63.85 लाख से कमी की गई।

(ख) सरकार से कर्मचारीवार/स्थितिवार विवरण प्राप्त न होने के कारण अभी तक म.प्र. एवं छत्तीसगढ़ के मध्य अनुभाजित न होने वाले शेषों को दर्शाता है।

fooj.k l [; k 6 & जारी ykd _k rFkk vU; nkf; Roka dk foj.k & जारी

वर्ष के दौरान सरकार ने निम्नलिखित ऋण जारी किए :- ₹ 10,00.00 करोड़ (9.11 प्रतिशत म.प्र.राज्य विकास ऋण, 2024), ₹ 3,50.00 करोड़ (8.98 प्रतिशत म.प्र.राज्य विकास ऋण, 2024), ₹ 12,00.00 करोड़ (8.99 प्रतिशत म.प्र.राज्य विकास ऋण, 2024), ₹ 10,00.00 करोड़ (8.95 प्रतिशत म.प्र.राज्य विकास ऋण, 2024), ₹ 10,50.00 करोड़ (8.95 प्रतिशत म.प्र.राज्य विकास ऋण, 2024), ₹ 10,00.00 करोड़ (8.84 प्रतिशत म.प्र.राज्य विकास ऋण, 2024), ₹ 7,50.00 करोड़ (8.45 प्रतिशत म.प्र.राज्य विकास ऋण, 2024), ₹ 7,50.00 करोड़ (8.24 प्रतिशत म.प्र.राज्य विकास ऋण, 2024), ₹ 10,00.00 करोड़ (8.10 प्रतिशत म.प्र.राज्य विकास ऋण, 2025), ₹ 10,00.00 करोड़ (8.08 प्रतिशत म.प्र.राज्य विकास ऋण, 2025), एवं ₹ 12,00.00 करोड़ (8.09 प्रतिशत म.प्र.राज्य विकास ऋण, 2025) सममूल्य पर। ऋण पर क्रमशः 9.11, 8.98, 8.99, 8.95, 8.95, 8.84, 8.45, 8.24, 8.10, 8.08 तथा 8.09 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज देय है और अंकित मूल्य पर क्रमशः वर्ष 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, 2025, 2025 तथा 2025 में विमोच्य हैं। कुल अभिदत्त राशि ₹ 1,03,00.00 करोड़ (रोकड़ ₹ 1,03,00.00 करोड़ तथा पुनर्भुगतान हेतु देय ऋण के परिवर्तन के कारण ₹ निरंक) थी।

वर्ष 2014-15 के दौरान 5.85 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास ऋण 2015, 5.60 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास ऋण 2014, 5.70 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास ऋण 2014, 7.36 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास ऋण 2014, 7.32 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास ऋण 2014 तथा 7.02 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास ऋण 2015 उन्मोचित हुये तथा वर्ष के अंत में इन ऋणों के विरुद्ध निरंक शेष छोड़ते हुये वर्ष के दौरान क्रमशः ₹ 799.96 करोड़, ₹ 349.50 करोड़, ₹ 247.00 करोड़, ₹ 342.44 करोड़, ₹ 290.01 करोड़ तथा ₹ 99.97 करोड़ का पुनर्भुगतान किया गया।

अल्प कालीन उधारियाँ :- इस श्रेणी के ऋण में बारह मासों के अन्दर प्रतिदेय पूर्णतः अस्थाई प्रकार की उधारियाँ, जैसे - भारतीय रिजर्व बैंक से अर्धोपाय अग्रिम सम्मिलित हैं।

वर्ष के आरंभ में अर्धोपाय अग्रिमों के अंतर्गत ₹ निरंक शेष थे। वर्ष के अंत में ₹ निरंक शेष छोड़ते हुए, वर्ष के दौरान कोई भी राशि प्राप्त तथा पुनर्भुगतान नहीं की गई। वर्ष के दौरान ब्याज का भी भुगतान नहीं किया गया।

विस्तृत ब्यौरे विवरण संख्या 17 में दिए गए हैं।

स्वायत्त निकायों से ऋण :- उधारियों की इस श्रेणी में विभिन्न स्वायत्त निकायों जैसे कि - भारतीय जीवन बीमा निगम, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम, आवास और नगरीय विकास निगम, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, भारतीय सामान्य बीमा निगम, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना मंडल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र विकास मण्डल तथा राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम और क्षतिपूर्ति एवं अन्य बंध पत्र से प्राप्त किये गए ऋण सम्मिलित हैं।

वर्ष के दौरान ऐसे निकायों से ₹ 14,82.61 करोड़ ऋण के रूप में प्राप्त किए और ₹ 12,24.92 करोड़ का पुनर्भुगतान किया गया। 31 मार्च 2015 के अंत में इस प्रकार के ऋणों का बकाया शेष ₹ 65,98.15 करोड़ था। विभिन्न स्वायत्त निकायों से प्राप्त ऋणों पर सरकार ने ₹ 4,46.94 करोड़ ब्याज के रूप में भुगतान किये।

स्वायत्त निकायों से प्राप्त ऋणों के पूर्ण ब्यौरे विवरण संख्या 17 के अनुलग्नक में दिए गए हैं।

परिशोधन हेतु व्यवस्था :- राज्य सरकार का दृष्टिकोण है कि उस स्थिति के अलावा जहां ऐसा करना अनिवार्य हो, भारत सरकार से प्राप्त ऋणों के परिशोधन हेतु व्यवस्था, जहां ऐसी परिशोधन व्यवस्था के वित्तपोषण के लिए पर्याप्त राजस्व स्रोत उपलब्ध हों, केवल राजस्व से करनी चाहिए। वहाँ ऐसे किसी भी ऋण के लिए परिशोधन हेतु व्यवस्था करना आवश्यक नहीं समझा है।

लघु बचत निधियों से ऋण :- 'लघु बचत योजना' तथा 'लोक भविष्य निधि' का डाकखानों में संग्रहण से ऋण, को राज्य सरकार तथा केन्द्रीय सरकार के मध्य 3 : 1 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। लघु बचत संग्रहण से ऋण जारी करने के प्रयोजन से 1999-2000 में एक पृथक निधि अर्थात् 'राष्ट्रीय लघु बचत निधि' निर्मित की गई थी। वर्ष 2014-15 के दौरान ₹ 19,13.87 करोड़ के ऋण प्राप्त किये गए तथा वर्ष के दौरान ₹ 7,30.10 करोड़ का पुनर्भुगतान किया गया। वर्ष के अंत में ₹ 1,92,59.61 करोड़ शेष बकाया था, जो कि 31 मार्च 2015 को राज्य सरकार के कुल लोक ऋण तथा अन्य दायित्वों का 17.72 प्रतिशत था।

भारत सरकार से ऋण :- 31 मार्च 2015 को भारत सरकार से प्राप्त ऋण कुल लोक ऋण तथा अन्य दायित्वों का 12.19 प्रतिशत था। राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार से लिये गए ऋणों के ब्यौरे विवरण संख्या 17 में दिये गए हैं।

fooj.k l d; k 6 & समाप्त
ykd __.k rFkk vU; nkf; Rok dk foj.k & समाप्त

वर्ष के दौरान भारत सरकार से ऋण के रूप में ₹ 13,72.23 करोड़ प्राप्त हुए। राज्य सरकार ने वर्ष 2014-15 के दौरान कर्ज के पुनर्भुगतान में ₹ 8,36.62 करोड़ का भुगतान तथा ब्याज के ₹ 6,14.13 करोड़ का भुगतान किया।

पुनर्वास ऋण :- विस्थापित तथा वापस लौटे इत्यादि व्यक्तियों के 'पुनर्वास' के लिए ऋणों के प्रकरण में, 1974 से पूर्व के ऋण तथा 1974-75 से 1983-84 के वर्षों के दौरान प्राप्त पुनः ऋण माफ किये गए तथा 31 मार्च 1989 को शेष को भारत सरकार के आदेशों के अधीन अपलिखित किया जाना है।

__ .k l dk

ऋण तथा अन्य दायित्वों पर ब्याज :- बकाया सकल ऋण और अन्य दायित्वों तथा 2013-14 तथा 2014-15 के दौरान उनके लिए राजस्व से पूरे किए गए ब्याज प्रभारों की निवल राशियाँ नीचे दर्शाई गई हैं :-

		(₹ करोड़ में)		
		2014-15	2013-14	o"kl ds nkj ku fuoy of) %\$%@deh %&½
(i)	वर्ष के अंत में बकाया सकल ऋण और अन्य दायित्व -			
	(क) लोक ऋण और अल्प बचत, भविष्य निधियाँ आदि	9,49,20.63	8,38,11.78	1,11,08.85
	(ख) अन्य दायित्वों पर	1,37,67.34	1,30,14.07	7,53.27
	; kx & (i)	10,86,87.97	9,68,25.85	1,18,62.12
(ii)	सरकार द्वारा भुगतान किया गया ब्याज -			
	(क) लोक ऋण और अल्प बचत, भविष्य निधियों आदि पर	69,59.90	61,45.54	8,14.36
	(ख) अन्य दायित्वों पर	1,11.35	2,45.78	(-) 1,34.43
	; kx & (ii)	70,71.25	63,91.32	6,79.93
(iii)	घटाएं -			
	(क) सरकार द्वारा दिए गए ऋणों और अग्रिमों पर प्राप्त ब्याज	10,58.49	11.65	10,46.84
	(ख) रोकड़ शेषों के निवेश पर प्राप्त ब्याज	1,49.91	2,41.47	(-) 91.56
	; kx & (iii)	12,08.40	2,53.12	(-) 9,55.28
(iv)	निवल ब्याज प्रभार (i) - (ii)	58,62.85	61,38.20	(-) 2,75.35
(v)	कुल राजस्व प्राप्तियों से सकल ब्याज (मद (ii)) की प्रतिशतता	7.98	8.44	(-) 0.46
(vi)	कुल राजस्व प्राप्तियों से निवल ब्याज (मद (iv)) की प्रतिशतता	6.61	8.10	(-) 1.49

इसके अतिरिक्त कतिपय अन्य प्राप्तियाँ तथा कुल समायोजन ₹ 52.25 करोड़ थी जैसे - बकाया राजस्व पर ब्याज एवं विविध लेखा पर ब्याज। यदि इनको भी घटाया जाता है तो राजस्व पर ब्याज का निवल भार ₹ 58,10.61 करोड़ होगा जो कुल राजस्व प्राप्तियों का 6.56 प्रतिशत है।

वर्ष के दौरान सरकार को विभिन्न उपक्रमों आदि में निवेश से लाभांश के रूप में ₹ 80.35 करोड़ प्राप्त हुए।

ऋण में कमी करने या परिहार के लिए विनियोग :- 1976-77 से जारी ऋणों हेतु अधिसूचित शर्तों, सरकार को ये व्यवस्था करने हेतु बाध्य नहीं करती हैं। अतः 2014-15 के दौरान कोई प्रावधान नहीं किया गया।

7 & I jdkj }kjk fn; s x, __.k vkj vfxæka dk fooj.k i=d

अनुभाग - 1

ऋणों और अग्रिमों का सार : ऋणी समूहवार

₹ djkm+e½

__ .kh l eg	1 vi &y 2014 dks ' k'sk	o"lz ds nkj ku l forj .k	o"lz ds nkj ku i qHkxrk	cç [kkrs Mkys x, vol y/h ; kx; __.k vkj m/kk; %d½	31 epxl 2015 dks ' k'sk ½\$3½&¼\$5½	o"lz ds nkj ku dy of) @deh ½&2½	C; kt Hkxrk dh cdk; k j kf' k %d½
1	2	3	4	5	6	7	8
विश्वविद्यालय/शैक्षणिक संस्थान	47.65	5.00	0.30	निरंक	52.35	4.70	निरंक
नगरपालिका/नगर परिषद/नगर निगम	2,09.46	निरंक	निरंक	निरंक	2,09.46	निरंक	निरंक
शहरी विकास अभिकरण	17,60.66	5.19	62.57	निरंक	17,03.28	(-) 57.38	निरंक
गृह निर्माण मण्डल	54.46	निरंक	निरंक	निरंक	54.46	निरंक	निरंक
	1,67.97				1,67.97		--
राज्य गृह निर्माण निगम	0.51	निरंक	निरंक	निरंक	0.51	निरंक	निरंक
पंचायती राज संस्थान	0.77	निरंक	निरंक	निरंक	0.77	निरंक	निरंक
सरकारी कंपनियां	2,29,44.15	1,18,39.75	66,93.68	निरंक	2,80,90.22	51.46.07	निरंक
	16,44.12				16,44.12		
सहकारी समितियां/सहकारी निगम/बैंक	7,97.43	2,54.62	5.05	निरंक	10,47.00	2,49.57	निरंक
	98.75				98.75		
अन्य	41,09.11	4,30.05	3.37	निरंक	45,35.79	4,26.68	निरंक
	2,08.48				2,08.48		
शासकीय कर्मचारी	(-) 38.17 ^(ख)	निरंक	0.07	निरंक	(-) 38.24	(-) 0.07	निरंक
	66.94				66.94		
विविध प्रयोजन हेतु ऋण	0.04	निरंक	निरंक	निरंक	0.04		निरंक
; kx & __.k , oa vfxæ	2,98,86.07	1,25,34.61	67,65.04	निरंक	3,56,55.64	57,69.57	निरंक
	21,86.26				21,86.26		

Vhi % इस विवरण में मोटे अंक म.प्र.में रोके गये शेषों को दर्शाते हैं, जिनका म.प्र. पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अंतर्गत म.प्र.एवं छत्तीसगढ़ के मध्य आवंटन होना है।

(क) राज्य शासन से जानकारी प्रतीक्षित है।

(ख) शेषों का अनुभाजन न होने के कारण ऋणात्मक शेष है।

fooj.k l d; k 7 & समाप्त

निरन्तर ऋण के रूप में स्वीकृत ऋणों के प्रकरण निम्नानुसार हैं^(क) :-

(₹ करोड़ में)

1-Ø-	__ .kh	Lohdfr dk o"l	Lohdfr vks'k Øekd	jkf'k	C; kt dh nj
1	2	3	4	5	6
1.	मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, जबलपुर	2013-14	F-5-6/12/13	1,25,87.63	भारतीय स्टेट बैंक के आधार दर के बराबर 2015/2018
2.	मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, इंदौर	2013-14	F-5-6/12/13	1,69,12.14	भारतीय स्टेट बैंक के आधार दर के बराबर 2015/2018
3.	मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, भोपाल	2013-14	F-5-6/12/13	99,38.68	भारतीय स्टेट बैंक के आधार दर के बराबर 2015/2018

अनुभाग - 2 ऋणों एवं अग्रिमों का सार : क्षेत्रवार

₹ djkM+e%

{ks=	1 vi 2014 dks 'k'sk	o"l ds njs ku l forj .k	o"l ds njs ku i qHkx'rk	c's [kks Mks x, vol yh ; kx; __ .k vks' m/kk' %	31 epl 2015 dks 'k'sk 1/2 \$ 3 1/8 & 1/4 \$ 5 1/2	o"l ds njs ku dy of) @ deh 1/6 & 2 1/2	C; kt Hkx'rk dh cdk; k jkf'k %
1	2	3	4	5	6	7	8
l keU; l ok; s	10,81.70	0.10	1.80	निरंक	10,80.00	(-) 1.70	निरंक
l keftd l ok; s	21,47.88	10.19	62.87	निरंक	20,95.20	(-) 52.68	निरंक
	1,68.56				1,68.56		
vkffkd l ok; s	2,66,94.62	1,25,24.32	67,00.30	निरंक	3,25,18.64	58,24.02	निरंक
	19,50.76				19,50.76		
'kkl dh; de'pkfj; ka dks __ .k , oa vfxe	(-) 38.17 ^(ख)	निरंक	0.07	निरंक	(-) 38.24	(-) 0.07	निरंक
	66.94				66.94		
fofo/k iz; kstuka ds fy; s dt	0.04	निरंक	निरंक	निरंक	0.04	निरंक	निरंक
; kx & __ .k , oa vfxe	2,98,86.07	1,25,34.61	67,65.04	निरंक	3,56,55.64	57,69.57	निरंक
	21,86.26				21,86.26		

Vhi % विस्तृत विवरण के लिए राज्य शासन द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिमों के विस्तृत विवरण पत्रक के अनुभाग-एक का संदर्भ लें।

vuHkx & 3 __ .kh l s cdk; k i qHkx'rk dk l kj %

₹ djkM+e%

__ .kh	fnukd 31 epl 2015 dks cdk; k jkf'k				l cl siwz dk o"l ftl l s cdk; k jkf'k l EcfU/kr gs	__ .kh ds fo:) fnukd 31 epl 2015 dks __ .k dh cdk; k jkf'k
	em/ku	C; kt	; kx			
1 1/2	1/2	3/2	4 1/2	5 1/2	6 1/2	
निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	

Vhi % विस्तृत विवरण के लिए राज्य शासन द्वारा दिये गये ऋणों एवं अग्रिमों के विस्तृत विवरण के अनुभाग-2 का संदर्भ लें।

(क) राज्य शासन से जानकारी प्रतीक्षित है।

(ख) शेषों का अनुभाजन न होने के कारण ऋणात्मक शेष है।

8 & I jdkj ds fuos kka dk foj .k i =d

सरकार का विभिन्न संस्थानों की अंशपूंजी तथा ऋण-पत्रों में 2013-14 तथा 2014-15 में निवेश का तुलनात्मक सारांश

₹ djkm+e

	I dFkku dk uke	2014-15		2013-14			
		I dFkkuka dh I d; k	o"lz ds var rd fuos k	I dFkkuka dh I d; k	o"lz ds var rd fuos k		
1	सांविधिक निगम	26	94,50.36 4,11.00	निरंक	26	90,49.67 4,11.00	निरंक
2	सरकारी कंपनियां	35	53,83.69 1,80.49	3.99	35	49,61.09 1,80.49	3,49.90
3	संयुक्त पूंजी कंपनियों और साझेदारी	23	0.11 1.54	76.36	23	0.11 1.54	28.82
4	बैंक	01	निरंक fujd ^(क)	निरंक	01	निरंक fujd	निरंक
5	सहकारिताएँ	130	1,94.35 4,83.01	निरंक	130	1,88.19 4,83.01	निरंक
	योग	215	1,50,28.51 10,76.04	80.35	215	1,41,99.06 10,76.04	3,78.72

Vhi % इस विवरण पत्रक में मोटे अंक एकीकृत मध्यप्रदेश राज्य के शेषों को दर्शाते हैं, जिनका म.प्र. पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अंतर्गत म.प्र. एवं छत्तीसगढ़ राज्य के मध्य आवंटन किया जाना है।

(क) ₹ 0.16 लाख एकीकृत मध्यप्रदेश राज्य का शेष है जो ऊपर दर्शित सरल क्रमांक 4 (बैंक) के विरुद्ध नहीं दर्शाए गए हैं क्योंकि इस विवरण पत्रक में राशि करोड़ रुपये में दर्शाई गई है।

9 & I jdkj }kjk nh xbz i R; kHkfr; ka dk fooj.k i =d

I kfof/kd fuxekj I jdkjh dEi fu; kj LFkkuh; fudk; ka rFkk vU; I LFkkuh }kjk fy; s x; s __.k vkfn ds i qHkkrku ds fy, jkT; I jdkj }kjk o"K ds nksj ku nh xbz i R; kHkfr; ka , oafnukd 31 epxl 2015 dks foHkUu {ks=ka ds vrxr cdk; k i R; kHkfr; ka dk fooj.k uhp n'kkz k x; k gS %&

i frHkfr; ka dk {ks=okj fooj.k

₹ djkM+e

1 {ks= %cdkS'bd ds vUrxr i R; kHkfr; ka dh I ; k½	2 o"K ds nksj ku vf/kdre i R; kHkfr j kf'k	3 o"K ds i kjEHk ea cdk; k %ey\$C; kt½	4 o"K ds nksj ku i fjo/kU	5 o"K ds nksj ku foyki u %i nUk i R; kHkfr; ka dks NkM+dj½	6 o"K ds nksj ku i nUk		8 o"K ds vU ea cdk; k %ey\$C; kt½	9 i R; kHkfr deh'ku vFkok 'kYd		11 vU; egRo i wK fooj.k
					7 mleKfpr u dh xbz	10 i kl; i klr				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
विद्युत (57)	1,15,83.76 10,46.57	37,14.32	23,79.85	1,57.92	निरंक	निरंक	59,36.25	78.37	4.69	निरंक
सहकारिता (5)	43,37.00	7,98.41	21,01.61	0.00	निरंक	निरंक	29,00.02	43.37	0.00	निरंक
राज्य वित्तीय निगम (22)	8,71.00 1,06.19	6,59.23	1,84.28	38.68	निरंक	निरंक	8,04.83	9.27	0.50	निरंक
शहरी विकास एवं आवास (299)	35,89.09 78.83	7,71.52	6,59.87	3.55	निरंक	निरंक	14,27.84	36.68	0.10	निरंक
अन्य (81)	1,02,32.63 39.50	40,34.13	60,19.19	9,98.01	निरंक	निरंक	90,55.31	4.12	0.00	निरंक
; ksX (464)	3,06,13.48 12,71.09	99,77.61	1,13,44.80	11,98.16	निरंक	निरंक	2,01,24.25	1,71.81	5.29	निरंक
; ksX	3,18,84.57	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	1,71.81	5.29	निरंक

बजट अनुमान 2014-15 के खंड-5 के अनुसार दिनांक 31.03.2015 तक जारी प्रत्याभूतियां (464)

2,01,24.25

Vhi %& इस विवरण पत्रक में मोटे अंक एकीकृत म.प्र. राज्य के शेषों को दर्शाते हैं, जिनका म.प्र. पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अंतर्गत म.प्र. एवं छत्तीसगढ़ राज्य के मध्य आवंटन किया जाना है।

10 & I j dkj }kj k fn; s x, I gk; rk vuqpkuka dk fooj .k i =d

1- o"l 2014&15 ds nkjku I gk; rk vuqpku ds : i ea dgy foeDr fuf/k; ka , oa i fj l Ei fUk; ka ds l 'tu grq vkofVr fuf/k; ka dk fooj .k %&

₹ djkM+e½

uke@vuqpku xghrk dh Js kh ¼1½	I gk; rk vuqpku ds : i ea foeDr dgy fuf/k			LrEHk Ø-2 ds varxir foeDr dgy fuf/k ea l s i fj l Ei fUk; ka ds l 'tu grq vkofVr fuf/k		
	¼2½ vk; kst uk ; kst u½kj ; ksx	¼2½ ; kst u½kj	¼2½ ; ksx	¼3½ vk; kst uk	¼3½ ; kst u½kj	¼3½ ; ksx
शहरी स्थानीय निकाय (नगर पालिकाएं, नगर परिषद, नगर पंचायत)	4,11.38	62,59.11	66,70.49	56.32	निरंक	56.32
पंचायती राज संस्थान (जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत)	77,66.91	22,45.71	1,00,12.62	निरंक	निरंक	निरंक
सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सरकारी कम्पनियां, सांविधिक कम्पनियां)	88.05	निरंक	88.05	निरंक	निरंक	निरंक
अशासकीय संगठन	41.76	3,27.62	3,69.38	निरंक	निरंक	निरंक
स्वायत्त निकाय (विश्वविद्यालय, विकास अभिकरण, निगम, संस्थाएं, अन्य)	9.98	41.96	51.94	निरंक	निरंक	निरंक
सहकारी समितियां एवं सहकारी संस्थाएं	60.96	निरंक	60.96	2.00	निरंक	2.00
अन्य	80,29.10	28,10.67	1,08,39.77	5,73.79	निरंक	5,73.79
	; ksx 1,64,08.14	1,16,85.07	2,80,93.21	6,32.11	निरंक	6,32.11

2- oLrq i ea I gk; rk vuqpku , oa i wthxr i zdf r dh i fj l Ei fUk; ka ds oLrq ds : i ea I gk; rk vuqpku ds dgy eW; dk fooj .k %&

₹ djkM+e½

uke vuqpku xghrk dh Js kh ¼1½	oLrq i ea I gk; rk vuqpku dk dgy eW; ¼2½	i wthxr i zdf r dh i fj l Ei fUk; ka ds : i ea I gk; rk vuqpku dk dgy eW; ¼3½
निरंक	निरंक	निरंक

11 & नुकर वक्षि इक्कजर 0; ; दक फोज.क इ=द

₹ दकM+e

fooj.k	okLrfod					
	i Hkkfjr	2014&15 नुकर	; ksx	i Hkkfjr	2013&14 नुकर	; ksx
व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा)	75,66.10	7,48,06.72	8,23,72.82	73,52.50	6,25,17.26	6,98,69.76
व्यय शीर्ष (पूजीगत लेखा)	35.63	1,18,42.04	1,18,77.67	17.19	1,07,95.33	1,08,12.52
लोक ऋण, ऋण तथा अग्रिम, अंतर्राज्यीय परिशोधन तथा आकस्मिकता निधि को अंतरण के अन्तर्गत संवितरण (क)	49,20.52	1,28,35.59	1,77,56.11	40,04.65	50,79.88	90,84.53
; ksx	1,25,22.25	9,94,84.35	11,20,06.60	1,13,74.34	7,83,92.47	8,97,66.81
(क) – ये आंकड़े इस प्रकार निकाले गये हैं :-						
(3) ykd __.k &						
राज्य सरकार का आंतरिक ऋण	40,83.90	निरंक	40,83.90	32,42.63 ^(क)	निरंक	32,42.63 ^(क)
केन्द्रीय सरकार से ऋण तथा अग्रिम	8,36.62	निरंक	8,36.62	7,62.02 ^(क)	निरंक	7,62.02 ^(क)
(p) __.k rFkk m/kj ^{मक} &						
सामान्य सेवाओं के लिये ऋण	निरंक	0.10	0.10	निरंक	6.28	6.28
सामाजिक सेवाओं के लिये ऋण	निरंक	10.19	10.19	निरंक	67.61	67.61
आर्थिक सेवाओं के लिये ऋण	निरंक	1,25,24.32	1,25,24.32	निरंक	50,03.56	50,03.56
सरकारी कर्मचारियों को ऋण	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	0.07	0.07
विविध प्रयोजन हेतु ऋण	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
(N) vrj kT; h; i fj'kk/ku &						
अंतर्राज्यीय परिशोधन	निरंक	0.98	0.98	निरंक	2.36	2.36
(t) vkdfLedrk fuf/k dks vrj.k &						
आकस्मिकता निधि को अंतरण	निरंक	3,00.00	3,00.00	निरंक	निरंक	निरंक
; ksx	49,20.52	1,28,35.59	1,77,56.11	40,04.65	50,79.88	90,84.53

वर्ष 2013-14 तथा 2014-15 के दौरान प्रभारित व्यय तथा दत्तमत व्यय का कुल व्यय से प्रतिशत निम्नानुसार था :-

वर्ष	कुल व्यय का प्रतिशत	
	प्रभारित	दत्तमत
2013-14	12.67	87.33
2014-15	11.18	88.82

(क) यद्यपि eq; 'kh"z 6003 rFkk 6004 के अंतर्गत व्यय, प्रभारित व्यय है। इसको छोड़कर, अन्य संबंधित विवरण पत्रकों में तदनुसार यह नहीं दर्शाया गया है।

(ख) विस्तृत ब्योरेवार लेखे विवरण सं. 18में दिये गए हैं।

12 & jktLo yslks ds vfrfjDr 0; ; ds fy; s fuf/k; ka ds L=krka vkj vuq z; kska dk foj .k i =d

₹ djkM+ e%e

	1 vi 2014 dks	o"z 2014&15 ds nkjku	31 epr 2015 dks
i thxr rFkk vU; 0; ; पूँजीगत व्यय (उप-क्षेत्र वार) सामान्य सेवाएं	16,90.77 28.05	2,57.16	19,47.93 28.05
शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति	16,82.91 3,59.25	3,21.91	20,04.82 3,59.25
स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण	13,50.50 89.17	2,40.48	15,90.98 89.17
जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास	70,39.40 1,73.57	10,90.43	81,29.83 1,73.57
सूचना एवं प्रसारण	0.16 3.14	--	0.16 3.14
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	30,64.83 5,32.03	2,95.36	33,60.19 5,32.03
समाज कल्याण तथा पोषण	7,63.12 2,30.12	1,00.99	8,64.11 2,30.12
अन्य सामाजिक सेवाएं	62.54 13.98	21.14	83.68 13.98
कृषि तथा सम्बद्ध कार्यकलाप	12,40.49 6,79.24	1,71.40	13,89.67 ^(क) 6,79.24
ग्रामीण विकास	71,25.46 7,13.71	12,48.89	83,74.35 7,13.71
सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	3,31,35.07 22,68.59	41,27.17	3,72,62.24 22,68.59
ऊर्जा	1,54,07.76 3,12.78	9,10.39	1,63,18.15 3,12.78
उद्योग तथा खनिज	12,02.95 2,79.04	1,36.47	13,33.91 ^(ख) 2,79.04

- Vhi %& (i) इस विवरण पत्रक में मोटे अंक एकीकृत म.प्र. राज्य के शेषों को दर्शाते हैं, जिनका म.प्र. पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अंतर्गत म.प्र. एवं छत्तीसगढ़ राज्य के मध्य आवंटन किया जाना है।
(ii) शीर्ष वU; dk; l ₹ , d djkM+ , oa de ykxr ds (अब पुनरीक्षित सीमा ₹ पांच करोड़ एवं कम) से संबंधित शेषों का मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के मध्य विभाजन करने के कारण दिनांक 01.04.2014 को शेष पुनरीक्षित किए गए हैं।

(क) पूँजी निवृत्ति/विनिवेश के कारण वर्ष के अंत में अंतशेष से राशि ₹ 22.22 करोड़ की प्रोफार्मा कमी की गई।

(ख) पूँजी निवृत्ति/विनिवेश के कारण वर्ष के अंत में अंतशेष से राशि ₹ 5.51 करोड़ की प्रोफार्मा कमी की गई।

fooj.k l d[; k 12 & जारी

₹ djkM+e

	1 vi s; 2014 dks	o"l 2014&15 ds nk\$ ku	31 epl 2015 dks
i wthxr rFkk vU; 0; ; & जारी पूँजीगत व्यय (उप-क्षेत्र वार) – समाप्त			
परिवहन	1,81,32.91	28,74.78	2,10,07.69
	3,10.24 ^(क)		3,10.24
विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण	83.25	20.89	1,04.14
सामान्य आर्थिक सेवाएं	4,79.38	60.22	5,39.60
	41.74		41.74
; kx&i wthxr 0; ;	9,24,61.50	1,18,77.68	10,43,11.45 ^(ख)
	60,34.65 ^(क)		60,34.65
__ .k , oa vfxe fofHkUu l okvka ds fy; s __ .k , oa vfxe& l kelftd l ok; a			
शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति, जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास	45.99	4.70	50.69
	20,59.14	(-) 57.38	20,01.76
	1,67.98		1,67.98
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	34.38	निरंक	34.38
	0.58		0.58
समाज कल्याण तथा पोषण	3.02	निरंक	3.02
अन्य (सामान्य एवं सामाजिक सेवायें)	10,87.06	(-) 1.70	10,85.36
vkfFkd l ok; a			
कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलाप	12,19.26	3,85.86	16,05.12
	81.92		81.92

- (क) आरक्षित निधियों से अंशदान के ₹ 10.42 लाख अगले पृष्ठ पर "घटाएं" के अन्तर्गत दर्शित हैं।
(ख) पिछले पृष्ठ पर पाद टीप (क) एवं (ख) देखें।
(ग) मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच ₹ 27,54.19 करोड़ के विभाजन के कारण कम किए गये।

fooj.k l d[; k 12 & जारी

₹ djkM+ e#

	1 vi 2014 dks	o"l 2014&15 ds nkj ku	31 epl 2015 dks
i wthxr rFkk vU; 0; ; & समाप्त __ .k , oa vfxe & समाप्त			
fofHkUu l okvka ds fy; s __ .k , oa vfxe & समाप्त			
ग्रामीण विकास	1.59	निरंक	1.59
सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	14.78	निरंक	14.78
ऊर्जा	2,44,49.31	51,46.07	2,95,95.38
	18,19.17		18,19.17
उद्योग तथा खनिज	9,54.86	2,92.08	12,46.94
	26.37		26.37
परिवहन	54.82	निरंक	54.82
	23.18		23.18
सामान्य आर्थिक सेवाएं	0.12	निरंक	0.12
शासकीय कर्मचारियों को ऋण	(-) 38.17	(-) 0.07	(-) 38.24
	66.94		66.94
विविध प्रयोजन हेतु ऋण	0.04	निरंक	0.04
	2,98,86.08	57,69.56	3,56,55.64
; ksx&__ .k , oa vfxe	21,86.26		21,86.26
; ksx&i wthxr rFkk vU; 0; ;	12,23,47.58	1,76,47.24	13,99,67.09
	82,20.91		82,20.91
?kVka, a			
आकस्मिकता निधि से अंशदान	निरंक	3,00.00	निरंक
विविध पूंजीगत प्राप्तियों से अंशदान ^(क)	5,22.57	27.73	5,50.30
विकास निधियों, आरक्षित निधियों आदि से अंशदान	0.10	निरंक	0.10
'kq) &i wthxr rFkk vU; 0; ;	12,18,25.01	1,79,19.51	13,94,16.79 ^(ख)
	82,20.81		82,20.81

(क) विनिवेश की प्राप्तियाँ/पूंजी की निवृत्ति

(ख) विनिवेश की प्राप्तियाँ/पूंजी की निवृत्ति के कारण ₹ 27.73 करोड़ की कमी की गई।

fooj.k l d; k 12 & जारी

₹ djkM+ e

	1 vi by 2014 dks	o"l 2014&15 ds nkj ku	31 epl 2015 dks
fuf/k; k dks e; L=kr & 2014-15 राजस्व अधिशेष (+)/घाटा (-)	निरंक	62,67.96	निरंक
जोड़े- निवृत्ति/विनिवेश के कारण समायोजन(क) __ .k	(-) 1,83.71	निरंक	(-) 2,11.44
राज्य सरकार का आंतरिक ऋण	5,93,95.09	96,12.58	6,90,07.67
केन्द्र सरकार से ऋण और अग्रिम	1,27,18.22	5,35.61	1,32,53.83
अल्प बचतें, भविष्य निधियां आदि	1,11,35.33(ख)	9,62.31	1,20,97.64
	5,61.49		5,61.49
; ksx&__ .k	8,32,48.64	1,11,10.50	9,43,59.14
	5,61.49		5,61.49
vU; nkf; Ro आकस्मिकता निधि	2,00.00	2,98.92	4,98.92
आरक्षित निधियां	61,52.72	1,43.80	62,96.52
	1,02.46		1,02.46
जमा एवं अग्रिम	71,50.92	6,18.44	77,69.36
	(-) 2.37		(-) 2.37
उचन्त एवं विविध (सरकारी लेखों को बंद राशि तथा रोकड़ शेष निवेश लेखा को छोड़कर)	1,08.28	4,59.32	5,67.60
	7.93		7.93
प्रेषण	13,66.27	(-) 57.02	13,09.25
; ksx&vU; nkf; Ro	1,49,78.19	14,63.46	1,64,41.65
	1,08.02		1,08.02
; ksx&__ .k rFkk vU; nkf; Ro	9,82,26.83	1,25,73.96	11,08,00.79
	6,69.51		6,69.51
घटाएँ: रोकड़ शेष	1,73.22	26.10	1,99.32
घटाएँ: निवेश	43,00.41	8,94.37	51,94.78
	(-) 0.25		(-) 0.25
जोड़ें - 2014-15 के दौरान सरकारी लेखों को बंद राशि	निरंक	(-) 1.87	निरंक
2014-15 के लिये अन्तर्राज्यीय परिशोधन	निरंक	(-) 0.07	निरंक
निधियों का निवल प्रावधान	9,35,69.49	1,79,19.51	10,51,95.25
	6,69.76		6,69.76

1/4d% i fDr en ds vxr jkf'k foj.k dks l rfy djus ds fy; s 'kkfey dh xbz gA

1/4k% NÜkhl x<+j kT; dks i kQkekZ varj.k ds dkj.k i kj fhkd 'ksk ₹ 1-64 djkM+ l s de fd; k x; kA

fooj.k l d; k 12 & समाप्त

2014-15 के अंत तक निवल पूंजीगत और अन्य व्यय एवं 2014-15 के अंत तक निधियों के मुख्य स्रोत के योग में अंतर को नीचे स्पष्ट किया गया है :-

	₹ djkM+e½
प्रगामी निवल पूंजीगत और अन्य व्यय	14,76,37.60
प्रगामी निधियों के मुख्य स्रोत	10,58,65.01
	<hr/>
	vrj & 4,17,72.59
	<hr/>
संचयी राजस्व आधिक्य	4,27,35.67
सरकारी लेखों को बंद राशि	(-) 19.84
अंतर्राज्यीय परिशोधन 2001-02, 2006-07, 2007-08, 2008-09 2009-10, 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14 तथा 2014-15	(-) 5.14
पूर्णांकन के कारण अंतर 2000-01 का	(-) 0.01
छत्तीसगढ़ को प्रोफार्मा अंतरण 2001-02, 2003-04, 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08, 2009-10, 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14 तथा 2014-15	7,11.15
2006-07 में विनिवेश के कारण मुख्य शीर्ष 4000-01-800 में वर्गीकृत करने के कारण पूंजीगत व्यय से प्रोफार्मा कमी की गई	(-) 9.19
छत्तीसगढ़ को आवंटन तथा स्वीकृति में संशोधन के कारण पूंजीगत शीर्षों में कमी की गई	(-) 12,26.76
8235-111 में प्रोफार्मा कमी	1,62.84
8121-115 में प्रोफार्मा वृद्धि	(-) 76.13
आकस्मिकता निधि को विनियोजन	(-) 5,00.00
	<hr/>
	; ksx 4,17,72.59
	<hr/>

13 & I efdR fuf/k vkdfLedrk fuf/k rFkk ykd ys[kk ds vlrXr 'ks'ka ds I jk k dk foj . k i =d

ukes 'ks'	I kekl; ys[kk ds {ks=	ys[kk dk uke	tek 'ks'
6,82,34.57 ^(क)	क से घ, छ, ज और ठ का अंश (मुख्यशीर्ष 8680 केवल)	I efdR fuf/k शासकीय लेखे	
	ड	लोक ऋण	8,22,61.51
3,56,55.63	च	ऋण तथा अग्रिम	
21,86.26			
		vkdfLedrk fuf/k& आकस्मिकता निधि	4,98.92
	झ	ykd ys[kk& अल्प बचत, भविष्य निधियाँ आदि	1,20,97.64
	ञ	vkjfkR fuf/k; k& ब्याज वाली आरक्षित निधियाँ	1,02.46
		सकल शेष	
		बिना ब्याज वाली आरक्षित निधियाँ	
4,03.47	ट	सकल शेष निवेश	62,96.52
		tek rFkk vfx& (i) ब्याज वाली जमा	61.07
		(ii) बिना ब्याज वाली जमा	(-) 2.37
		सकुल शेष	77,13.14
4.86	ठ	(iii) अग्रिम mpUr vkj fofo/k&	
47,91.31		निवेश	
		अन्य मदें (निवल)	5,67.61
	ड	i \$k.k	8.18
1,99.32 ^(ख)	ढ	jkM+ 'ks'	13,09.25
11,14,75.42			11,14,75.42

Vhi % इस विवरण पत्रक में मोटे अंक मध्य प्रदेश में रोके गये शेषों को दर्शाते हैं, जिनका मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अनुसार मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के मध्य आवंटन होना है।

(क) यह राशि कैसे आई इसे समझने के लिए कृपया अगले पृष्ठ पर (क) देखें।

(ख) विस्तृत विवरण के लिए कृपया विवरण पत्रक-2 के पृष्ठ क्रमांक 5 पर अनुलग्नक के अन्तर्गत पाद टिप्पणी (ग) देखें।

fooj.k l d; k 13 & जारी

(क) सरकारी लेखा :- सरकारी लेखों में अपनाई गई बही खाता पद्धति के अंतर्गत राजस्व, पूंजीगत शीर्षों तथा सरकार के अन्य लेन-देनों के अंतर्गत अंकित की जाने वाली राशियाँ जिनके शेष प्रतिवर्ष लेखाओं में आगे नहीं ले जाए जाते हैं, एकल शीर्ष को संवर्तित होते हैं को "सरकारी लेखा" कहा जाता है। इस शीर्ष के अंतर्गत जो शेष होते हैं, वे ऐसे सभी लेन-देनों के संचयी परिणामों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

इसमें लोक ऋण, कर्जे और पेशगियों, अल्प बचतें, भविष्य निधियाँ, आरक्षित निधियाँ, जमा और पेशगियों, उचंत और विविध (विविध सरकारी लेखे के अतिरिक्त), प्रेषण तथा आकस्मिकता निधि आदि के शेषों को जोड़ा जाता है तथा वर्ष के अंत में अंतिम रोकड़ शेष निकाला और प्रमाणित किया जाता है।

इस सारांश के शीर्षकों में सरकारी बहियों के उन समस्त लेखा शीर्षों के अंतर्गत आने वाली शेष राशियों का परिकलन किया जाता है, जिनके संबंध में प्राप्त धन को वापस करने की देयता या दी गई राशि को वसूल करने का अधिकार सरकार का होता है तथा साथ ही प्रेषण लेन-देनों के समायोजन के लिये बहियों में खोले गये लेखा शीर्ष भी सम्मिलित हैं।

यह भी समझ लेना चाहिये कि, ये शेष मध्यप्रदेश सरकार की वित्तीय स्थिति का पूरा लेखा जोखा नहीं माने जा सकते हैं, क्योंकि ये राज्य की समस्त भौतिक परिसम्पतियों यथा-भूमि, भवन, संचार साधन आदि को शामिल नहीं करते हैं न ही कोई उपाजित-देय राशियाँ अथवा बकाया दायित्व, जिन्हें सरकार द्वारा अनुसरण की जाने वाली नकद आधार की लेखा विधि के अंतर्गत लेखों में सम्मिलित नहीं किया जाता है।

वर्ष 2014-15 के अंत में सरकारी लेखे के नामे निवल राशि निम्नानुसार निकाली गई है:-

नामे	सामान्य लेखे के क्षेत्र	लेखे के नाम	(₹ करोड़ में) जमा
6,23,50.64	क	1 अप्रैल, 2014 को सरकारी लेखे का नामे शेष	निरंक
निरंक	ख	राजस्व प्राप्तियाँ	8,86,40.78
निरंक	ग	विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ	27.73
8,23,72.82 ^(क)	घ	व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा)	निरंक
1,18,77.68	ङ	व्यय शीर्ष (पूंजीगत लेखा)	निरंक
0.98	च	अंतर्राज्यीय परिशोधन (मु.शी.7810)	0.91
1.87	छ	उचंत एवं विविध	निरंक
3,00.00	ज	आकस्मिकता निधि का अंतरण (मु.शी.7999)	निरंक
निरंक		31 मार्च, 2015 को सरकारी लेखे के नामे राशि	6,82,34.57
15,69,03.99		; ksx	15,69,03.99

(क) निम्नलिखित प्रोफार्मा सुधार/अंतरण के कारण 1 अप्रैल, 2014 का प्रारंभिक शेष ₹ 6,23,50.64 करोड़ गत वर्ष के अंतशेष ₹ 6,23,52.28 करोड़ से ₹ 1.64 करोड़ कम किया गया।

₹ djkM+e#

'kh"ktul sl af/kr 01 vi dy] 2014 ds iktj#kd 'ksk cny x; sg#		tek 'ksk of) %\$%@deh %&½	ukes 'ksk of) %\$%@deh %&½
(1) 8009-	राज्य भविष्य निधि-		
01-	सिविल		
101-	सामान्य भविष्य निधि	1.64	निरंक
		; ksx	निरंक
		fuoy	निरंक

(क) ₹ 8,34,12.95 करोड़ के सकल राजस्व व्यय में से पुनर्प्राप्तियों की राशि ₹ 10,40.13 करोड़ घटाने पर यह परिणाम है। (संदर्भ - विनियोग लेखे का परिशिष्ट-I)

fooj.k l 13 & समाप्त

- (i) कई प्रकरणों में परिशिष्ट-VII में प्रतिवेदित और लेखा कार्यालय/विभागीय कार्यालयों में इस प्रयोजन हेतु रखी गई पृथक पंजियों अथवा अन्य अभिलेखों में दिखाए गए अंतशेषों में असमाशोधित अंतर है। विसंगतियों को दूर करने के उपाय किये जा रहे हैं।
- (ii) संबंधित अधिकारियों को प्रतिवर्ष उनके सत्यापन और स्वीकारोक्ति हेतु शेष संप्रेषित किये जाते हैं। अधिकतर प्रकरणों में ऐसी स्वीकारोक्तियां प्राप्त नहीं हुई हैं।
- (iii) प्रकरण जिनके शेषों की स्वीकारोक्ति में बिलंब हुआ है तथा विचारणीय राशि शामिल है, उन्हें परिशिष्ट-VII में दर्शाया गया है।
- (iv) शेषों के पुनर्मिलान से संबंधित प्रकरण जिनमें विवरण/प्रलेख प्रतीक्षित है, का ब्यौरा परिशिष्ट-VII में दर्शाया गया है।
- (v) "राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956" के अनुसार ₹ 0.15 करोड़ की धनराशि "हैदराबाद परिचालन उच्चन्त" में है, जिसे मध्यप्रदेश सरकार द्वारा आंध्रप्रदेश सरकार को आवंटित किया जाना अभी शेष है। भारत सरकार पूर्व में ही आंध्रप्रदेश सरकार को लागत का दायित्व स्वीकार करने के लिए निर्देशित कर चुकी है। मामला अभी भी मध्यप्रदेश और आंध्रप्रदेश सरकार के मध्य पत्राचार स्तर का है।

ys[kka ij fvli f.k; k;

1- fof'k"V ys[kkadu uhfr; ka dk l kjka k

(i) vflrRo ,oa ys[kkadu vof/k % ये लेखे 1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2015 तक की अवधि के मध्यप्रदेश सरकार के लेन-देनों को प्रदर्शित करते हैं। मध्यप्रदेश सरकार के प्राप्ति और व्यय के लेखों को प्रारंभिक लेखा रखने वाले 56 जिला कोषालयों, 411 लोक निर्माण संभागों (126 जल संसाधन, 139 लोक निर्माण, 72 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी तथा 74 नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के संभाग), 126 वन संभागों, 67 ग्रामीण अभियांत्रिक सेवा संभाग तथा भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर संकलित किया जाता है एवं वर्ष के अंत में किसी भी मासिक लेखा को छोड़ा नहीं गया था तथा मासिक प्रस्तुतीकरण में विलंब नगण्य था।

(ii) ys[kkadu dk vk/kkj % कुछ पुस्तकीय समायोजनों के अपवाद सहित ¼ f'k"V d½ लेखांकन अवधि के दौरान लेखे वास्तविक रोकड़ प्राप्तियों एवं संवितरणों को प्रदर्शित करते हैं। भौतिक एवं वित्तीय परिसंपत्तियां जैसे निवेश आदि ऐतिहासिक मूल्य पर दिखाये गये हैं अर्थात् संपत्ति के अर्जन/क्रय के वर्ष में मूल्य। भौतिक परिसंपत्तियों का मूल्यहास अथवा परिशोधन नहीं किया गया है। भौतिक परिसंपत्तियों की उनके जीवन पर्यन्त तक की हानि भी विस्तारित तथा मान्य नहीं की गई है।

लेखा अवधि के दौरान संवितरित निवृत्ति लाभों को लेखाओं में व्यक्त किया गया है परन्तु सरकार के भविष्य के पेंशन दायित्व अर्थात् इसके कर्मचारियों की पूर्व एवं वर्तमान सेवाओं के निवृत्ति लाभों को लेखा में शामिल नहीं किया गया है।

(iii) epk ftl ea ys[ks j [ks tkrs g% मध्यप्रदेश सरकार के लेखे भारतीय मुद्रा रुपये में संधारित किए जाते हैं।

(iv) ys[kkvka ds ii = % संविधान के अनुच्छेद 150 के अन्तर्गत, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा विहित प्रपत्रों पर संघ एवं राज्य सरकार के लेखे रखे जाते हैं। अनुच्छेद 150 में प्रयुक्त शब्द 'प्रपत्र' व्यापक अर्थों में है जिसमें न केवल विस्तारित प्रपत्र जिनमें लेखे रखे जाते हैं अपितु उपयुक्त शीर्षों के चयन का आधार भी है जिनके अन्तर्गत लेन-देनों को वर्गीकृत किया जाता है।

(v) jktLo ,oa iwth ds e/; oxhdj.k % राजस्व व्यय आवधिक प्रकृति का है और राजस्व प्राप्तियों से किया जाता है। पूंजीगत व्यय को स्थायी प्रकृति की और ठोस परिसम्पत्तियों में वृद्धि करने तथा स्थायी दायित्वों को कम करने के उद्देश्य से किये गये व्यय के रूप में परिभाषित किया गया है। सहायक अनुदान, प्रदाता की पुस्तकों में राजस्व व्यय के रूप में तथा प्राप्तिकर्ता की पुस्तकों में राजस्व प्राप्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

2- ys[kka dh xq koUkk :-

¼ iwthxr 0; ; dk xyr fp=.k % वर्ष के दौरान, राज्य सरकार द्वारा पूंजीगत अनुभाग में "मरम्मत" के अन्तर्गत गलत बजट प्रावधान कर ₹ 8.04 करोड़ का एवं "सहायता अनुदान" के अन्तर्गत ₹ 349.83 करोड़ का व्यय किया गया ¼ f'k"V ^k^ ,oa ^x^½।

यसूची 1.1 - जारी

जून 2014 में बजट समीक्षा के दौरान उपरोक्त गलत बजट प्रावधान के लिये प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा राज्य सरकार को सूचित किया गया लेकिन 31 मार्च 2015 के अन्त तक सुधार नहीं हुआ।

यसूची 1.1.1.1 800 के अन्तर्गत 'अन्य प्राप्ति' तथा 'अन्य व्यय' का उस समय परिचालन किया जाता है जबकि लेखाओ में उपयुक्त लघुशीर्ष नहीं दिया गया हो। लघुशीर्ष 800 का सामान्य परिचालन निरूत्साहित किया जाना चाहिये, क्योंकि यह लेखे को अपारदर्शी बनाता है। लेखा के राजस्व प्राप्ति शीर्षों के नीचे लघुशीर्ष 800—'अन्य प्राप्ति' के अंतर्गत, संबद्ध मुख्यशीर्षों की दर्ज प्राप्ति (कुल राजस्व प्राप्ति ₹ 88,640.78 करोड़ की 25.43 प्रतिशत) ₹ 22,543.10 करोड़ वर्गीकृत किये गये हैं। इसी प्रकार राजस्व एवं पूंजीगत व्यय शीर्षों के नीचे लघुशीर्ष 800—'अन्य व्यय' के अंतर्गत संबद्ध मुख्यशीर्षों का दर्ज व्यय (कुल व्यय राशि ₹ 94,250.50 करोड़ की 10.84 प्रतिशत राशि) ₹ 10,215.68 करोड़ वर्गीकृत किये गये है। प्राप्ति एवं व्यय के अधिकतर भाग (50 प्रतिशत या अधिक) को 800—अन्य प्राप्ति/व्यय के अन्तर्गत वर्गीकृत करने के उदाहरण क्रमशः वृद्धि एवं घटा में सूचीबद्ध किए गए हैं।

यसूची 1.1.1.2 के अन्तर्गत 'अन्य प्राप्ति' एवं 'अन्य व्यय' का मध्यप्रदेश बजट संहिता की कण्डिका 24.9.3 के अनुसार सभी नियंत्रण अधिकारियों को सरकार की प्राप्ति एवं व्यय का महालेखाकार द्वारा लेखांकित राशि के साथ पुनर्मिलान करना चाहिए। वर्ष के दौरान सभी 117 नियंत्रण अधिकारियों द्वारा राशि ₹ 41,850.93 करोड़ (कुल व्यय लोक ऋण के अंतर्गत पुनर्भुगतान राशि ₹ 4,920.52 करोड़ तथा आकस्मिकता निधि की स्थानान्तरित राशि ₹ 300.00 करोड़ को छोड़कर राशि ₹ 1,06,786.09 करोड़ का 39.19 प्रतिशत) का आंशिक मिलान किया गया। जबकि 117 बजट नियंत्रण अधिकारियों में से केवल 08 द्वारा प्राप्ति एवं व्यय की राशि ₹ 998.84 करोड़ (कुल प्राप्ति एवं व्यय ₹ 95,434.47 करोड़ का 1.05 प्रतिशत 'लोक ऋण' के अन्तर्गत प्राप्ति एवं व्यय को छोड़कर) का मिलान किया गया। प्राप्ति एवं व्यय का पुनर्मिलान नहीं किया जाना लेखाओं की शुद्धता और पूर्णता को प्रभावित करता है। ऐसे मुख्य चूककर्ता विभाग जिनके द्वारा राजस्व एवं व्यय की राशि का पुनर्मिलान नहीं किया गया है, उनकी सूची अनुलग्नक-च में दी गई है।

यसूची 1.1.1.3 के अन्तर्गत 'अन्य प्राप्ति' एवं 'अन्य व्यय' का 31 मार्च 2015 की स्थिति में महालेखाकार द्वारा निकाले गए भारतीय रिजर्व बैंक के पास रोकड़ शेष तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रतिवेदित रोकड़ शेष के मध्य ₹ 59.59 करोड़ (नामे) का निवल अंतर था। यह अंतर मुख्यतया: एजेन्सी बैंक तथा कोषालय अधिकारियों द्वारा लेनदेनों की गलत जानकारी देने के कारण है तथा पुनर्मिलान के अधीन है।

यसूची 1.1.1.4 के अन्तर्गत 'अन्य प्राप्ति' एवं 'अन्य व्यय' का आहरण एवं संवितरण अधिकारी सार आकस्मिक देयक तैयार कर सेवा शीर्ष को विकलित कर धनराशि आहरित करने हेतु अधिकृत है जिसके लिए उन्हें आगामी माह की 25 तारीख तक विस्तृत आकस्मिक देयक (डी.सी.बिल) तैयार कर प्रस्तुत करना आवश्यक है। राज्य सरकार ने दिनांक 2 सितम्बर 1999 द्वारा आदेश जारी कर, सभी विभागों द्वारा सार आकस्मिक देयकों से राशियों के आहरण को प्रतिबंधित कर दिया है तथा दिनांक 10 फरवरी 2009 को आदेश जारी कर राष्ट्रीय कैडेट कॉर्प्स (एन.सी.सी.) के प्रकरण में खेलकूद एवं युवा कल्याण विभाग को सार आकस्मिक देयकों से राशियों के आहरण की अनुमति दी गई है। वर्ष 2014-15 के दौरान, ₹ 7.44 करोड़ के 587 सार आकस्मिक देयक

यस [kka ij fVli f. k; k; -जारी

(ए.सी.बिल्स) समायोजित किए गए। 31 मार्च 2015 की स्थिति में राज्य शिष्टाचार अधिकारी (सामान्य प्रशासन विभाग) से संबंधित 19 सार आकस्मिक देयक राशि ₹ 7.59 करोड़ समायोजन हेतु लम्बित थे। राज्य शिष्टाचार अधिकारी द्वारा किए गए इन आहरणों का प्रकरण न्यायालय में निर्णय के लिए लम्बित था। प्रकरण विशेष न्यायाधीश के माननीय न्यायालय द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत दिनांक 13.03.2012 को समाप्त किया गया। इन सार आकस्मिक देयकों के समायोजन हेतु संबंधित प्राधिकारी से आवश्यक अभिलेख प्रतीक्षित हैं। विवरण नीचे दिया गया है :-

तालिका-1 : बकाया विस्तृत आकस्मिक देयकों की वर्षवार स्थिति

₹ djkM+e½

वर्ष	बकाया विस्तृत आकस्मिक देयकों की संख्या	राशि
2004-05	11	4.60
2005-06	05	2.74
2006-07	03	0.25
; ksX	19	7.59

¼i½ jkT; I jdkj }kjk Lohd'r l gk; rk vuqku ds fo: } cdk; k mi ; kfxrk i æ.k.& i =%& सशर्त अनुदानों के प्रकरण में संस्वीकृति जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा प्रशासनिक, तकनीकी और वित्तीय दृष्टिकोण से अनुदानों के उचित उपयोग के बारे में औपचारिक उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को उस वर्ष जिससे अनुदान संबंधित है के आगामी वर्ष की 30 सितम्बर या उससे पहले मध्यप्रदेश वित्तीय संहिता के नियम 182 के अनुसार प्रेषित किये जाने चाहिए। निर्धारित समयावधि के उपरांत उपयोगिता प्रमाण-पत्र बकाया रहना निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए अनुदान के उपयोग की वचनबद्धता के अभाव को दर्शाता है। बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र की स्थिति नीचे दी गई है :-

तालिका-2 : बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की वर्षवार स्थिति

₹ djkM+e½

o"l	i kj fhkd 'kšk		vuqf)		; ksX		o"l ds nkjku i klr mi ; kfxrk i æ.k.i =		o"l ds var ea cdk; k mi ; kfxrk i æ.k.i =	
	l a[; k	jkf'k	l a[; k	jkf'k	l a[; k	jkf'k	l a[; k	jkf'k	l a[; k	jkf'k
2012-13 तक	40,405	31,417.72	687	3,708.83	41,092	35,126.55	2,469	6,885.64	38,623	28,240.91
2013-14	38,623	28,240.91	428	926.94	39,051	29,167.85	2,637	1,795.12	36,414	27,372.73
2014-15	36,414	27,372.73	132	1,346.22	36,546	28,718.95	1,596	1,713.22	34,950	27,005.73*

(* 31 मार्च 2015 तक वितरित अनुदान के मामले में उपयोगिता प्रमाण-पत्र दिनांक 30 सितम्बर 2015 को या इसके पूर्व देय होंगे सिवाय इसके जहां स्वीकृति आदेश में अन्यथा निर्देश नहीं दिए गए हों)

(vii) fuf/k; ka dk 0; fDrxr tek ¼i h-Mh-½ [kkrka , oa vU; tek [kkrka ea varj.k%& मध्यप्रदेश खजाना संहिता के नियम 543 के अनुसार समेकित निधि को नामे कर और व्यक्तिगत जमा लेखाओं को क्रेडिट कर स्थानांतरित की गयी निधियों को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व समेकित निधि को वापस स्थानांतरित करना चाहिए तथा यदि ऐसी सम्भावना उत्पन्न होती है तो आगामी वर्ष व्यक्तिगत जमा खाता पुनः खोला जा सकता है। दिनांक 31.03.2015 को खुले रहे, व्यक्तिगत जमा खातों की स्थिति नीचे दी गई है :-

यस [kka ij fVli f. k; k; – जारी

rkfydk&3 % 31 ekpl 2015 dks 0; fDrxr tek [kkrk dh fLFkfr

₹ djkm+e

1 vi fy 2014 dks 0; fDrxr tek [kkrs		o"lz ds nkj ku [kksys x; s 0; fDrxr tek [kkrs	o"lz ds nkj ku 0; fDrxr tek [kkrs dks LFkkukUrfjr jkf'k	o"lz ds nkj ku can fd, x, 0; fDrxr tek [kkrs	o"lz ds nkj ku 0; fDrxr tek [kkrk l s fuLrkfjr jkf'k	31 ekpl 2015 dh fLFkfr ea 0; fDrxr tek [kkrs	
l a; k	jkf'k	l a; k	jkf'k	l a; k	jkf'k	l a; k	jkf'k
880	1]784-77	14	1]069-43	92	149-75	802*	2]704-45

* 399 व्यक्तिगत जमा खाते राशि ₹ 266.52 करोड़ एक वर्ष से अधिक अवधि से अप्रचलित रहे।

3- vl; ena %

(i) fuofuk ykHkka dk nkf; Ro % 31 दिसम्बर 2004 को या पहले नियुक्त राज्य सरकारी कर्मचारियों पर वर्ष 2014-15 के दौरान पेंशन एवं अन्य निवृत्ति लाभ पर ₹ 6,597.08 करोड़ व्यय किये गये। इस राशि में अवकाश नगदीकरण लाभ के ₹ 336.97 करोड़ शामिल है, जो कुल राजस्व व्यय का 8.00 प्रतिशत है। दिनांक 01.01.2005 को या बाद में नियुक्त किये गये राज्य सरकार कर्मचारियों को नई पेंशन योजना जिसे परिभाषित अंशदान पेंशन योजना नाम दिया गया के अंतर्गत रखा गया है। योजना के अनुसार कर्मचारी के वेतन से उसके मूल वेतन तथा मंहगाई भत्ते का 10 प्रतिशत अंशदान तथा इतना ही राज्य सरकार का अंशदान मिलाकर संपूर्ण राशि को एन.एस.डी.एल./ट्रस्टी बैंक के माध्यम से पदासीन निधि प्रबंधन को अंतरित किया जाता है। कर्मचारियों द्वारा अदा की जाने वाली वास्तविक राशि तथा राज्य सरकार द्वारा दिया जाने वाले समान अंशदान का आंकलन नहीं किया गया है।

निर्धारित विधि अनुसार, दोनों तरह के अंशदान प्रारंभिक तौर पर लोक लेखा के मुख्य शीर्ष 8342-अन्य जमा-117 सरकारी कर्मचारियों के लिये निर्धारित अंशदायी पेंशन योजना में जमा किए जाते हैं। तत्पश्चात, संपूर्ण राशि नेशनल सिक्वोरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड (एन.एस.डी.एल.) / न्यासी बैंक को उस वर्ष के लिए पदासीन निधि प्रबंधक के माध्यम से स्थानान्तरित की जाती है (मुख्यशीर्ष 8342-“ब्याज वाली जमा” श्रेणी के अंतर्गत आता है जिसका अर्थ है कि सरकार को एन.एस.डी.एल./न्यासी बैंक को बिना हस्तान्तरित लोक लेखे में रखे शेषों पर ब्याज अदा करना होता है)। यह विधि यह सत्यापित करने को संभव बनाती है कि क्या कर्मचारियों के अंशदान के अंतर्गत नियोक्ता द्वारा सभी कटौत डाले गए तथा लोक लेखे को स्थानान्तरित किए गए तथा क्या संपूर्ण राशि (कर्मचारी तथा नियोक्ता का अंशदान) एन.एस.डी.एल./न्यासी बैंक को स्थानान्तरित किया गया। यह भी सत्यापित करना संभव बनाता है कि, क्या वर्ष के अंत में लोक लेखे में रखे शेषों पर देय ब्याज का भुगतान कर दिया है तथा एन.एस.डी.एल./न्यासी बैंक को स्थानान्तरित कर दिया है।

जबकि मध्यप्रदेश सरकार ने उक्त विधि का अनुपालन नहीं किया। राज्य सरकार न्यू पेंशन योजना में कर्मचारियों के अंशदान के लिए प्राप्त मुख्य शीर्ष “0071-पेंशन एवं अन्य निवृत्ति लाभों के लिए अंशदान एवं वसूलियाँ” के अन्तर्गत बजट प्रावधान एवं प्रविष्टि की विधि अपनाती है। उपरांत में ये अंशदान उक्त मुख्यशीर्ष 0071-के अंतर्गत लघुशीर्ष “900-घटाईये वापसियाँ” संचालित कर निधि को स्थानांतरित किये जाते हैं। चूंकि वर्ष के अंत में समेकित निधि सरकार के लिए संवरित की जाती है तथा अवशेषों को अग्रेषित नहीं किया जाता है अतएव किसी वर्ष में निधि को प्रेषित अंशदानों में किसी भी प्रकार की कमी बाद के वर्षों के लेखों में उपलब्ध

ys[kka i j fVli f. k; k; – जारी

नही होती है। वर्ष 2014-15 के दौरान कर्मचारी अंशदान राशि ₹ 216.73 करोड़ के विरुद्ध राज्य सरकार ने राशि ₹ 239.40 करोड़ अंशदान किया। राज्य सरकार द्वारा अनुसरित लेखाकरण कार्य विधि के कारण (उपरिलिखित) यह पूर्वाकलन करना संभव नहीं है कि वर्ष 2014-15 में अधिक नियोक्ता अंशदान, पूर्व वर्षों में नियोक्ता अंशदान की कमी के विरुद्ध अथवा अन्य कारण से था।

मुख्य शीर्ष "0071-500-अन्य लघु शीर्षों को अंतरण के लिए प्रतीक्षित प्राप्तियाँ" के अन्तर्गत जमा कुल अंशदान ₹ 456.13 करोड़ में से राज्य सरकार द्वारा मात्र ₹ 438.47 करोड़ एन.एस.डी.एल./न्यासी बैंक को स्थानान्तरित किए गए। परिणामतः ₹ 17.66 करोड़ का अल्प अंतरण की कमी रही। चूँकि यह राशि निधि में नहीं रही। अतएव यह वर्ष के अंत में शासकीय लेखे को व्यपगत हो गयी। उपार्जित ब्याज सहित असंग्रहित, असमानित तथा अस्थानान्तरित राशियाँ योजना के अंतर्गत बकाया दायित्वों को दर्शाती हैं।

(ii) jkT; 'kkl u }kjk nh xbl i R; kHkfr; ka %& विवरण पत्रक 9 में प्रतिवेदित प्रत्याभूतियाँ राज्य शासन से प्राप्त जानकारी पर आधारित है जो राज्य शासन के विभिन्न स्वत्वधारी जैसे – सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम आदि को जारी ऐसी प्रत्याभूतियों के लिए प्राधिकारी है। वर्ष 2014-15 के दौरान अधिकतम प्रत्याभूतित (मूल + ब्याज) राशि ₹ 31,884.57 करोड़ थी। मार्च 2015 के अंत में कुल बकाया प्रत्याभूतियाँ ₹ 20,124.25 करोड़ थी जो कि राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अंतर्गत निर्धारित, पूर्व वर्ष (2013-14) की राजस्व प्राप्ति ₹ 75,749.24 करोड़ की 80 प्रतिशत (26.57 प्रतिशत) की सीमा में है। वर्ष के दौरान कोई प्रत्याभूति याचित नहीं हुई। वर्ष 2014-15 के अंत तक न्यूनतम प्रत्याभूति कमीशन ₹ 171.81 करोड़ में से ₹ 5.29 करोड़ प्राप्त हुये तथा परिणामस्वरूप ₹ 166.52 करोड़ अल्प संग्रहण के रूप में रहे।

(iii) __.k rFkk vfxE %& भारत सरकार द्वारा घोषित किये गये भारतीय सरकारी लेखाकरण मानक तीन (आई.जी.ए.एस.-3) की आवश्यकताओं के अनुरूप वित्त लेखे के विवरण पत्रक 18 में सरकार द्वारा दिये गये ऋण तथा अग्रिम पर प्रकटीकरण शामिल किये गये हैं। वर्ष 2014-15 के अंत तक राज्य सरकार द्वारा ₹ 37,841.90 करोड़ के ऋण तथा अग्रिम दिये गये थे। इसमें से शासकीय निगमों, कंपनियों, अशासकीय संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों को ₹ 37,813.20 करोड़ तथा शासकीय सेवकों को ₹ 28.70 करोड़, ऋण एवं अग्रिम दिये गये। राज्य सरकार के किसी भी विभाग द्वारा ऋण शेषों का पुनर्मिलान नहीं किया गया।

(iv) fuosk %& सरकार द्वारा सांविधिक निगमों, सरकारी एवं संयुक्त पूंजी कंपनियों तथा सरकारी समितियों में साधारण पूंजी तथा अंश के रूप में निवेश किया गया है। इस सरकारी निवेश का दिनांक 31 मार्च 2015 की स्थिति में विवरण नीचे दिया गया है :-

(₹ करोड़ में)

Js kh	bdkb; ka dh l a; k	o"kl 2014&15 ds var rd fuosk
1. सांविधिक निगम	26	9,861.36
2. सरकारी कंपनियाँ	35	5,564.18
3. अन्य संयुक्त पूंजी कंपनियाँ एवं भागीदारी	23	1.65
4. सहकारी बैंक एवं समितियाँ	131	677.36
; ksX	215	16,104.55

ys[kka ij fVli f. k; k; –जारी

इन 215 इकाइयों में से 150 इकाइयां पिछले 5 वर्षों से अधिक से निष्क्रिय है तथा इनकी परिसमापन प्रक्रिया शुरू नहीं होने के कारण शासकीय निवेश ₹ 5,504.03 करोड़ वसूली हेतु शेष बचे हैं।

(v) 'kh"Kz ^/kukns'k , oa ns' d^ ds vllrx'r cdk; k 'k's'k %& मुख्यशीर्ष 8670 “धनादेश एवं देयक” के अन्तर्गत जमा शेष यह दर्शाता है कि, धनादेश जारी किए गए जो दिनांक 31.03.2015 को बिना भुनाए गए रहे। वर्ष 2013–14 के अंत में अंतशेष ₹ 56.69 करोड़ (जमा) था। वर्ष 2014–15 के दौरान ₹ 76,184.02 करोड़ मूल्य के धनादेश जारी किए गए जिसके विरुद्ध ₹ 75,647.59 करोड़ के धनादेशों का नगदीकरण होकर ₹ 593.12 करोड़ (जमा) का अंतशेष रहा।

(vi) vkj f{kr fuf/k; ka %&

¼d½ l efd r fu{kis fuf/k ¼ -fu-fu-½ %& बारहवें वित्त आयोग ने अनुशंसा की थी कि, राज्यों को ऋणों के परिशोधन हेतु निक्षेप निधि स्थापित करना चाहिये। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार राज्यों को उनके पिछले वर्ष के अंत में बकाया दायित्वों (आंतरिक ऋण + लोक लेखा के दायित्व) का 0.5 प्रतिशत समेकित निक्षेप निधि में अंशदान करना चाहिए। 31 मार्च 2014 को मध्यप्रदेश सरकार के बकाया दायित्व ₹ 96,825.85 करोड़ थे। अतः राज्य सरकार द्वारा समेकित निक्षेप निधि में ₹ 484.13 करोड़ का अंशदान करना अपेक्षित था। तथापि जैसा राज्य सरकार द्वारा सूचित किया गया है। समेकित निक्षेप निधि का गठन भी विचाराधीन है।

¼k½ i R; kHkfr foekpu fuf/k ¼ i fo-fu-½ %& मध्यप्रदेश राज्य सरकार ने वर्ष 2006 में प्रत्याभूति विमोचन निधि स्थापित की। योजनानुसार सरकार को विगत वर्ष में विमुक्त किए गए प्रत्याभूति शुल्क के बराबर राशि अंशदान करनी होती है तथा राज्य सरकार द्वारा बराबर अंशदान को मिलाया जाता है। पिछले वर्ष प्रत्याभूति शुल्क ₹ 2.50 करोड़ विमुक्त किया गया था। अतः राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2014–15 में, निधि में, ₹ 5.00 करोड़ का अंशदान करना था परन्तु निधि में मात्र ₹ 2.50 करोड़ का अंशदान किया गया। परिणामस्वरूप ₹ 2.50 करोड़ अल्प अंशदान रहे। 31 मार्च 2015 को ₹ 20,124.25 करोड़ की बकाया प्रत्याभूतियों के विरुद्ध निधि में ₹ 394.58 करोड़ शेष थे। निधि का सम्पूर्ण शेष ₹ 394.58 करोड़ केन्द्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों में निवेशित किया गया।

¼x½ jkT; vki nk ekpu fuf/k %& तेहरवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2010–11 में राज्य आपदा विमोचन निधि का प्रचालन प्रारंभ किया गया। दिशा निर्देशों के अनुसार केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा निधि में 75 : 25 के अनुपात में अंशदान किया जाना चाहिए। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2014–15 में राज्य आपदा विमोचन निधि में ₹ 477.39 करोड़ (₹ 363.04 करोड़ केन्द्रांश एवं ₹ 114.35 करोड़ राज्यांश) अंतरित किए गए।

दिशा निर्देशों के अनुसार, गम्भीर आपदा के प्रकरण में, जहाँ राज्य आपदा विमोचन निधि में आवश्यकता से कम शेष हो, केन्द्र सरकार राष्ट्रीय आपदा विमोचन निधि से तत्काल राहत उपलब्ध करा सकती है। वर्ष 2014–15 में, केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को ₹ 83.13 करोड़ की अतिरिक्त सहायता जारी की गयी। इस प्रकार राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2014–15 में निधि को कुल राशि ₹ 1,028.17 करोड़ (₹ 477.39 करोड़, ₹ 83.13 करोड़, अतिरिक्त सहायता तथा ₹ 467.65 करोड़

यसूक्का िज वल्लि.क; क; – जारी

पिछले वर्ष की राशि जो वर्ष 2013-14 में अंतरित नहीं की गयी) अंतरित किए गए। परिणामतः केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार दोनों के द्वारा निधि को जारी करने एवं उपयोग करने में दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया गया।

(vii) मप्र , oa i k.k 'k'k % वित्त लेखे, उचंत एवं प्रेषण शीर्षों के अन्तर्गत निवल शेषों को प्रतिबिंबित करते हैं। इन शीर्षों के अन्तर्गत बकाया शेषों को विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत बकाया नामे एवं जमा शेषों को पृथक-पृथक जोड़कर निकाला गया है। मुख्य उचंत शीर्षों के अन्तर्गत विगत तीन वर्षों की सकल राशियों की स्थिति नीचे दी गयी है।

₹ djkM+ e%

मुख्य/लघु शीर्ष	2012-13		2013-14		2014-15	
	जमा	नामे	जमा	नामे	जमा	नामे
8658- उचंत लेखा						
101- वेतन तथा लेखा कार्यालय उचंत	(-) 1.92	71.17	(-) 3.31	70.72	(-) 3.72	55.96
fuoy	ukes 73.09		ukes 74.03		ukes 59.68	
102- उचंत लेखा (सिविल)	(-) 0.80	0.81	(-) 0.59	0.93	(-) 0.25	0.79
fuoy	ukes 1.61		ukes 1.52		ukes 1.04	
107- नकद परिनिर्धारण उचंत लेखा	(-) 26.58	115.05	(-) 26.58	115.05	(-) 26.58	115.05
fuoy	ukes 141.63		ukes 141.63		ukes 141.63	
110- रिजर्व बैंक उचंत – केन्द्रीय लेखा कार्यालय	(-) 6.01	121.37	(-) 5.96	156.01	(-) 6.01	154.98
fuoy	ukes 127.38		ukes 161.97		ukes 160.99	
112- स्रोत पर कर कटौती (टी.डी.एस.) उचंत	199.10	निरंक	242.81	निरंक	154.44	निरंक
fuoy	tek 199.10		tek 242.81		tek 154.44	
113- भविष्य निधि उचंत	(-) 0.82	17.34	(-) 0.82	19.80	निरंक	22.48
fuoy	ukes 18.16		ukes 20.62		ukes 22.48	
129- सामग्री क्रय परिनिर्धारण उचंत लेखे	255.20	35.77	255.20	35.90	255.20	35.91
fuoy	tek 219.43		tek 219.30		tek 219.29	
8782- नकद प्रेषण –						
102- लोक निर्माण प्रेषण	55,981.81	54,546.61	68,378.51	66,621.55	79,694.32	77,888.49
fuoy	tek 1,435.20		tek 1,756.96		tek 1,805.83	
103- वन प्रेषण	10,646.95	10,576.82	13,174.07	13,066.49	15,047.15	14,969.44
fuoy	tek 70.13		tek 107.58		tek 77.71	
110- विविध प्रेषण	5,280.16	5,540.66	5,895.55	6,218.84	6,238.58	6,605.19
fuoy	ukes 260.50		ukes 323.29		ukes 366.61	

इन शीर्षों के अन्तर्गत लंबित शेषों का निपटान नहीं होना, राज्य शासन के लेखों के विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत प्राप्ति/व्यय राशियों तथा शेषों (जो वर्ष दर वर्ष अग्रेषित किये जाते हैं) की परिशुद्धता को प्रभावित करता है।

ys[kka i j fVli f.k; k; – जारी

(viii) dlnz i dfr; ; stukvka %dsiz; ks%vfrfjDr dlnh; l gk; rk %v-dsl -&, d efr vuqku dks NkMEdj½ dh i qul jipuk %& बारहवीं योजना में विद्यमान 137 केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं तथा 5 अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता योजनाएं अब 66 के.प्र.यो./अ.के.स. चिन्हित योजनाएं हो गई हैं। दिनांक 01 अप्रैल 2014 से भारत सरकार द्वारा के.प्र.यो./अ.के.स. चिन्हित योजनाओं के लिए राज्य सरकार को केन्द्रीय सहायता सीधे ही जारी की गई एवं ये अब “राज्य आयोजना के लिए केन्द्रीय सहायता” के रूप में वर्गीकृत की गई। तथापि मध्यप्रदेश सरकार द्वारा 66 के.प्र.यो./अ.के.स. के अन्तर्गत चिन्हित योजनाओं को पुनर्संरचित प्रतिमान को न अपनाते हुए पूर्व वर्षों के बजट चित्रण को जारी रखा गया है।

भारत के महानियंत्रक, लेखा के पोर्टल लोक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में वर्ष 2014-15 में मध्यप्रदेश राज्य की राज्य आयोजना के लिए केन्द्रीय सहायता की दर्शित राशि ₹ 12,845.64 करोड़ में से ₹ 13,166.13 करोड़ के सम्बन्ध में भारतीय रिजर्व बैंक, केन्द्रीय लेखा अनुभाग नागपुर से समाशोधन पत्रक तथा संबंधित मंत्रालयों से स्वीकृति आदेश प्राप्त हुए तथा राज्य सरकार के लेखे में मुख्यशीर्ष 1601-सहायता अनुदान के अन्तर्गत दर्ज किए गए। चूंकि राज्य सरकार द्वारा आयोजना व्यय विद्यमान वर्गीकरण प्रतिमान के अनुसार दर्शाया जा रहा है, 56 के.प्र.यो./अ.के.स./चिन्हित योजनाओं पर किए गए व्यय का विस्तृत विवरण चिन्हित किया जाना संभव है, जो कि भारत सरकार द्वारा जारी राशि से किया गया है तथा विवरण संख्या 15 के अनुलग्नक में दिया गया है।

(ix) jkT; ea dlnh; ; stukvka dh fuf/k; ka dk fØ; kko; u l dFkkvka dks iR; {k varj.k %j kT; ctV l s ckgj mi yC/k djkbz xbz fuf/k½ %& दिनांक 31 मार्च 2014 तक भारत सरकार द्वारा राज्य क्रियान्वयन संस्थाओं/अशासकीय संगठनों को विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के लिए बड़ी मात्रा में निधियों का प्रत्यक्ष अंतरण किया गया। महानियंत्रक, लेखा की लोक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के पोर्टल अनुसार भारत सरकार द्वारा मध्यप्रदेश में क्रियान्वयन संस्थाओं को वर्ष 2014-15 के दौरान ₹ 854.85 करोड़ जारी किए गए। विस्तृत विवरण परिशिष्ट-VI में है। भारत सरकार के द्वारा समस्त सहायता सीधे क्रियान्वयन संस्थाओं को जारी न करते हुए के.प्र.यो./अ.के.स.में राज्य सरकार को जारी करने का निर्णय लिए जाने के फलस्वरूप क्रियान्वयन संस्थाओं को प्रत्यक्ष अंतरण वर्ष 2013-14 की तुलना में 91 प्रतिशत कम हो गया है।

(x) ifrdny 'ksk :- वन विभाग द्वारा ₹ 43.44 करोड़ का पूर्व वर्षों में (2013-14 तक) एवं ₹ 0.33 करोड़ (प्राप्तियां ₹ 13.74 करोड़ एवं भुगतान ₹ 14.07 करोड़ का निवल) का वर्ष 2014-15 के दौरान गलत वर्गीकरण करने के कारण मुख्यशीर्ष 8443-109 वन जमा के अन्तर्गत ₹ 43.77 करोड़ का ऋणात्मक शेष परिलक्षित हो रहा है।

(xi) vkdfLedrk fuf/k %& मध्यप्रदेश राज्य की आकस्मिकता निधि में मार्च 2014 तक ₹ 200 करोड़ का कॉर्पस था। वर्ष 2014-15 में राज्य सरकार के राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से संग्रह ₹ 200 करोड़ से बढ़ाकर ₹ 500 करोड़ किया गया। 31 मार्च 2015 को राशि ₹ 1.08 लाख आकस्मिकता निधि को अनापूरित रही।

%iil½ 0; ; dk vfrj;d %& वित्तीय नियमों के अनुसार अत्यधिक व्यय, विशेषकर वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में किया जाना वित्तीय नियमितता का उल्लंघन है, जिससे बचा जाना चाहिये। इसके विपरीत राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2014-15 के दौरान कुछ चयनित मुख्यशीर्षों के अंतर्गत माह मार्च 2015 के दौरान कुल राजस्व व्यय के अंतर्गत 20.17 प्रतिशत से 59.08 प्रतिशत के मध्य (10 मुख्यशीर्ष) तथा पूंजीगत व्यय के अंतर्गत 21.58 प्रतिशत से 100 प्रतिशत के मध्य (16 मुख्यशीर्ष) व्यय किया गया, विवरण अनुलग्नक छ में दिया गया है।

ys[kka ij fVlif.k; k; – जारी

½iiii½ iuxBu vf/kfu; e 2000 ds ifj.kkeLo: i 'ks'kka dk vkoA/u %& मध्यप्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 2000 दिनांक 01 नवम्बर 2000 से उत्तराधिकारी राज्यों मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के मध्य शेषों का आवंटन किये जाने का तरीका उपलब्ध कराता है। वर्ष 2014-15 के अंत में पूंजीगत अनुभाग (₹ 6,034.55 करोड़), ऋण और अग्रिम (₹ 2,186.26 करोड़) तथा लोक ऋण (₹ 669.76 करोड़) के अंतर्गत शेष अनावंटित रहे। अनावंटित शेषों का विवरण परिशिष्ट XIII में दिया गया है।

(xiv) e/; insk jkt dks'kh; mUk jnkf; Ro , oa ctV i d'ku %e-i jk-m-c-i½ vf/kfu; e] 2005 ds vrxr idVhdj.k %& मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के अनुच्छेद 5 के अन्तर्गत अपेक्षित है कि, राज्य सरकार वार्षिक बजट पेश करते समय तीन विवरणों में प्रकटीकरण करें अर्थात् (क) वृहद् आर्थिक रूपरेखा विवरण (ख) मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण (ग) राजकोषीय नीति युक्ति विवरण। बजट वर्ष 2014-15 में उक्त विवरणों को बनाते समय राज्य सरकार द्वारा सभी प्रकटनों को बनाया गया है।

तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर जनवरी 2012 में, राज्य सरकार द्वारा मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005, में संशोधन किया गया। अधिनियम में दिये गए लक्ष्य और वर्ष 2014-15 में निष्पादन जैसा कि लेखों में प्रदर्शित है नीचे दर्शाया गया है।

rkfydk 4 %e-i jk-m-c-i½vf/kfu; e@fu; e ds vuq i jkt dks'kh; y{; rFkk mi yfC/k; k;

क्षेत्र	लक्ष्य	निष्पादन
राजस्व घाटा	शून्य	लेखाओं के अनुसार वर्ष 2014-15 में राजस्व आधिक्य ₹ 6,267.96 करोड़ है।
राजकोषीय घाटा	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) के 3 प्रतिशत से अधिक नहीं	लेखाओं के अनुसार वर्ष 2014-15 में राजकोषीय घाटा ₹ 11,351.62 करोड़ रहा जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद* का 2.23 प्रतिशत है।
बकाया ऋण	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) का 35.30 प्रतिशत	31 मार्च 2015 को बकाया ऋण ₹ 1,08,687.97 करोड़ था जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद* का 21.39 प्रतिशत है।

L=kr & भारत सरकार में सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, द्वारा दिनांक 31.07.2015 की स्थिति में सरल घरेलू राज्य उत्पाद राशि ₹ 5,08,006.07 निर्धारित किया गया (संचालनालय, आर्थिक एवं सांख्यिकी, मध्यप्रदेश शासन)।

(xv) ifrc) nkf; Ro %& लेखे तब तक अपूर्ण हैं जब तक प्रतिबद्ध दायित्वों से संबंधित आंकड़े भी प्रदर्शित नहीं किए जाते हैं। चूंकि राज्य सरकार द्वारा यह जानकारी उपलब्ध नहीं करायी गयी है, अतएव वित्त लेखे 2014-15 में समाहित प्रतिबद्धताओं के दायित्वों के परिशिष्ट को रिक्त रखा गया है।

(xvi) jktLo vkf/kD; vkj jkt dks'kh; ?kkVs ij i Hkko %& राज्य सरकार के राजस्व आधिक्य और राजकोषीय घाटे पर प्रभाव जिसका विवरण पिछली कण्डिकाओं में दिया गया है, नीचे दिया गया है :-

(₹ करोड़ में)

df. Mdk Øekad	en	jktLo vf/kD; ij i Hkko		jkt dks'kh; ?kkVs ij i Hkko	
		vkf/kD;	deh	vkf/kD;	deh
3(i)	एन.एस.डी.एल./न्यासी बैंक को अंशदान का अंतरण	17.66	—	—	17.66
3(vi)(क)	समेकित निक्षेप निधि में अंशदान नहीं किया जाना	484.13	—	—	484.13
3(vi)(ख)	प्रत्याभूति विमोचन निधि में कम अंशदान	2.50	—	—	2.50
	dy %fuoy½ i Hkko	504-29 vkf/kD;		504-29 deh	

यसूक्का ij fVlif.k; k; – जारी
ifj'k"V d
¼ nHkz % dñMdk 1 dh mi dñMdk ¼ii¼
vkof/kd@vU; I ek; kstu dk foofj.k i =d

₹ djkm+e

I - dž	vkof/kd I ek; kstu	यसूक्क 'kh"z		jkf'k	vH; (Dr
		l s	dk		
1	शासकीय मुद्रणालयों के मूल्य ह्रास की राशि का मूल्य ह्रास निधि को अंतरण	2058—लेखन सामग्री एवं मुद्रण	8226—मूल्य ह्रास / नवीनीकरण आरक्षित निधि	0.23	राज्य शासन से प्राप्त संस्वीकृति के अनुसार राशि अंतरित की गई।
2	राज्य आपदा विमोचन निधि का आवर्धन	2245—प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत	8121—सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियां	1028.17	राज्य शासन से प्राप्त संस्वीकृतियों के अनुसार भारत शासन से प्राप्त सहायता अनुदान एवं राज्य शासन का हिस्सा अंतरित किया गया।
3	प्रत्याभूति विमोचन निधि का आवर्धन	2075—विविध सामान्य सेवाएं	8235—सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधि	2.50	राज्य सरकार से प्राप्त संस्वीकृति के अनुसार राशि स्थानान्तरित
4	ऊर्जा विकास निधि का आवर्धन	2045—वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	8229—विकास एवं कल्याण निधि	68.20	पिछले वर्षों में ऊर्जा विकास प्रभार की संग्रहित राशि निधि को अंतरित की गई।
5	वन विकास निधि का आवर्धन	2406—वानिकी एवं वन्य जीवन	8229—विकास एवं कल्याण निधि	72.59	राज्य सरकार से प्राप्त संस्वीकृति के अनुसार राशि स्थानान्तरित
6	प्राकृतिक आपदा के कारण राहत खर्च में कमी करने के लिए	8121—सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधि	2245—प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत	1028.17	राज्य सरकार से प्राप्त संस्वीकृति के अनुसार राशि स्थानान्तरित
7	अकाल राहत निधि का आवर्धन	2245—प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत	8223—अकाल राहत निधि	0.10	राज्य शासन से प्राप्त स्वीकृति के आधार पर राशि का अंतरण किया गया।
8	सा.भ.नि. पर ब्याज का समायोजन	2049—ब्याज अदायगियां	8009—राज्य भविष्य निधि	905.61	सा.भ.नि. पर ब्याज का वार्षिक समायोजन
9	मध्य भारत जीवन बीमा निधि पर ब्याज का समायोजन	2049—ब्याज अदायगियां	8011—बीमा एवं पेंशन निधियां	1.70	राज्य सरकार से प्राप्त संस्वीकृति के अनुसार राशि अंतरित
10	कर्मचारी बीमा सह बचत योजना, 2003 पर ब्याज का समायोजन	2049—ब्याज अदायगियां	8011—बीमा एवं पेंशन निधियां	41.99	राज्य सरकार से प्राप्त संस्वीकृति के अनुसार राशि अंतरित
11	शासकीय कर्मचारी समूह बीमा योजना, 1985 पर ब्याज का समायोजन	2049—ब्याज अदायगियां	8011—बीमा एवं पेंशन निधियां	65.53	राज्य सरकार से प्राप्त संस्वीकृति के अनुसार राशि अंतरित
12	शासकीय कर्मचारी परिवार कल्याण निधि पर ब्याज का समायोजन	2049—ब्याज अदायगियां	8342—अन्य जमा	3.74	राज्य सरकार से प्राप्त संस्वीकृति के अनुसार राशि अंतरित
13	अखिल भारतीय सेवा भविष्य निधि पर ब्याज का समायोजन	2049—ब्याज अदायगियां	8009—राज्य भविष्य निधियां	7.50	अखिल भारतीय सेवा भविष्य निधि पर ब्याज का वार्षिक समायोजन
14	अंशदायी भविष्य निधि पर ब्याज का समायोजन	2049—ब्याज अदायगियां	8009—राज्य भविष्य निधि	0.01	अंशदायी भविष्य निधि पर ब्याज का वार्षिक समायोजन
15	विभागीय भविष्य निधि पर ब्याज का समायोजन	2049—ब्याज अदायगियां	8009—राज्य भविष्य निधि	61.85	विभागीय भविष्य निधि पर ब्याज का वार्षिक समायोजन

यस [kka ij fVlif.k; ka & जारी
ifjf'k"V I&d&समाप्त

(₹ करोड़ में)

I - dz	vll; I ek; kst u	ys [kk 'kh"kl		j kf' k	vll; fDr
		l s	cls		
1	व्यक्तिगत जमा लेखा को अंतरण (10 करोड़ से अधिक)	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	8443-सिविल जमा 106-व्यक्तिगत जमा	13.62	एक्वायर्ड इम्यून डेफीशियेंसी सिन्ड्रोम से बचाव के लिये राशि अंतरित
		2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	8443-सिविल जमा 106-व्यक्तिगत जमा	529.43	तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं पर स्थानीय निकायों को सामान्य अनुदान प्रदान करने के लिये राशि अंतरित
		3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन	8443-सिविल जमा 106-व्यक्तिगत जमा	508.74	राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं पर अधोसंरचना विकास के लिये समायोजन
2	व्यक्तिगत जमा लेखा को अंतरण (10 करोड़ से कम)	-	8443-सिविल जमा 106-व्यक्तिगत जमा	17.64	-
3	अन्य जमा को अंतरण (10 करोड़ से अधिक)	2205-कला एवं संस्कृति	8443-सिविल जमा 800-अन्य जमा	74.05	स्मारक तथा संग्रहालयों के उन्नयन तथा अनुरक्षण के लिये समायोजन
		4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय	8443-सिविल जमा 800-अन्य जमा	30.54	तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं पर स्वास्थ्य अधोसंरचना के सुदृढीकरण के लिये समायोजन
4	अन्य जमा को अंतरण (दस करोड़ से कम)	-	8443-सिविल जमा 800-अन्य जमा	10.86	-
			; ks	1,184.88	

यस [kka ij fVli f.k; ka & जारी
vuyXud I&[k

¼l nHkZ % dFMDk 2 dh mi & dFMDk ¼¼¼
i wthxv vutkkx ds vxixr ^l akkj .k^ ds =fVi wKZ oxhZdj .k dk fooj .k i =d
¼¼ dj kM+ e¼

I-Ø-	ekax I a; k	ed; 'kh"KZ	ctV i ko/kku	0; ;
1.	23	4701-80-800-0101-8808 - सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य	0.50	0.26
2.	26	4202-04-800-0101-7073 - मध्यप्रदेश संस्कृति परिषद को विकास अनुदान	0.15	0.15
3.	48	4700-43-001-0101-8808 - सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य	0.06	0.06
4.	48	4801-01-206-0101-4654 - स्थापना (वन प्रकोष्ठ)	0.01	0.01
5.	48	4801-80-800-0101-4406 - सरदार सरोवर के डूबान से प्रभावित क्षेत्र का भू-अर्जन तथा अन्य कार्यों पर खर्च	0.12	0.12
6.	48	4801-80-800-0101-8808 - सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य	0.06	0.06
7.	57	4700-64-800-1201-6825 - जल संसाधन प्रबंधन - संस्थान एवं साधन - स्वारटैंक	0.18	0.07
8.	57	4700-64-800-1201-6831 - पाँच कछारों की पूर्व निर्मित सिंचाई योजनाओं की उत्पादकता में सुधार - जल संसाधन विभाग	5.50	7.22
9.	57	4700-64-800-1201-6833 - परियोजना क्रियान्वयन समन्वयक इकाई - पाईकू	0.14	0.09
		; kx	6.72	8.04

यसका निम्नलिखित कार्य जारी
व्यय अनुसंधान

निम्नलिखित अनुसंधान 2 वीं तिमाही अनुसंधान व्यय
निम्नलिखित व्यय वृत्तिका में गैर व्यय व्यय के विवरण के साथ जारी किया है

₹ करोड़

क्र. सं.	व्यय विवरण	व्यय	अनुसंधान व्यय
1.	4875 – अन्य उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	1.00	1.00
2.	4403 – पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय	0.60	0.53
3.	4215 – जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय	300.00	300.00
4.	4515 – अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय	47.50	47.50
5.	4202 – शिक्षा, खेल, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	0.76	0.14
6.	5425 – अन्य वैज्ञानिक तथा पर्यावरणीय अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय	2.20	0.66
	कुल	352.06	349.83

ys[kka ij fVli f.k; k&जारी
vuyXud I&?k

¼ anHkZ % dFMdk 2 dh mi dFMdk ¼ii¼
y?kq 'kh"kZ 800 & ^vU; i kflr; kq^ ds varxR ntZ eq[; 'kh"kbkj i kflr; ka dk foj.k i =d
(₹ करोड़ में)

eq[; 'kh"kZ	eq[; 'kh"kZ ds varxR dy i kflr; kq	y?kq 'kh"kZ 800 & ^vU; i kflr; kq^ ds varxR i kflr; kq	ifr'kr	
0035	कृषि भूमि से भिन्न अचल सम्पत्ति पर कर	635.01	635.01	100
0702	लघु सिंचाई	299.77	299.77	100
0801	बिजली	381.23	381.23	100
0875	अन्य उद्योग	0.04	0.04	100
0217	शहरी विकास	100.62	100.07	99.45
0059	लोक निर्माण कार्य	50.82	50.27	98.92
0235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	51.92	50.31	96.90
0056	जेल	3.87	3.71	95.87
0211	परिवार कल्याण	0.11	0.10	90.91
0435	अन्य कृषि कार्यक्रम	2.84	2.44	85.92
0853	अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	2,813.66	2,309.84	82.09
0700	मुख्य सिंचाई	43.82	35.21	80.35
1601	केन्द्र सरकार से सहायता अनुदान	17,591.44	12,528.71	71.22
0039	राज्य उत्पाद शुल्क	6,695.54	5,195.31	77.59
0403	पशुपालन	3.43	2.23	65.01
0215	जलपूर्ति तथा सफाई	6.72	4.32	64.29
0401	फसल कृषि-कर्म	38.06	22.18	58.28
	; kx	28,718.90	21,620.75	

यसका जारी वित्तिका & जारी

व्यय 183

1/4 नकल % दफ्तर 2 धर्मि दफ्तर 1/11/12

य?क 'क'क 800 & ^\U; 0; ; ^ ds v\rx\ r nt\ eq; 'क'क 0; ; dk foj.k i=d

1/2 djkm+e

eq; 'क'क		eq; 'क'क ds v\rx\ r dy 0; ;	य?क 'क'क 800 & ^\U; 0; ; ^ ds v\rx\ r 0; ;	ifr'kr
2250	अन्य सामाजिक सेवाएं	93.92	93.92	100
4070	अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	24.12	24.12	100
4853	अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	0.46	0.46	100
4875	अन्य उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	33.11	33.11	100
5475	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	0.17	0.17	100
4701	मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	522.52	517.13	98.97
2075	विविध सामान्य सेवायें	16.55	13.60	82.18
2852	उद्योग	662.88	629.58	94.98
2702	लघु सिंचाई	130.71	119.55	91.46
4515	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय (मध्यप्रदेश विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना, मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण को अनुदान इत्यादि)	1,248.89	1,113.49	89.16
4700	मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय (ओमकारेश्वर परियोजना तथा नहर उद्वहन इत्यादि)	2,561.89	2,270.22	88.62
2205	कला एवं संस्कृति	158.98	102.46	64.45
5054	सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	2,846.06	1,745.27	61.32
2204	खेलकूद तथा युवा कल्याण सेवाएं	100.09	60.57	60.52
2217	शहरी विकास	1,392.09	799.94	57.46
2705	कमान क्षेत्र विकास	5.85	3.24	55.38
		9,798.29	7,526.83	

यसका जारी जारी
व्युत्पन्न रप
% नकल % दफ्तदक 2 ध मि दफ्तदक %
दक; पददुक्त फहकका ध ल प

(₹ करोड़ में)

l -Ø-	दक; 'kh"क	फहकका ds uke	fd; s x; s i qefelyku dk ifr'kr
0; ; ds i qefelyku dk foj.k %			
1.	2053	सामान्य प्रशासन विभाग	6.00
2.	2245	राजस्व विभाग	4.64
3.	2011	संसदीय कार्य विभाग	3.65
4.	2425	सहकारिता विभाग	2.45
5.	2801	ऊर्जा विभाग	0.06
6.	4700	जल संसाधन विभाग	6.60
7.	4701	जल संसाधन विभाग	0.22
8.	6801	ऊर्जा विभाग	6.44
9.	2059	लोक निर्माण विभाग	15.00
10.	4215	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	20.00
11.	2041	परिवहन विभाग	15.00
12.	2853	खनिज संसाधन विभाग	9.00
13.	3054	लोक निर्माण विभाग	1.00
14.	2045	वाणिज्य कर विभाग	17.00
15.	6425	सहकारिता विभाग	निरंक
16.	2049	राजस्व विभाग, ऊर्जा विभाग, वाणिज्य कर विभाग	निरंक
17.	4055	पुलिस विभाग	निरंक
18.	4250	धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग	निरंक
19.	2705	जल संसाधन विभाग	निरंक
20.	2216	आवास एवं पर्यावरण विभाग	निरंक
21.	3053	नागर विमानन विभाग	निरंक
22.	2810	नव एवं नवकरणीय ऊर्जा संसाधन विभाग	निरंक
23.	3454	योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग	निरंक
jktLo ds i qefelyku dk foj.k %			
24.	0039	राज्य उत्पाद शुल्क विभाग	निरंक
25.	0056	जेल विभाग	निरंक
26.	0403	पशुपालन विभाग	निरंक
27.	0059	लोक निर्माण विभाग	निरंक
28.	0215	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	निरंक
29.	0030	वाणिज्य कर विभाग	निरंक
30.	0853	खनिज संसाधन विभाग	निरंक
31.	0041	परिवहन विभाग	निरंक

टीप:- ऊपर लिखित प्रतिशत मुख्यशीर्ष के अंतर्गत कुल लेन-देन की तुलना में पुनर्मिलान की मात्रा को दर्शाता है।

ys[kka ij fVlif.k; ka & समाप्त

vuyXud N

¼ anHkZ % dFMDk 3 dh mi dFMDk ¼xi¼

0; ; ds vfrj d ¼jktLo , oa i wthxr ½ dks n'kkZrk fooj.k i = d

¼ djkM+ e¼

ed; 'kh"KZ	0; ; dk fooj.k	o"KZ 2014&15 ds nkj ku dy 0; ;	ekg 2015 ds nkj ku gq/k 0; ; 0; ;	ifr'kr
	jktLo			
2810	अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत	14.42	8.52	59.08
2013	मंत्री परिषद	56.53	14.94	26.43
2225	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	2,214.12	568.67	25.68
2205	कला एवं संस्कृति	158.98	40.04	25.18
2220	सूचना तथा प्रचार	154.13	37.11	24.08
3452	पर्यटन	66.32	15.74	23.73
2515	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	2,715.83	643.77	23.70
2217	शहरी विकास	1,392.09	327.41	23.52
2204	खेलकूद तथा युवा सेवाएं	100.09	21.36	21.34
2852	उद्योग	662.88	133.68	20.17
	; ksx	7,535.39	1,811.24	24.03
	i wthxr			
4885	उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य पूंजीगत परिव्यय	5.00	5.00	100.00
5475	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	0.17	0.14	82.35
4405	मछली पालन पर पूंजीगत परिव्यय	0.13	0.07	53.84
4851	ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	97.90	39.48	40.33
4217	शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	80.89	28.35	35.05
4202	शिक्षा, खेलकूद, कला और संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	321.91	101.02	31.38
4210	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	240.48	75.21	31.27
4225	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	295.36	83.23	28.18
4215	जल आपूर्ति एवं सफाई पर परिव्यय	946.55	260.22	27.49
5452	पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय	60.05	15.58	25.95
4250	अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	21.14	5.18	24.50
4875	अन्य उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	33.11	8.03	24.25
4425	सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय	27.69	6.70	24.20
4059	लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय	136.47	33.00	24.18
4702	लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	942.32	216.07	22.93
4406	वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय	54.51	11.76	21.58
	; ksx	3,263.68	889.04	27.24